हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2014–15

जारीकर्त्ता :

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

2015

प्रकाशन संख्या – 1094

विभाग की वेबसाईटः WWW.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध है

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2014–15

जारीकर्ताः
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकुला
2015

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा एक दृष्टि में	(i-iv)
1.	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–3
2.	लोक वित्त, बैंकिंग तथा ऋण	4–14
3.	कीमतें तथा खाद्य एवं पूर्ति	15–20
4.	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	21–32
5.	उद्योग क्षेत्र	33–37
6.	सेवा क्षेत्र	38–39
7.	विद्युत, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन एवं भण्डारण	40–53
8.	सामाजिक क्षेत्र	54–96
9.	योजना नीति एवं समीक्षा	97–101
	अनुलग्नक	102–110

***

हरियाणा एक दृष्टि में

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
1	**भौगोलिक क्षेत्र**		वर्ग कि.मी.	44,212
2	**प्रशासनिक ढांचा**	मार्च, 2014	संख्या	
	(क) मण्डल			4
	(ख) जिले			21
	(ग) उप–मण्डल			62
	(घ) तहसीलें			83
	(ड़) उप–तहसीलें			47
	(च) खण्ड			126
	(छ) कस्बे	जनगणना 2011		154
	(ज) गांव (गैर आबादी सहित)	जनगणना 2011		6,841
3	**जनसंख्या**	जनगणना 2011	संख्या	
	(क) कुल			2,53,51,462
	(ख) पुरूष			1,34,94,734
	(ग) स्त्रियाँ			1,18,56,728
	(घ) ग्रामीण			1,65,09,359
	(ड़) शहरी			88,42,103
	(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573
	(छ)साक्षरता दर पुरूष . स्त्री . कुल .		प्रतिशत	84.06 65.94 75.55
	(ज) लिंग अनुपात		हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879
	(झ) ग्रामीण जनसंख्या		प्रतिशत	65.12
4	**स्वास्थ्य आंकड़े**	2013	प्रति हजार	
	(क) जन्म दर			
	(i) इक्टठी			21.3
	(ii) ग्रामीण			22.4
	(iii) शहरी			19.0
	(ख) मृत्यु दर			
	(i) इक्टठी			6.3
	(ii) ग्रामीण			6.7
	(iii) शहरी			5.3

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
	(ग) बाल मृत्यु दर	2013	प्रति हजार	
	(i) इक्टठे			41
	(ii) ग्रामीण			44
	(iii) शहरी			32
	(घ) मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0)	2010–12	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	146
5	**राज्य आय (चालू कीमतों पर)**	2013–14 (द्रु.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) राज्य सकल घरेलू उत्पाद			3,88,916
	(ख) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद			78,605
	(ग) उद्योग क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			1,03,034
	(घ) सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			2,07,277
	(ड़) प्रति व्यक्ति राज्य आय		रूपये	1,33,427
6	**भूमि उपयोग**			
	(क) वनों के अधीन क्षेत्र	2013–14	प्रतिशत	4.00
	(ख) निवल बोया गया क्षेत्र	2012–13	हजार हैक्टेयर	3,513
	(ग) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			2,863
	(घ) कुल बोया गया क्षेत्र			6,376
7	**मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र**	2012–13	हजार हैक्टेयर	
	(क) चावल			1,206
	(ख) गेंहू			2,497
	(ग) बाजरा			410
	(घ़) सभी अनाज			4,227
	(ड) सभी दालें			75
	(च) सभी खाद्यान्न			4,302
	(छ) गन्ना			101
	(ज) कपास			593
	(झ) खाद्य तेल			568
8	**मुख्य फसलों का उत्पादन**	2012–13	हजार टन	
	(क) चावल			3,941
	(ख) गेंहू			11,117
	(ग) बाजरा			791
	(घ) सभी अनाज			16,069
	(ड़) सभी दालें			107

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
	(च) सभी खाद्यान्न	2012–13	हजार टन	16,150
	(छ) गन्ना			7,500
	(ज) कपास		170 कि.ग्रा. की गांठें हजार में	2,378
	(झ) खाद्य तेल		हजार टन	968
9	**मुख्य फसलों की उपज**	2012–13	कि0ग्रा0/हैक्टे.	
	(क) चावल			3,268
	(ख) गेंहू			4,452
	(ग) बाजरा			1,925
	(घ) गन्ना			7,426
	(ड़) कपास		170 कि.ग्रा. की गांठें हजार में	
10	**चालू जोतें**	2010–11 कृषि गणना		
	(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या	16,17,311
	(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646
	(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25
11	**पशुधन**	2012	संख्या	
	(क) पशु			18,08,116
	(ख) भैंसे			60,85,312
	(ग) बकरियां			3,69,116
	(घ) कुक्कुट			4,28,21,348
12	**दूध एवं अण्डे का उत्पादन**	2013–14		
	(क) अनुमानित दूध उत्पादन		लाख टन	74.42
	(ख) प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता		ग्राम	773
	(ग) अण्डा उत्पादन		संख्या लाख में	43,591
13	**विद्युत**	2013–14		
	(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	10,684
	(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	4,02,779
	(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	2,88,609
	(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	53,81,129
14	**शिक्षा**			
	(क) संस्थान	2012–13	संख्या	
	(i) प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विधालय			14,025

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
	(ii) माध्यमिक विधालय	2012–13	संख्या	3,483
	(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			7,060
	(ख) दाखिला		संख्या	
	(i) प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विधालय			25,45,537
	(ii) माध्यमिक विधालय			13,78,800
	(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			15,23,303
15	**तकनीकी शिक्षा**	2012–13	संख्या	
	(क) तकनीकी संस्थानों में सीटें			1,43,895
	(ख) छात्र			1,07,921
	(ग) छात्राएं			35,974
16	**राज्य सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्यय**	2014–15 (ब.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ			**47,690.14**
	(अ) केन्द्रीय करों से हिस्सेदारी			4,009.96
	(आ) राज्य कर			30,374.75
	(इ) राज्य का अपना कर–भिन्न राजस्व			5,866.57
	(ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता व अनुदान			7,438.86
	(ख) कुल राजस्व व्यय			**52,702.71**
	(अ) सामान्य सेवाएं			16,639.35
	(आ) समाजिक सेवाएं			21,497.96
	(इ) आर्थिक सेवाएं			14,371.66
	(ई) अन्य			193.74
17	**राज्य योजनाएं**		रूपये करोड़	
	12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–17		*1,76,760
	वार्षिक योजनाएं :-			
	वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2014–15		21,327.65

द्रु.अ.: द्रुत अनुमान
ब:अ: बजट अनुमान
सं: संशोधित परिव्यय
* पी.एस.यू. एवं स्थानीय निकायों का परिव्यय शामिल है

***

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा ने अपने गठन के समय से ही अदभुत आर्थिक विकास किया है। अधिकांश वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना में कहीं अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से छोटा सा राज्य है, परन्तु 2013–14 के द्रुत अनुमानों के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2004–05) भावों पर 3.5 प्रतिशत का योगदान दर्ज किया है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को चालू और स्थिर 2004–05 भावों पर **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3,41,351.16 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2013–14 (द्रु.अ.) में बढ़कर 3,88,916.63 करोड़ रूपये हो गया। स्थिर भावों (2004–05) पर वर्ष 2012–13 के अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,86,642.83 करोड़ रूपये था, जो वर्ष 2013–14 में 1,99,656.83 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वर्ष 2014–15 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू भावों पर राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 4,35,310.05 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2014–15 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) पर 2,15,145.73 करोड़ रूपये पहुंचने की उम्मीद है।

तालिका 1.1– हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(रूपये करोड़)

योजना काल/वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2004–05) पर
11वीं पंचवर्षीय योजना		
2007–08	151595.90	126170.76
2008–09	182522.15	136477.94
2009–10	223600.25	152474.47
2010–11	260621.28	163770.20
2011–12	298688.33	176916.97
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)		
2012–13(अ.)	341351.16	186642.83
2013–14(द्रु.अ.)	388916.63	199656.83
2014–15(अग्र.)	435310.05	215145.73

अ.: अन्तिम अनुमान, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.3 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर **तालिका 1.2 तथा आकृति 1.1** में दर्शाई गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान कृषि तथा कृषि सहबद्ध क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के बावजूद हरियाणा की अर्थव्यवस्था में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12.2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर के कारण ही राज्य अर्थव्यवस्था ने 8.0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

तालिका 1.2–11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	11वीं पंचवर्षीय योजना	12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)		
	(2007–12)	2012–13(अ.)	2013–14(द्रु.)	2014–15 (अग्र.)
कृषि तथा डेयरी	3.8	–0.8	3.1	–0.5
वानिकी तथा लोगिंग	2.4	3.0	3.5	3.5
मत्स्य	12.0	5.2	–5.3	26.6
कृषि तथा कृषि सहबद्ध क्षेत्र	**3.8**	**–0.6**	**3.1**	**–0.1**
खनन एवं उत्खनन	–19.7	–19.0	14.9	3.3
विनिर्माण	6.5	4.5	2.2	3.7
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	10.8	1.5	7.9	6.3
निर्माण	6.1	5.0	8.5	6.3
उद्योग क्षेत्र	**6.4**	**4.4**	**4.4**	**4.6**
परिवहन, संचार एवं व्यापार	12.9	6.5	5.2	9.0
वित्त एवं भू–सम्पदा	11.4	9.6	16.8	15.6
सार्वजनिक प्रशासन	9.5	5.8	9.6	8.3
अन्य सेवाएं	12.7	11.8	11.7	13.1
सामुदायिक एवं निजी सेवाएं	11.7	10.2	11.1	11.9
सेवा क्षेत्र	**12.2**	**7.9**	**9.4**	**11.4**
कुल सकल घरेलू उत्पाद	**8.8**	**5.5**	**7.0**	**7.8**

अः अन्तिम अनुमान द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.4 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर धीमी पड़ गई। वर्ष 2012–13 में विकास दर के बहुत कम 5.5 प्रतिशत होने का कारण कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्र (–0.6 प्रतिशत) में नकारात्मक वृद्धि, विनिर्माण (4.5 प्रतिशत), बिजली, गैस एवं जलापूर्ति (1.5 प्रतिशत), निर्माण (5.0 प्रतिशत) और सार्वजनिक प्रशासन (5.8 प्रतिशत) क्षेत्रों में हासिल की गई धीमी वृद्धि है।

1.5 12वीं पंचवर्षीय योजना के अगले दो वर्षों (2013–14 व 2014–15) में राज्य अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर ने धीरे–धीरे गति हासिल की। वर्ष 2013–14 के दौरान वित्त एवं भू–सम्पदा क्षेत्र (16.8 प्रतिशत), अन्य सेवाएं (11.7 प्रतिशत) और सार्वजनिक प्रशासन (9.6 प्रतिशत) की अधिक वृद्धि दर होने के बावजूद राज्य की अर्थव्यस्था में 7.0 प्रतिशत की सामान्य वृद्वि दर्ज की जा सकी, जिसके मुख्य कारण कृषि क्षेत्र (3.1 प्रतिशत), विनिर्माण (2.2 प्रतिशत) और परिवहन, संचार एवं व्यापार (5.2 प्रतिशत) क्षेत्रों में हासिल की गई कम वृद्धि दर रहे। कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्र में 0.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज होने के बावजूद भी वर्ष 2014–15 में राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण परिवहन, संचार एवं व्यापार (9.0 प्रतिशत), वित्त एवं भू–सम्पदा (15.6 प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन (8.3 प्रतिशत) और अन्य सेवाएं (13.1 प्रतिशत) क्षेत्रों में हासिल की गई शानदार वृद्धि है।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.6 हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र (कृषि, वन एवं मत्स्य पालन) का स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा है। इसके बाद सेवा (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग (17.6 प्रतिशत) क्षेत्र का योगदान रहा है। उस समय कृषि क्षेत्र की प्रधानता कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव होने के कारण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का मुख्य कारण थी। इसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ जो बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

आकृति 1.1– हरियाणा राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (2004–05) भावों पर वृद्धि दर

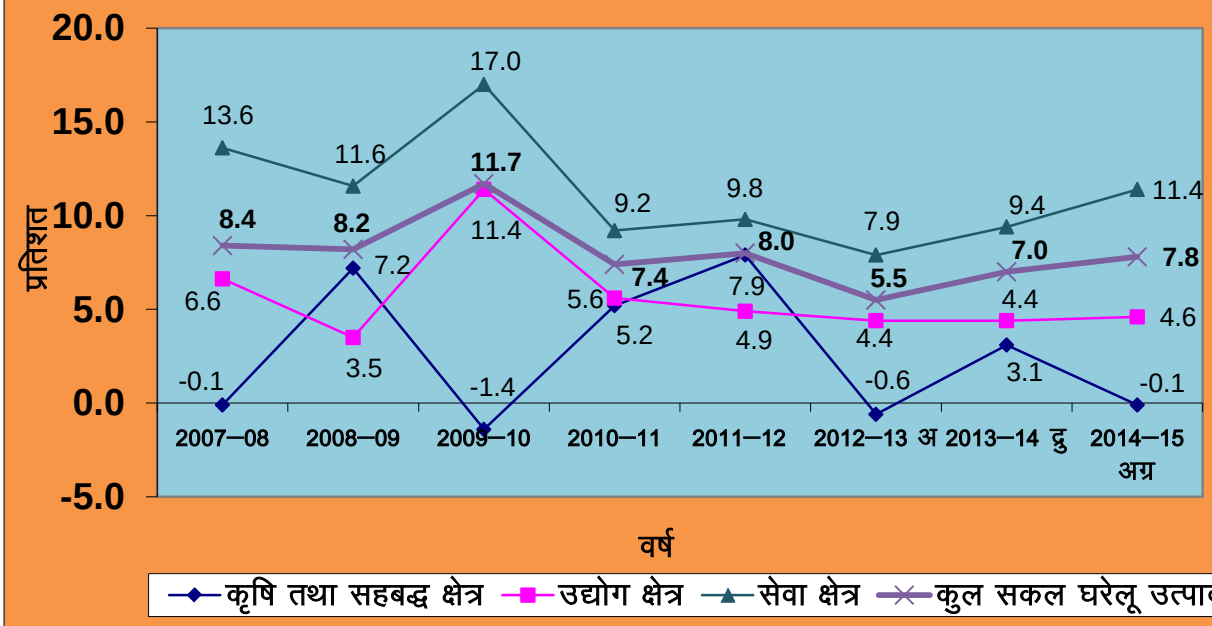

आकृति 1.2– हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रानुसार संरचना में परिवर्तन

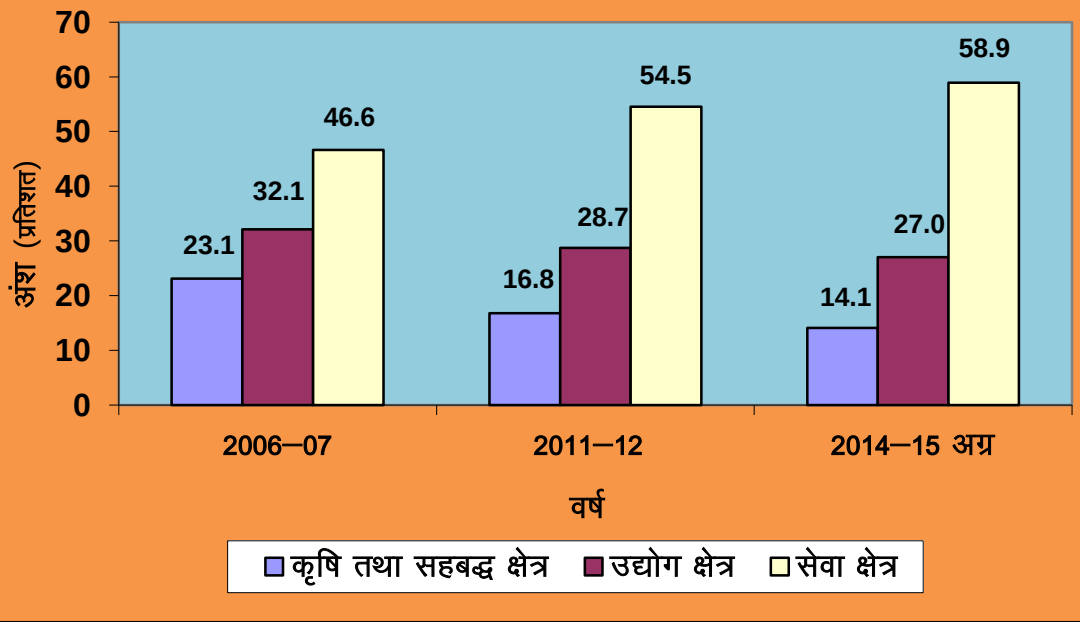

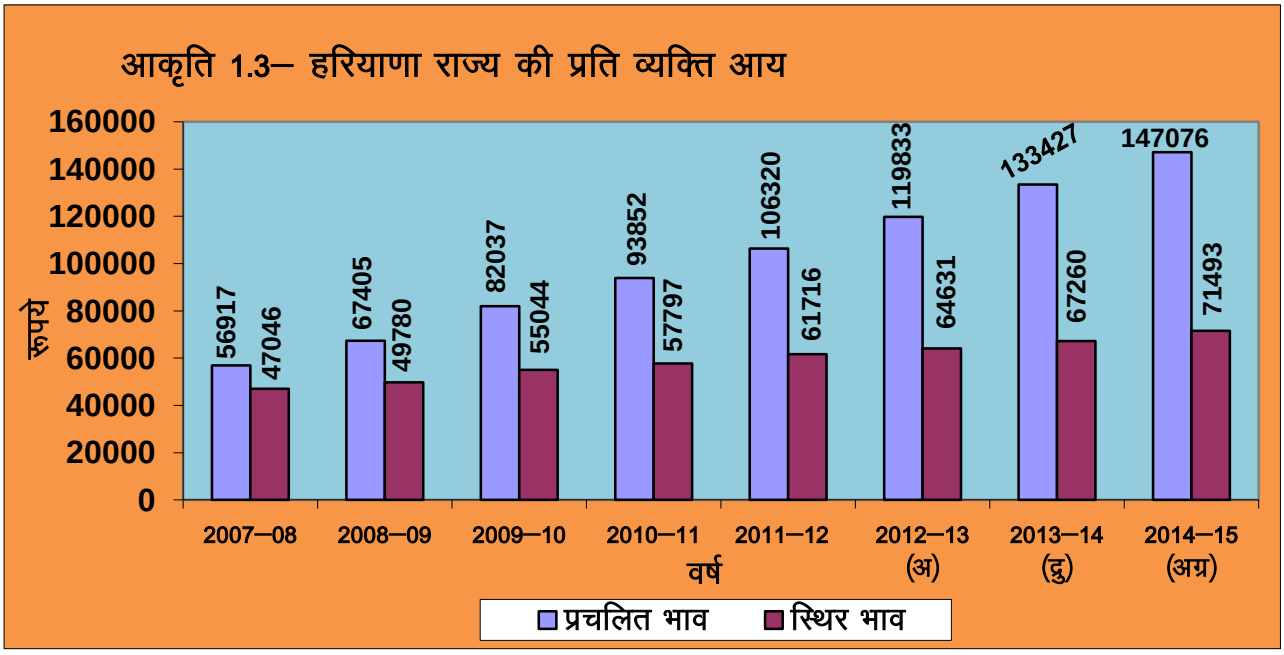
आकृति 1.3– हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
रूपये
56917
47046
67405
49780
82037
55044
93852
57797
106320
61716
119833
64631
133427
67260
147076
71493
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12
2012–13 (अ)
2013–14 (द्रु)
2014–15 (अग्र)
वर्ष
प्रचलित भाव
स्थिर भाव

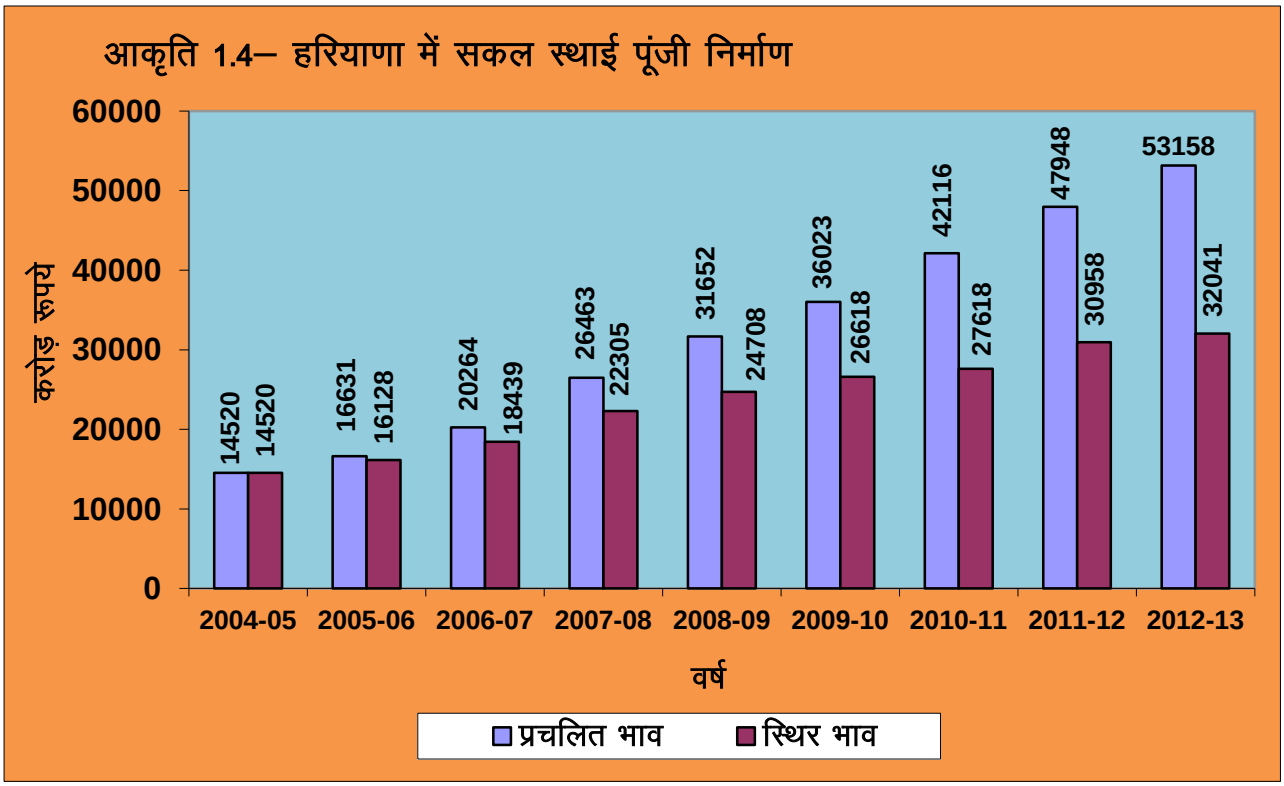
आकृति 1.4– हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
करोड़ रूपये
14520
14520
16631
16128
20264
18439
26463
22305
31652
24708
36023
26618
42116
27618
47948
30958
53158
32041
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
वर्ष
प्रचलित भाव
स्थिर भाव

1.7 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षों (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्वि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

1.8 11वीं पंचवर्षीय के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति त्वरित हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011–12 में इसका अंश बढकर 54.5 प्रतिशत हो गया तथा कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश घटकर 16.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान सेवा क्षेत्र की विकास दर अन्य दो क्षेत्रों की विकास दर से ज्यादा थी जिसके परिणाम स्वरूप 2014–15 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 58.9 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश घटकर 14.1 प्रतिशत रह गया **(आकृति 1.2)**। इस प्रकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश लगातार घट रहा हैं तथा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के बदलाव को अंकित करता है। जिसमें राज्य का विकास उद्योग व सेवा क्षेत्र की उपलब्धि पर ज्यादा तथा कृषि क्षेत्र की उपलब्धि पर कम निर्भर है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.9 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) राज्य तथा देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान चालू भावों पर हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। प्रचलित और स्थिर (2004–05) भावों पर 2007–08 से 2014–15 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **आकृति 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

1.10 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों (2004–05) पर 2013–14 में 67,260 रूपये से बढ़कर 2014–15 में 71,493 रूपये पंहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2014–15 में 6.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013–14 में 1,33,427 रूपये से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 1,47,076 होने की संभावना है जो कि 2014–15 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.11 अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करता है जिसे **आकृति 1.4** द्वारा दिखाया गया है। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2012–13 के अनुसार 53,158 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया, जबकि वर्ष 2011–12 का यह आंकलन 47,948 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें 10.9 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इसी तरह स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2011–12 के 30,958 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2012–13 में 32,041 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया जिसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

***

लोक वित्त, बैंकिंग तथा ऋण

2

लोक वित्त का सम्बन्ध करों के उन संग्रहों से है जिनका उपयोग सरकार द्वारा लोगों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये किया जाता है। लोक वित्त मुख्यतयाः तीन पहलूओं नामतः i) संसाधनों का कुशल वितरण, ii) आय का वितरण तथा iii) समष्टि अर्थ–व्यवस्था का स्थिरीकरण से सम्बन्धित है। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवम् व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्त प्रबन्धन के मुख्य आवश्यक घटक हैं।

2.2 13वें वित आयोग के जनादेश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इसे वर्ष 2014–15 तक बनाये रखने का लक्ष्य है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 3 प्रतिशत रखा गया था। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2011–12 में 1,457 करोड़ रूपये, वर्ष 2012–13 में 4,438 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2013–14 में 3,875 करोड़ रूपये था जो कि इन वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.5 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत था। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में 7,153 करोड़ रूपये, वर्ष 2012–13 में 10,362 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2013–14 में 8,314 करोड़ रूपये था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में, राजकोषीय घाटा इस अवधि में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 3.0 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत था। बजट अनुमान वर्ष 2014–15 के अनुसार यह 11,393 करोड़ रूपये अनुमानित है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत संभावित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व प्राप्ति वर्ष 2011–12 में 10.2 प्रतिशत, वर्ष 2012–13 में 9.9 प्रतिशत तथा वर्ष 2013–14 में 9.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में थोड़ा सुधार होकर वर्ष 2011–12 में 6.8 प्रतिशत से 2012–13 में 6.9 प्रतिशत हो गया है, परन्तु वर्ष 2013–14 में कम होकर 6.6 प्रतिशत हो गया है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2011–12 से 2014–15 (ब.अ.) तक राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 2.1 से अनुलग्नक 2.3** तथा **आकृति 2.1** में दिखाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2014–15 के दौरान, हरियाणा सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 47,690.14 करोड़ रूपये एवं व्यय 52,702.71 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जोकि 5,012.57 करोड़ रूपये के घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 30,557.59 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 32,014.89 करोड़ रूपये था तथा इस अवधि में 1,457.30 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13, में 33,633.53 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 38,071.72 करोड़ रूपये था जो कि 4,438.19 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है।

राज्य के स्वयं के स्त्रोत (कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व)

2.4 राज्य के अपने साधनों के मुख्य दो घटक हैं, (1) राज्य की स्वंय कर आय व (2) राज्य की स्वंय गैर–कर आय। राज्य के स्वंय साधनों से राजस्व वर्ष 2011–12 में 25,121.11 करोड़ रूपये से बढ़कर 2014–15 (ब.अ.) में 36,241.32 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राज्य के स्वंय कर राजस्व वर्ष 2011–12 में 20,399.46 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 30,374.75 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि इसी अवधि में कर–भिन्न आय 4,721.65 करोड़ रूपये से बढ़कर 5,866.57 करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

कर

2.5 कुल कर मुख्यतया दो घटकों पर निर्भर है, नामतः i) राज्य का स्वयं कर (ओ.टी.आर.) तथा ii) केन्द्रीय करों में भागीदारी (एस.सी.टी.)। राज्य का कुल कर वर्ष 2011–12 में 23,081.01 करोड़ रूपये (20,399.46 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 2,681.55 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में

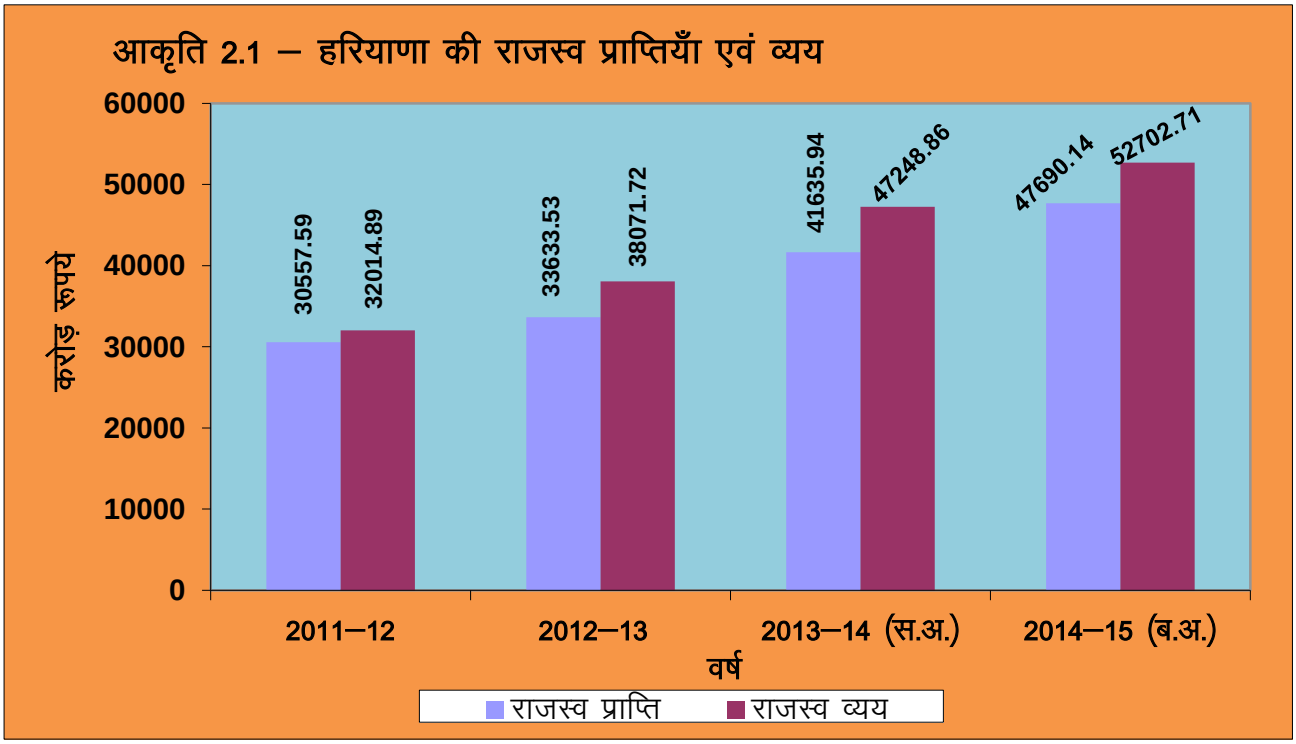
आकृति 2.1 – हरियाणा की राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
करोड़ रुपये
30557.59
32014.89
33633.53
38071.72
41635.94
47248.86
47690.14
52702.71
2011–12
2012–13
2013–14 (स.अ.)
2014–15 (ब.अ.)
वर्ष
राजस्व प्राप्ति
राजस्व व्यय

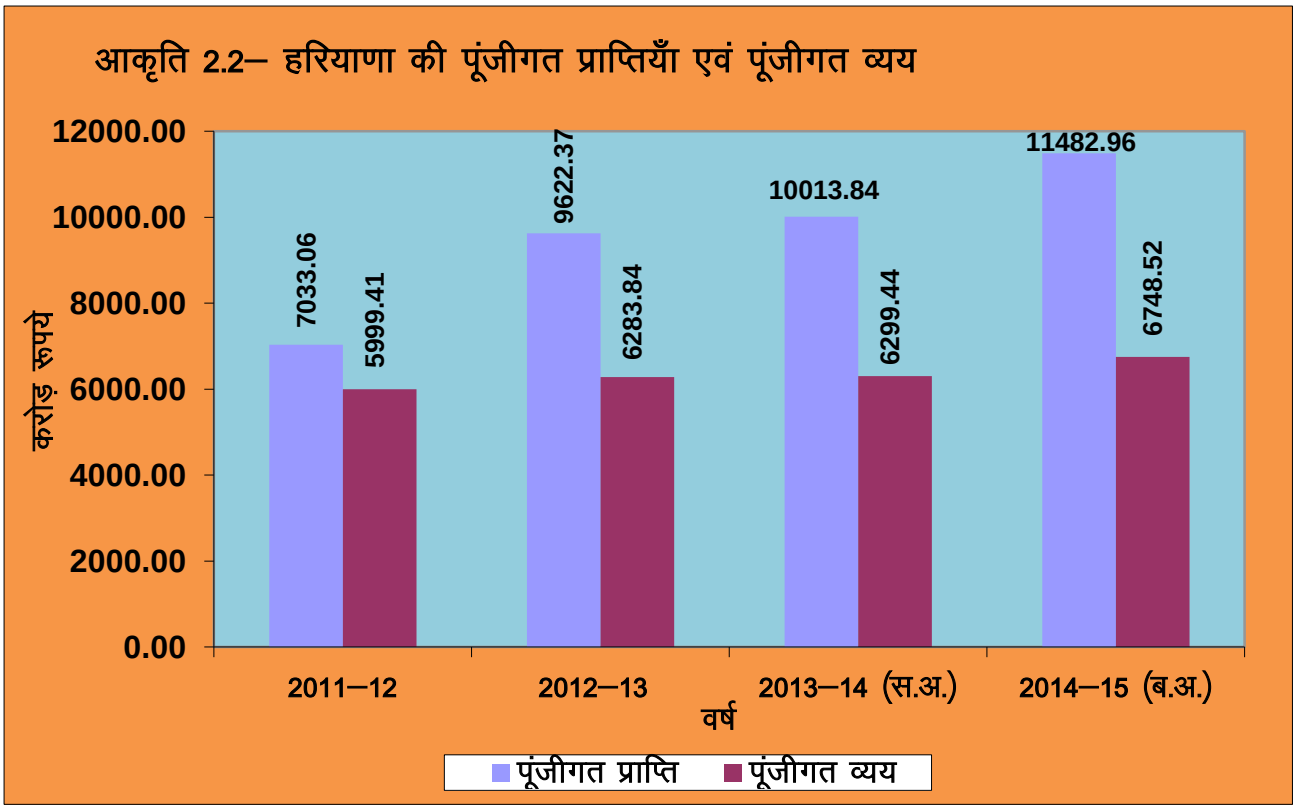
आकृति 2.2– हरियाणा की पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
करोड़ रुपये
7033.06
5999.41
9622.37
6283.84
10013.84
6299.44
11482.96
6748.52
2011–12
2012–13
2013–14 (स.अ.)
2014–15 (ब.अ.)
वर्ष
पूंजीगत प्राप्ति
पूंजीगत व्यय

34,384.71 करोड़ रूपये (30,374.75 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 4,009.96 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) रहने का अनुमान है। वर्ष 2011–12 से 2014–15 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दशाई गई है।

तालिका 2.1– हरियाणा सरकार की कर स्थिति

(रूपये करोड)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	कुल कर
2011–12	20399.46	2681.55	23081.01
2012–13	23559.00	3062.13	26621.13
2013–14 (स.अ.)	26589.10	3645.42	30234.52
2014–15 (ब.अ.)	30374.75	4009.96	34384.71

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

कर राजस्व

2.6 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में यह 19,930 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2013–14 (स.अ.) में यह 17,400 करोड़ रूपये था। वर्ष 2013–14 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में बिक्री कर में 14.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में 4,350 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 3,850 करोड़ रूपये थी, जो कि वर्ष 2013–14 (स.अ.) से वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 12.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। कर राजस्व में स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 3,950 करोड़ रूपये प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2013–14 (स.अ.) में इस मद से 3,425 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.7 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजनाओं में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान व अन्य गैर–योजना अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 4,009.96 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 3,645.42 करोड़ रूपये था जो कि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में वर्ष 2013–14 (स..अ.) की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

2.8 केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 7,438.86 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2013–14 (स.अ.) में यह राशि 6,335.21 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2013–14 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि 17.42 प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है। राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2– हरियाणा को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(रूपये करोड़)

वर्ष	प्राप्त राशि
2011–12	2754.93
2012–13	2339.25
2013–14 (स.अ.)	6335.21
2014–15 (ब.अ.)	7438.86

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.9 वर्ष 2011–12 से 2014–15 (ब.अ.) तक पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **अनुलग्नक 2.1 तथा 2.2** तथा **आकृति 2.2** में दिखाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (i) ऋणों की वसूली (ii) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (iii) लोक ऋण (शुद्ध)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में 7,033.06 करोड़ रूपये, वर्ष 2012–13 में 9,622.37 करोड़

रूपये, वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 10,013.84 करोड़ रूपये हो गई तथा वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 11,482.96 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

2.10 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध राज्य सरकार की सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2012–13 में 6,283.84 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 6,299.44 करोड़ रूपये हो गया तथा वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 6,748.52 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में दर्शाया गया है।

2.11 विकासात्मक कुल व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास पर खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 42,095.82 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2013–14 (स.अ.) में यह 37,999.16 करोड़ रूपये था। इसमें वर्ष 2013–14 (स.अ.) से वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 10.78 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

2.12 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 17,161.67 करोड़ रूपये है, जोकि वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 15,253.54 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2013–14 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 12.51 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.13 वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में होने वाला निवल लेन–देन 11.99 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है जबकि वर्ष 2012–13 में 214.43 करोड़ रूपये अधिशेष था। राजस्व खाते में वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 5,012.57 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा 277 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 395.79 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

2.14 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेय हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणी जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.15 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2014–15 (ब.अ.) में कुल व्यय 59,467.87 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 53,074.17 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में वर्ष 2013–14 (स.अ.) से 12.05 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.16 सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 21,900.39 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 18,345.62 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2014–15 (ब.अ.) में वर्ष 2013–14 (स.अ.) से 19.38 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.17 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन तथा मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में 5,051.59 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2013–14 (स.अ.) में 5,026.90 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2014–15 (ब.अ.) में वर्ष 2013–14 (स.अ.) से 0.49 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती हैं जिसे **अनुलग्नक 2.4** में दर्शाया गया है।

संस्थागत वित्त

2.18 संस्थागत वित्त विकास–कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार का कार्य बैंकों द्वारा कृषि व अन्य क्षेत्रों विशेषतया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिलाना रहा है। वाणिज्यक बैंकों सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध होने से राज्य के बजटीय संसाधनों पर दबाव घट जाता है।

2.19 राज्य में सितम्बर, 2014 को वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4,025 थी जबकि गत वर्ष 2013 यह संख्या 3,559 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2014 तक बढकर 2,03,698 करोड़ हो गई। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2014 को बढ़कर 1,65,349 करोड़ रूपये हो गई। ऋण–जमा अनुपात राज्य में आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। सितम्बर, 2014 में ऋण–जमा अनुपात बढकर 81 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष यह अनुपात 80 प्रतिशत था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.20 हरियाणा राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2014–15 के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 77,161.48 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। गत वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में यह लक्ष्य 15.79 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2014–15 के अन्तर्गत सितम्बर, 2014 तक कुल उपलब्धि 35,940.05 करोड़ रूपये रही जो कि 77,161.48 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 46.58 प्रतिशत था। क्षेत्रवार विवरण **तालिका–2.3** में दिया गया है ।

तालिका 2.3– हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक)

(रूपये करोड़)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	53170.80	23396.58	44.0
कुटीर एवं लघु उद्योग	12339.25	7126.91	57.8
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	11651.43	5416.56	46.5
कुल	77161.48	35940.05	46.6

2.21 कृषि क्षेत्र को ऋण उधार के अन्तर्गत सितम्बर, 2014 में उपलब्धि 23,396.58 करोड़ रूपये रही जो कि 53,170.80 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 44 प्रतिशत थी। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 7,126.91 करोड रूपये के ऋण दिये गये जब कि लक्ष्य 12,339.25 करोड़ रूपये का था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 57.8 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 5,416.56 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 11,651.43 करोड़ रूपये था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि

वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.22 वार्षिक ऋण योजना 2014–15 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2014 तक 30,909.77 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 63,317.67 करोड़ रूपये था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 48.8 प्रतिशत है। वर्ष 2014–15 में (सितम्बर, 2014 तक) वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अग्रिम का क्षेत्रवार विवरण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4–वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अग्रिम 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक)

(रूपये करोड़)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	40761.19	18802.08	46.1
कुटीर एवं लघु उद्योग	11536.21	6911.05	59.9
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	11020.26	5196.65	47.2
कुल	63317.66	30909.78	48.8

2.23 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 18,802.08 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद कुटीर एवं लघु क्षेत्र के अन्तर्गत 6,911.05 और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 5,196.65 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में कुटीर

एवं लघु उद्योग क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशतता (59.9 प्रतिशत) इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशतता (47.2 प्रतिशत) तथा कृषि क्षेत्र में प्रतिशतता (46.1 प्रतिशत) रही।

सहकारी बैंक

2.24 सहकारी बैकों ने सितम्बर, 2014 तक 4,769.52 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जबकि लक्ष्य 13,029.86 करोड़ रूपये था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 36.6 प्रतिशत रहा। क्षेत्रवार विवरण **तालिका–2.5** में दिया गया है ।

तालिका 2.5– सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक)

(रूपये करोड़)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	11970.94	4520.85	37.8
कुटीर एवं लघु उद्योग	495.33	35.86	7.2
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	563.59	212.81	37.8
कुल	13029.86	4769.52	36.6

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक

2.25 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 546.96 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध सितम्बर, 2014 तक 81.18 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो कि लक्ष्य का 14.8 प्रतिशत था। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वर्ष 2014–15 की क्षेत्रवार विवरण **तालिका–2.6** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.6– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक)

(रूपये करोड़)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	438.66	73.65	16.8
कुटीर एवं लघु उद्योग	40.71	0.43	1.1
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	67.58	7.10	10.5
कुल	546.95	81.18	14.8

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

2.26 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने वार्षिक ऋण सितम्बर, 2014 तक कुल 179.57 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये जबकि वार्षिक लक्ष्य 260 करोड़ रूपये था। इस प्रकार यह उपलब्धि 69 प्रतिशत रही। क्षेत्रवार विवरण **तालिका–2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7– भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक)

(रूपये करोड)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	–	–	–
कुटीर एवं लघु उद्योग	260	179.57	69
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	–	–	–
कुल	260	179.57	69

स्त्रोतः– संयोजक बैंक, पंजाब नैशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 (एच.एस.ए.आर.डी.बी.)

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा सहकारिता समिति के अधीन हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई है। इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में समायोजित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 1 अप्रैल, 2014 से 31–12–2014 तक 9,144.70 लाख रूपये के ऋण वितरित किये जबकि वार्षिक लक्ष्य 30,000 लाख रूपये था। यह राशि वार्षिक लक्ष्य का 30.48 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की वर्ष 2014–15 की उपलब्धियों का क्षेत्रवार विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है:–

तालिका 2.8– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(लाख रूपये)

क्रं0स0	क्षेत्र व स्कीम	वर्ष 2014–15 के लक्ष्य	उपलब्धियॉ 1–4–2014 से 31–12–2014
1	लघु सिंचाई	7200.00	3238.87
2	कृषि मशीनीकरण	2100.00	215.65
3	भूमि विकास	3000.00	884.55
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	2100.00	568.50
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	2100.00	1536.95
6	ग्रामीण आवास योजना	2400.00	283.03
7	गैर कृषि क्षेत्र	2700.00	1712.35
8	भूमि खरीदने हेतु	2100.00	261.72
9	ग्रामीण भण्डारण	300.00	12.00
10	अन्य	6000.00	431.08
	कुल	30000.00	9144.70

2.29 क) हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की गई है:–

- ग्रामीण आवास योजना
- कृषि भूमि की खरीद
- कम्मबाईन हारवैस्टर
- स्ट्रारीपर
- स्ट्राबैरी की खेती
- स्वयं रोजगार हेतु वाणिज्यिक डेयरी
- कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू स्कीम
- किसानों को दो पहिया वाहन हेतु ऋण देना
- पशुगृह स्कीम
- औषधीय एवं सुगन्धित पौधो के लिए ऋण
- सामुदायिक भवननिर्माण हेतु ऋण
- ग्रामीण भण्डारण योजना
- ग्रामीण शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना विकास हेतु ऋण
- विवाह सामारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना एवं प्रौधोगिकी सम्बन्धित क्रियाएं व अन्य सेवाएं
- बैंक ने बेकार बन्द टयूबवैलों की जगह नए सम्बमंर्सिवल टयूबवैल लगवाने हेतु नई स्कीम चालू की गई है।
- खाद तैयार करने हेतु ऋण।

2.30 इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा किसानों के व्यापक हित के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है:–

- कृषि हेतु जमीन खरीदने के लिए ऋण की राशि 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दी गई है।

- धरोवर राशि के लिए खेती की जमीन का मूल्यांकन नवीनतम विक्रय आंकडों के आधार पर लागू किया गया है।
- किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अब ट्रैक्टर की कीमत के ढेड़ गुणा राशि की भूमि को रहन किया जाता है।
- 2 लाख रूपये तक के ऋण के लिए तृतीय पार्टी भुगतान खत्म कर दिया गया है।
- गैर कृषि क्षेत्र ऋण हेतु तृतीय पार्टी की कृषि भूमि व वाणिज्यिक सम्पति को रहन रखने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
- राज्य सरकार ने 15 अक्तूबर, 2003 से कृषि सम्बन्धित कार्यो के लिए सहकारी ऋणों पर भूमि रहन के लिए स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि अधिनियम, 1984 के अर्न्तगत धारा 104 को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी एक मात्र किसान की गिरफतारी सम्भव नही है।

2.31 बैंक ने दिनांक 09–06–2014 से सभी उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 13.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर संशोधित कर दी है। इससे पहले ब्याज की दर 14 से 15 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा केवल 2.5 प्रतिशत एवं हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का 1.2 प्रतिशत है।

2.32 वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण वापस करने वाले ऋणियों के लिये ब्याज राहत योजना लागू की थी जिसके अन्तर्गत ब्याज में छूट बढाकर 5 प्रतिशत कर दी है। दिनांक 01–01–2010 से 30–9–2014 तक 1,25,032 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में प्रदान की जा चुकी है। परन्तु इस योजना में 25–8–2014 से ब्याज माफी में संशोधन कर इसे 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए कर दिया है। इस योजना के तहत 01–01–2010 से 30–12–2014 तक लगभग 1,42,623 (लगभग) ऋणी किसानों को 89.25 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है।

2.33 वसूली सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना उन ऋणी किसानों के लिये लागू की है जो ऋणी किसान 30–6–2013 तक अपने मूलधन एवं ब्याज की किस्त का किसी कारणवश समय पर भुगतान नही कर सके तथा डिफालटर हो गये। इस योजना के तहत कोई भी डिफालटर ऋणी यदि अपने ऋण का 30–06–2014 तक भुगतान करता है तो उसका 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया जायेगा जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा व 2 प्रतिशत दण्डित ब्याज माफ किया जायेगा। दण्डित ब्याज 2 प्रतिशत हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा व जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा (50:50) के अनुपात में वहन किया जायेगा। यह योजना 31–12–2014 को बन्द कर दी गई है। दिनांक 10–11–2013 से 31–12–2014 तक 19,586 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। लाभ की राशि 60.70 करोड़ रूपये रही तथा 12.91 करोड़ रूपये (अंतरिम) का दण्डित ब्याज माफ किया गया।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.34 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य के किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 48 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि के लिए सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार शाखाएं है तथा जिला स्तर पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक (सी.सी.बी.) कार्यरत है जिनकी 594 शाखाएं हैं, 656 प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ जोकि अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.43 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं।

2.35 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर, 1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में निखरा है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। चालू वित्त वर्ष में 28–02–2015 तक इस बैंक की कार्यशील पूंजी 7,217.43 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.9**) ।

तालिका 2.9– हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़)

क्र0 सं	विवरण	2013–14	2014–15 (फरवरी, 2015)
1	हिस्सा पूंजी	119.10	128.24
2	निजि कोष	538.12	541.14
3	अमानतें	2057.34	2041.57
4	उधार राशि	3941.97	4237.57
5	ऋण दिये	5627.14	6190.85
6	बकाया ऋण	5184.58	5654.38
7	लाभ/हानि	21.98	-
8	वसूली (प्रतिशत)	99.95	-
9	अतिदेय व ऋण अनुपात (प्रतिशत)	0.05	-
10	एन.पी.ए. (प्रतिशत)	0.05	-
11	कार्यशील पूंजी	6604.68	7217.43

2.36 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों की तुलनात्मक (फसलवार) स्थिति इस प्रकार है:-

तालिका 2.10– केन्द्रीय सहकारी बैंकों के (फसलवार) अग्रिम ऋण

क) खरीफ फसल **(रूपये करोड़)**

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2013	3560	190	3750	3574.12	139.64	3713.76
2014	3880	195	4075	3782.23	137.83	3920.06
ख) रबी फसल						
2013–14	3859	291	4150	3862.21	217.56	4079.77
2014–15	4175	305	4480	4221.82	267.08	4488.90 (10.02.2015)

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एस.टी.सी.सी.एस.) हेतु पुनरूद्धार पैकेज का कार्यान्वयन

2.37 किसानों के हितों के लिए नवम्बर, 2014 तक 13.22 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 6 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की गई है। ग्रामीण निवासियों के फायदे के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पी.ए.सी.एस. के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत सदस्यों द्वारा 50,000 रूपये जमा करने पर बैंक द्वारा उनकी गारन्टी दी जा रही है।

2.38 राज्य में अपैक्स बैंक 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों (सी.सी.बी.) के माध्यम से 10 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वीकृति एवं उपयोगिता सीमा की स्थिति इस प्रकार है:–

तालिका 2.11– स्वीकृति एवं उपयोगिता सीमा की स्थिति

(रूपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत सीमा	अपैक्स बैंक से सी. सी.बी. द्वारा उपयोगिता सीमा	सी.सी.बी. से चीनी मिल की उपयोगिता सीमा (अधिकतम अन्य स्त्रोत वर्ष के दौरान)
2012–13	522.00	148.00	534.19
2013–14	597.80	120.00	503.88

2.39 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतू सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये केन्द्र सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20–02–2007 को एक आश्य पत्र हस्ताक्षर किया। इस आडिट के आधार पर वित्तीय सहायता को 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार

29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक 499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। शेष राशि 163.30 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी अपेक्षित है। इस पैकेज़ के अंतर्गत राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा की गई और इस लेखापरीक्षा के आधार पर दो केन्द्रीय सहकारी बैंक भिवानी व रोहतक के लिए 22.61 करोड़ रूपये (1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 21.34 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्सा) की वित्तीय सहायता आंकी गई तथा 1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा इन बैंको को जारी कर दिया गया है। जींद व पंचकूला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 4.24 करोड़ रूपये की हिस्सा पूंजी को ग्रांट इन एड में परिवर्तित कर दिया गया है।

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना 2014–15

2.40 भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण का निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया तथा जिन किसानों ने वर्ष 2014–15 में फसली ऋण लिया है या लेंगें के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राहत प्रदान की गई, इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01–04–2009 से फसली ऋण की प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है। राज्य सरकार चालू रबी फसल 2014–15 (1–9–2014 से 28–2–2015) के दौरान लिए जाने वाले फसली ऋण की समय पर अदायगी करने पर किसानों को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज राहत देगी। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 0 प्रतिशत होगी।

किसानों द्वारा रहन की गई अतिरिक्त भूमि को मुक्त करना

2.41 राज्य सरकार द्वारा घोषित जिन किसानों की उनके ऋण के विरूद्ध एक या डेढ़ गुणा भूमि से अधिक की जो डी.सी. रेट पर मूल्यांकन रहन की गई है उसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मुक्त कर दिया जाएगा। जिससे 28,386 किसानों की 39,095 एकड़ अतिरिक्त भूमि मुक्त किये जाने का अनुमान है। आर.सी. सी. योजना के अर्न्तगत अक्तूबर, 2014 तक 3,605 किसानों की 11,695 एकड़ भूमि मुक्त की गई है।

प्राथमिक सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदारों की ऋण सीमा में बढ़ौत्तरी

2.42 राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिनमें ग्रामीण दस्तकार व छोटे दुकानदार सम्मिलित है कि अधिकतम ऋण सीमा 25,000 रूपये से बढ़ाकर 35,000 रूपये कर दी गई है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों के सदस्यों हेतू राज्य ऋण राहत योजना।

2.43 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिसमें ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों हेतु ऋण माफी योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 30–06–2009 को अतिदेय ऋण पर 10,000 रूपये की मूल राशि व ब्याज माफी दी जानी थी। अभी तक वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 में कुल 245.67 करोड़ रूपये के क्लेम की मूल राशि तीन किस्तों में राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। इस योजना की 174.80 करोड़ रूपये की ब्याज राहत राज्य सरकार द्वारा दी जानी शेष है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.44 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' 70 वर्ष तक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लागू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत कार्ड धारक का मात्र 4.85 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.50 रूपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 3.45 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।

प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन (OTS) योजना– 2013

2.45 प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन (OTS) योजना–2013–राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के उन सदस्यों को जो किसी कारणवश उनकी ओर देय ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाए तथा 31–03–2013 को समिति के डिफाल्टर हैं, उनके अतिदेय ऋण पर ब्याज राहत प्रदान करने के उद्देश्य हेतु एक मुश्त निपटान योजना बनाई गई। इस स्कीम के अंतर्गत फसली ऋण पर किसानों को 31–03–2013 तक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज राहत दी गई। मध्यावधि कृषि व गैर कृषि ऋणों पर भी जो 31–3–2013 को अतिदेय थे उन पर भी 50 प्रतिशत की ब्याज राहत प्रदान की गई। योजना की कार्य अवधि 10 नवम्बर, 2013 से 30 जून, 2014 तक थी इस स्कीम के अंतर्गत 34,661 ऋणियों को 17.75 करोड़ रूपये की राहत प्रदान की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य

सरकार से अभी तक 14.61 करोड़ रूपये ब्याज राहत प्राप्त हुई है। शेष 3.14 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा अभी जारी की जानी है।

2.46 बैंक द्वारा ऋणों पर ब्याज की दरों का विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12– हरको बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर

क्रम संख्या	ऋण का विवरण	ब्याज की दर (प्रतिशत में)			
		नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक	अपैक्स बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को	केन्द्रीय सहकारी बैंकों से पैक्स को	पैक्स से सदस्यों को
1	2	3	4	5	6
1	फसली ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड लोन	4.50	5.00	5.50	7.00
2	व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों हेतु	–	9.00		
3	ग्रामीण दस्तकारों को (निजि कोष)	–	9.00		
4	रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम	–	9.25		
5	लधु अवधि फर्टिलाईजर ऋण		9.00		
6	नोन फार्म फाईनैंस स्कीम	नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक	अपैक्स बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को		
क.	लघु सिंचाई एस0जी0एस0वाई, एस0एच0जी0, अनु0जाति अनु0जनजाति कार्य योजना सूखी जमीन की जोत	10.00	10.50		
ख	ग्रामीण गोदाम	10.00	10.50		
ग	नोन फार्म फाईनैंस; (ए0आर0एफ0)	10.00	10.50		

2.47 हरको बैंक की मुख्य ऋण एवं अग्रिम ऋण योजनाएं इस प्रकार हैः–

1. फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड)
2. सहायक कार्यों के लिए ऋण
3. रिवोल्विंग कैष क्रेडिट स्कीम
4. ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण
5. उपभोक्ता ऋण
6. मध्यावधि ऋण योजना
7. फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण

2.48 हरको बैंक द्वारा विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वह इस प्रकार हैः–

1. उद्यमी ऋण योजना
2. छोटी सड़क व पानी पहुॅचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.)
3. कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
4. सीमांत राशि के लिए हल्के ऋण सहायता स्कीम
5. समाज के अन्य वर्गों के लिए ऋण

खजाना तथा लेखा

2.49 इस समय राज्य में 21 जिला खजाने तथा 85 उप–खजाने कार्य कर रहे हैं। यह खजाने राज्य के संचय निधि खाते तथा जनता के लेखों से सम्बन्धित आरम्भिक आवती तथा अदायगियों के लेखे तैयार करके प्रत्येक मास दो बार महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। ये खजाने/उप खजाने नान पोस्टल स्टाम्पस अफीम तथा अन्य करोड़ों रूपये की मूल्यवान वस्तुओं के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। इस विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए समेकित वित्त एवं मानव संसाधन सूचना प्रबन्धन प्रणाली

(आई.एफ.एण्ड. एच.आर.एम.आई.एस.) को विकसित करने बारे कार्यवाही की जा रही है। इस प्रोजैक्ट से बजट नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ है, नकद प्रवाह प्रणाली में सुधार हुआ है, प्रतिदिन लेखों का समायोजन, लेखों का समय पर तैयार करना, जनता को देय प्रणाली में स्पष्टता व दक्षता आई है। बढ़िया वित्तीय प्रबन्धन के साथ–साथ राज्य के प्रबन्धन की क्षमता में सुधार हुआ है। एच.आर.एम.आई.एस. प्रणाली के आने से इसका आई.एफ.एम.एस. के साथ एकीकरण होने से वेतन के बिल तैयार करने और इनके प्रस्तुत करने, पैंशन प्रबन्धन, कर्मचारियों के अग्रदान एवं प्रतिपूर्ति, सेवा अभिलेखों का तैयार करना आदि बिना हस्तलिखित कार्य के सम्भव हुआ है।

***

3

कीमतें तथा खाद्य एवं पूर्ति

वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। कीमत स्तर में स्थिरता का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू.पी.आई.) के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों पर आधारित होते हैं जिस पर थोक लेन देन की कीमत आधारित है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता स्थानीय बाजार में खुदरा भावों पर वस्तुओं को खरीदता है। खा़द्य वस्तुओं में निरंतर वृद्धि, विशेषतयाः गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जबकि मुद्रास्फीति में तीन से चार अंक तक की वृद्धि अर्थव्यवस्था में संकेतक है यह उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और उपभोग को हतोउत्साहित नहीं करती। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

3.2 राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक को **तालिका 3.1** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2009–10 में 878.6 से बढकर वर्ष 2013–14 में 1,220.9 हो गया एवं वर्ष 2013–14 तक की अवधि में 39 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 8.8 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 3.1– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
2009–10	878.6
2010–11	979.7
2011–12	1065.7
2012–13	1143.1
2013–14	1220.9

3.3 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की मास–वार गति का अध्ययन करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक को **तालिका 3.2** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह दिसम्बर, 2013 में 1,226.5 से बढ़कर दिसम्बर, 2014 में 1,276.1 अंक हो गया जोकि 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, गुड़ एवं अन्य फसलों के भाव में क्रमशः 6.7, 6.9 तथा 13.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

तालिका 3.2– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2013	1226.5
जनवरी, 2014	1219.7
फरवरी, 2014	1223.6
मार्च, 2014	1228.3
अप्रैल, 2014	1238.7
मई, 2014	1248.3
जून, 2014	1254.9
जुलाई, 2014	1269.1
अगस्त, 2014	1273.4
सितम्बर, 2014	1276.4
अक्तूबर, 2014	1279.2
नवम्बर, 2014	1278.1
दिसम्बर, 2014	1276.1

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हरियाणा में ग्रामीण उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.4 ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उददेश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न 24 गांवों से, जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत हैं, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

3.5 खाद्य ग्रुप और सामान्य ग्रुप से सम्बन्धित ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2008–09 में एक ही गति से वृद्धि हुई, परन्तु उसके बाद खाद्य ग्रुप में वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक सामान्य ग्रुप की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2013–14 तक सामान्य ग्रुप के सूचकांक में 53.1 प्रतिशत की वृद्वि हुई जबकि खाद्य ग्रुप में 63.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2008–09 से वर्ष 2013-14 तक को **तालिका 3.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तलिका 3.3– हरियाणा में ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2008–09	416	405
2009–10	491	460
2010–11	537	496
2011–12	586	537
2012–13	638	580
2013–14	682	620

3.6 वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) की गति का मासवार दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक को **तालिका 3.4** में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2013 में 619 अंक था जो कि दिसम्बर, 2014 में बढ़कर 647 अंक हो गया, जो कि 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आकृति 3.1 – हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिये वर्ष–वार और केन्द्र–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1982=100)

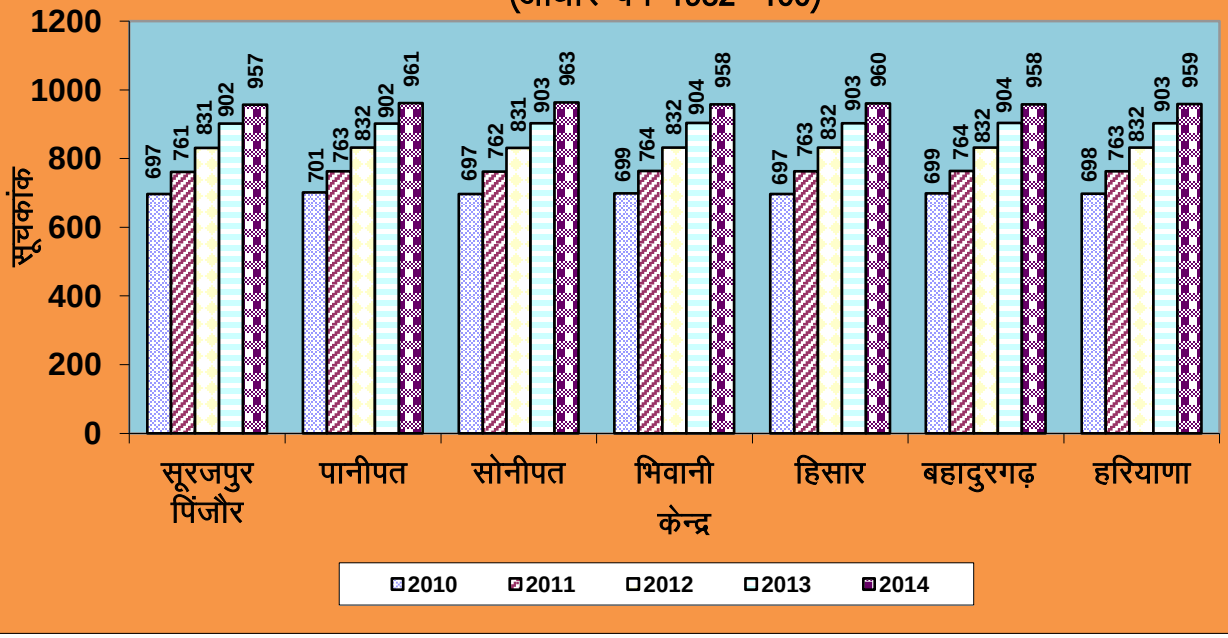

आकृति 3.2 – हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिए माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1982=100)

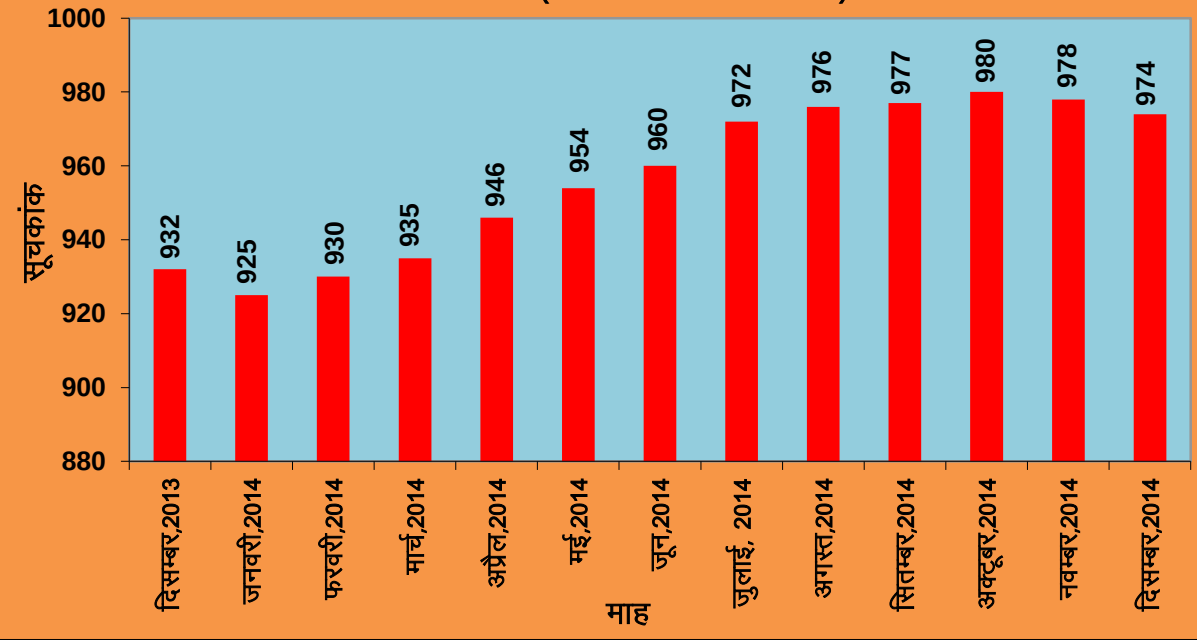

तालिका 3.4– हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक (आधार वर्ष 1988–89=100)
दिसम्बर, 2013	619
जनवरी, 2014	614
फरवरी, 2014	618
मार्च, 2014	622
अप्रैल, 2014	629
मई, 2014	636
जून, 2014	640
जुलाई, 2014	646
अगस्त, 2014	649
सितम्बर, 2014	650
अक्तूबर, 2014	652
नवम्बर, 2014	650
दिसम्बर, 2014	647

श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.7 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2010 से 2014 तक को **आकृति 3.1** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2013 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014 में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014 में केन्द्रवार सोनीपत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (6.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि सूरजपूर पिन्जौर में सबसे कम (6.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक को **आकृति 3.2** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2013 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 932 अंक था जो कि दिसम्बर, 2014 में बढ़कर 974 अंक हो गया, जिसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

खाद्य तथा पूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.8 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना है जिसमें अन्तोद्या अन्न योजना परिवार विभाग की एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में 2,66,428 अन्तोद्या अन्न योजना+बेघर, 4,75,837 सी.बी.पी.एल. और 3,93,435 एस.बी.पी.एल.परिवार लाभार्थी है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने पर अगस्त, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक 9,09,409 टन गेहूं 2 रूपये किलो की रियायती दरों पर लाभार्थियो को वितरित किया गया है।

3.9 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 20–08–2013 से लागू किया गया है। राज्य में इस नए अधिनियम में पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है क्रमशः अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार। अन्तोद्या परिवारों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रूपये प्रति किलो की दर से उच्च रियायती दरों पर तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं इसी दर पर वितरित किया जाएगा। दाल रोटी योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार ने गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को 2.5 किलोग्राम दाल 20 रूपये प्रति किलो प्रतिमाह की रियायती दरों पर प्रति परिवार वितरित की जाएगी ताकि उनके पोषण तथा प्रोटीन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

खरीद

3.10 खाद्य तथा पूर्ति विभाग खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उनको उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। खरीद देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत करती है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2014–15 के दौरान खरीद संस्थाओ द्वारा 65.08 लाख टन गेहूं 1,400 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। दिनांक 27–11–2014 तक खरीद संस्थाओं ने राज्य में चावल की न्यूनतम समर्थन मूल्य 29.67 लाख टन खरीद की है। वर्ष 2005–06 से खरीद तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य विस्तार से **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5–राज्य में सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	गेहूं खरीद (लाख टन)	गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूपये में)	धान खरीद (लाख टन)	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य		बाजरा खरीद (लाख टन)	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूपये में)
				सामान्य (रूपये में)	ग्रेड–ए (रूपये में)		
2005–06	45.29	640	23.56	570	600	0.05	525
2006–07	22.30	650+50 बोनस	20.47	580+40 बोनस	610+40 बोनस	–	540
2007–08	33.50	750+100 बोनस	17.85	645+100 बोनस	675+100बोनस	1.23	600
2008–09	52.37	1000	18.22	850+ 50 बोनस	880+50 बोनस	3.10	840
2009–10	69.24	1080	26.36	950+50 बोनस	980+50 बोनस	0.77	840
2010–11	63.47	1100	24.82	1000	1030	0.74	880
2011–12	69.28	1120+50 बोनस	29.66	1080	1110	0.18	980
2012–13	87.16	1285	38.53	1250	1280	–	1175
2013–14	58.56	1350	35.87	1310	1345	–	1250
2014–15	65.08	1400	29.67	1360	1400	–	1250

भण्डारण

3.11 खाद्य एवं पूर्ति विभाग सहित खरीद एजैंसियों के पास दिनांक 31–12–2014 को 93.16 लाख टन क्वर्ड भण्डारण क्षमता थी। इसमें से 31.47 लाख टन क्षमता के गोदाम पी.ई.जी. स्कीम, 2008 के तहत बनाए गए हैं। दिनांक 31–3–2015 तक पी.ई.जी. स्कीम के तहत 4.77 लाख टन क्षमता के गोदाम बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सूक्ष्म स्तर पर अगले पांच वर्षों में 22 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण का आकलन किया है और इसमें से 1.29 लाख टन के गोदामों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। राज्य की खरीद एजैन्सियों द्वारा अगले पांच वर्षों में 20.71 लाख टन के क्वर्ड गोदाम राज्य में बनाए जायेंगे। खाद्य पूर्ति विभाग वर्ष 2015–16 में 92,554 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेंगी। जिसके लिए विभाग द्वारा 2015–16 के प्लान बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986

3.12 उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां है। हरियाणा राज्य के सभी 21 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

3.13 राज्य में खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निदेशालय में उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बरः 1800–180–2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12–08–2013 से कार्यरत है। हैल्पलाईन हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदशन करने में कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय (दिनांक 12–08–2013) से 28–02–2015 तक लगभग 7,305 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 83 प्रतिशत शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

विधिक माप विज्ञान

3.14 केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओ के हित में सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि बाट एवं माप के मानक नियमित, प्रदत किए जा सके तथा अन्य ऐसे मामलें विक्रय अथवा वितरण माप, तोल और संख्या में किया जाता है ताकि व्यापार अथवा वाणिज्य को विनिमित किया जा सके। वर्ष 2014–15 के दौरान 10.60 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया था जिसमें राजस्व प्राप्ति के रूप में 10.57 करोड़ रूपये 31–01–2015 तक विधिक माप विज्ञान संगठन (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग) द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

ईंट–भटटे

3.15 हरियाणा में पूर्वी पंजाब ईट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 बनाया गया। हरियाणा में 2,959 ईंट–भट्टा लाईसेन्स दिनांक 31–01–2014 तक कार्यरत है। साधारण जनता तथा सरकारी विकास हेतू ईंटें उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य से बाहर जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इस अधिनियम के अनुसार पुरानी जिनमें ईन्टों की कीमतों को निर्धारित करना, ईन्टों के लिये परमिट जारी करना, उत्पादन तथा बिक्री से सम्बन्धित मासिक रिकार्ड भेजना इत्यादि शामिल है, को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उदारीकरण कर दिया गया है।

स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

3.16 स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का हरियाणा के 4 विभिन्न जिलों के 4 ब्लाकों नामित अम्बाला–1, घरौंडा, सोनीपत और सिरसा में कागज आधारित राशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड से प्रतिस्थापित करके कार्यान्वित किया जा रहा है। पायलट फेस के दौरान 6,46,435 निवासियों का नामांकन हो चुका है। 1,47,883 परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड उनके वर्गो के अनुसार जैसे ए.पी.एल, बी.पी. एल. तथा ए.ए.वाई के अनुसार जारी किये गये। परिवारों के वर्गो के अनुसार स्मार्ट कार्ड भी अलग–2 रंगो (जैसे ए.ए.वाई. के लिये गुलाबी, बी.पी.एल. के लिए पीला, ए.पी.एल. के हरा) के हैं, जुलाई, 2012 से गेहूं, चीनी तथा केरोसिन तेल (ए.ए.वाई. के लिये गुलाबी, बी.पी.एल.) स्मार्ट कार्ड से वितरित किये जा रहे है। परियोजना का उद्धेश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जवाबदेही, दक्षता एवं प्रादर्शिता बढ़ाने के लिए है। इन चार ब्लाक में परियोजना के सफल कार्यान्वयन से नकली राशन कार्डो की रोकथाम और आपूर्ति क्षृंखला में शेयर के हकदार को पूरा लाभ प्राप्त हुआ है। डिपो मालिक बॉयोमीट्रिक मिलान के बाद ही वस्तुओं को जारी करने में समर्थ होता है। यह नागरिक सेवा में एक महत्वपूर्ण सुधार हैं। दिनांक 17–05–2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सशक्त समिति की हुई 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार इस योजना को 4 पायलट ब्लॉक में ही पूरी तरह से लागू करेगी तथा शेष जिलो में कार्यान्वित नहीं करेगी।

लक्षित खाद्यान्न वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूट्रीकरण

3.17 लक्षित खाद्यान्न वितरण प्रणाली का आदि अन्त तक गैर योजना आवश्यक वस्तु वितरण को सम्राट कार्ड में शामिल कर दिया गया है। लक्षित खाद्यान्न वितरण प्रणाली का आदि अन्त तक कम्प्यूट्रीकरण भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2012 के अनुसार स्मार्ट कार्ड के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण को समावेश के अन्तर्गत कर लिया गया है। प्रत्येक गतिविधि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क ब्यौरे (डाटा) का डिजिटाईजेशन पूरे राज्य के राशन कार्डो का डिजिटाईजेशन करने का फैसला 29–05–2014 को हुई बैठक में किया गया। एन.आई.सी. ने आज तक बने हुए राशन कार्डों के प्रबन्धक का सोफटवेयर को राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम द्वारा बनाया गया है। सभी जिलाधीशों को अर्धसरकारी पत्र से दिनांक 31–10–2014 के द्वारा निवेदन किया गया कि कार्य को 3 महीने के दौरान पूरा करें। दिनांक 31–12–2014 तक 15,72,222 परिवारों के राशन कार्डों का डिजिटाईजेशन पूरा हो चुका है।

ख राशन डिपो के ब्यौरे (डाटा) का डिजिटाईजेशन राशन उपभोक्ता पहचान प्रबन्धक व्यवस्था (SIMS) के अन्तर्गत 9,130 राशन डिपो के एफ.पी.एस. का मुख्य ब्यौरा पूरा किया जा चुका है। जिला खाद्य एवं पूर्ति कार्यालयों के कर्मचारियों को अप्रैल, 2014 में राशन कार्डों के ब्यौरे में नामों को जोडने, हटाने तथा परिवर्तन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ग गोदाम तथा एजेन्सी के ब्यौरे का अंकरूपण डिजिटाईजेशन राशन उपभोक्ता पहचान प्रबन्धक व्यवस्था के अन्तर्गत 374 गोदामों के ब्यौरे को पूरा किया जा चुका है। जिला खाद्य एवं पूर्ति कार्यालयों के कर्मचारियों को गोदाम से सम्बन्धित ब्यौरे में कुछ लिखने, जोडने, काटने या परिवर्तन करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को इस ब्यौरे को निरन्तर अपडेट करने बारे निर्देश दिए जा चुके है।

घ विभागीय पारदर्शिता पोर्टल (http://haryanafood.gov.in) इन्टरनेट पर उपलब्ध है और नियमित तौर पर अपडेट किया जा रहा है। हारट्रोन इस पोर्टल को द्विभाषीय बनाने के लिए प्रयासरत है।

ड वितरण प्रणाली प्रबन्धक का कम्प्यूट्रीकरणः हरियाणा प्रदेश का वितरण प्रणाली प्रबन्धक के कम्प्यूट्रीकरण की जिम्मेदारी एन.आई.सी. को सौंप दी गई।

च शिकायत निवारण हेतू टोल फ्री नम्बर तथा ऑनलाईन व्यवस्था का प्रबन्ध पी.डी.एस. की शिकायत निवारण हेतू हेल्पलाईन न0 **1800–180–**2090 तथा 1967 जनता की सेवा के लिए कार्यरत है। आनलाईन शिकायत निवारण हेतू **हरसमाधान** इन्टरनेट पर भी शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध है।

नागरिक केन्द्रित सेवाएं

3.18 उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं पी.आर. केन्द्रों पर उपल्बध है। जनवरी, 2015 तक विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन सेवाओं से सम्बन्धित 8.34 लाख से भी ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निर्धारित समय अवधि में निपटान किया जा चुका है। सेवाओं के विस्तार एवं समय सीमा को प्रमुखता से सभी क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति विभाग, के कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।

3.19 जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू अगस्त, 2011 से राशन कार्ड से सम्बन्धित सात सेवाओं जैसे नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, समर्पण प्रमाण पत्र, नया सदस्य शामिल/काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा (जैसा नीचे दर्शाया गया है) में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये थे। आवेदन पत्रों को नए सिरे से बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

क्रमांक	**सेवा का नाम**	**समय सीमा (दिनों में)**	**सक्षम अधिकारी जिसे शिकायत की जानी है**
1.	आवेदन फार्म प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना (डी–1)	15	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक
2.	समर्पण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना	7	–सम–
3.	डुपलीकेट राशन कार्ड जारी करना	7	–सम–
4.	परिवार के सदस्य दर्ज करना/काटना	7	–सम–
5.	पता बदलना (जब क्षेत्र न बदलना हो)	7	–सम–
6.	पता बदलने के साथ उचित मूल्य की दुकान का बदलना	7	–सम–
7.	समर्पण पत्र जारी करना	3	–सम–

***

4

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य के गठन के समय से ही लोगों के लिए कृषि मुख्य साधन और प्रमुख व्यवसाय रहा है। कृषि क्षेत्र हमेशा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण घटक रहा है। राज्य में हरित क्रान्ति आई जिसने कृषि क्षेत्र के विकास को विशेष बढ़ावा दिया। राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध गतिविधियों क्षेत्र का अंश कम होकर मात्र 14.1 प्रतिशत रह गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो मे उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के अनुभवों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के लगाातार तथा तेज विकास के बिना सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि राज्य में तीव्र मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का विकास राज्य अर्थव्यवस्था के संपादन में निरन्तर एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का विकास

4.2 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र कृषि, वानिकि एवं लोगिंग और मत्स्य पालन उपक्षेत्रों से बना है। कृषि क्षेत्र जिसमें पशुपालन और फसलों की खेती शामिल है, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 94 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और मत्स्य पालन उपक्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत है जिससे इन दो उपक्षेत्रों का कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

4.3 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) और इससे आगे के वर्षों में कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में दर्ज की गई विकास दर **तालिका 4.1** में दर्शाई गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र ने 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2012–13 के अन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि सहबद्ध क्षेत्र की राज्य अर्थव्यवस्था में 0.6 प्रतिशत की नकारात्मक वद्धि दर्ज की गई। कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र की व्यक्तिगत विकास दर क्रमशः (–) 0.8, 3.0 तथा 5.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2013–14 के द्रुत अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3.1 प्रतिशत आंकी गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र की व्यक्तिगत विकास दर क्रमशः 3.1, 3.5, तथा (–) 5.3 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 के अग्रिम अनुमानो के अनुसार कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र में 0.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 4.1– कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2007–12	2012–13 (अः)	2013–14 (द्रुः)	2014–15 (अग्र.)
कृषि एवं पशुपालन	3.8	–0.8	3.1	–0.5
वानिकी तथा लोगिंग	2.4	3.0	3.5	3.5
मत्स्य	12.0	5.2	–5.3	26.6
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	**3.8**	**–0.6**	**3.1**	**–0.1**

अः अन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कृषि सूचकांक

4.4 फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उत्पादन व उपज सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) **आकृति 4.1 व 4.2** में वर्ष 2007–08 से वर्ष 2013–14 तक दर्शाये गये हैं। फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2012–13 में 112.83 था जो कि वर्ष 2013–14 में घटकर 104.99 हो जाएगा। कृषि उत्पादन

सूचकांक 2012–13 में 115.65 था व वर्ष 2013–14 में घटकर 115.58 होने का अनुमान है और इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक भी बढ़कर वर्ष 2012–13 में 102.50 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 110.09 हो जाएगा। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2012–13 में 113.29 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 118.21 हो जाएगा जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 120.70 से घटकर वर्ष 2013–14 में 109.94 होने का अनुमान है।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र, पैदावार एवं उत्पादकता

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

4.5 राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र 62.43 लाख हैक्टेयर था जो कि वर्ष 2014–15 में सकल बोया गया क्षेत्र के समान है **(तालिका 4.2)**।

4.6 वर्ष 2014–15 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 58.64 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2013–14 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 24.99 लाख हैक्टेयर जबकि 2014–15 के दौरान 24.78 लाख हैक्टेयर होने की सम्भावना है। वर्ष 2013–14 में चावल के अधीन क्षेत्र 12.28 लाख हैक्टेयर से घटकर वर्ष 2014–15 के दौरान 11.83 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव रहा है।

तालिका 4.2 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966-67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970-71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980-81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990-91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000-01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005-06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2006-07	2376	1042	4348	141	527	622	6407
2007-08	2461	1073	4477	140	482	511	6458
2008-09	2462	1211	4621	91	456	528	6500
2009-10	2488	1206	4541	79	505	523	6419
2010-11	2504	1243	4700	85	493	515	6499
2011-12	2531	1234	4581	95	602	546	6489
2012-13	2497	1206	4302	101	593	568	6376
2013-14	2499	1228	4357	102	564	549	6243
2014-15 (अनन्तिम)	2478	1183	4390	113	638	550	6243

स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा और कृषि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का उत्पादन

4.7 राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान मात्र 25.92 लाख टन था जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 183.70 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि लगभग सात गुणा वृद्वि दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 2013–14 के दौरान गेहूं का उत्पादन 118 लाख टन था तथा वर्ष 2013 के दौरान चावल की पैदावार 39.98 लाख टन हुई। वर्ष 2014–15 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 162.41 लाख टन होने का अनुमान है। चावल का उत्पादन वर्ष 2014–15 में 37.53 लाख टन होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में गेहूं का उत्पादन 113.99 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2014–15 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 10.02 लाख टन तथा 84.18 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2014–15 में कपास का उत्पादन 18.76 लाख गाठें होने का अनुमान **(तालिका 4.3)** है। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में योगदान करने वाले मुख्य राज्यों में से एक है। 60 प्रतिशत से अधिक बासमती चावल अकेले हरियाणा राज्य से निर्यात किया जाता है ।

आकृति 4.1– हरियाणा के क्षेत्र, औसत उपज और पैदावार के कृषि सूचकांक
(आधार वर्ष: त्रैवर्षीय अन्तिम 2007–08=100)

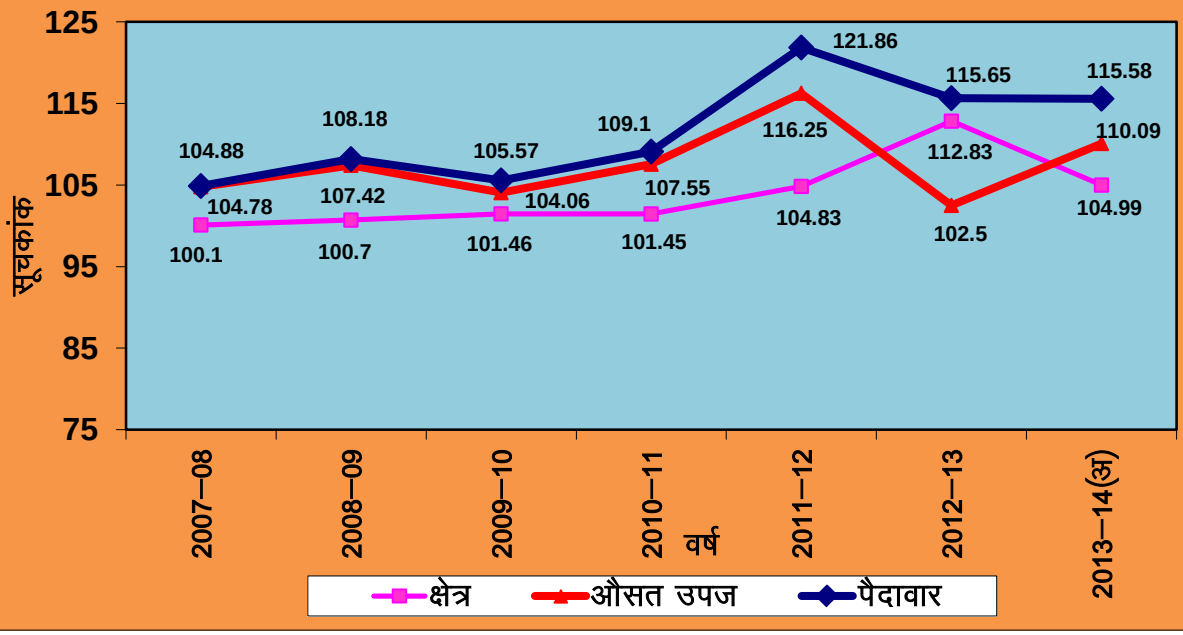

आकृति 4.2– हरियाणा के कृषि उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्ष: त्रैवर्षीय अन्तिम 2007–08=100)

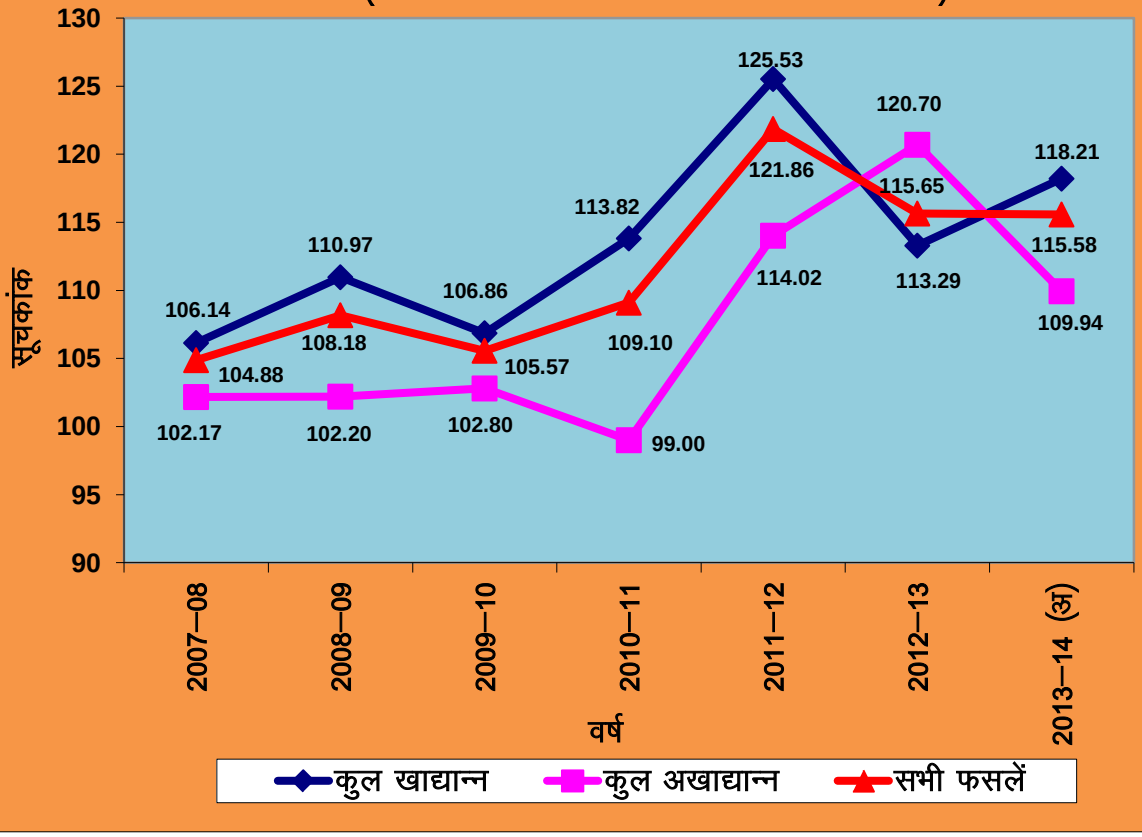

तालिका 4.3–मुख्य फसलों का कृषि उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास (000 गांठें)	गन्ना
1966-67	1059	223	2592	92	288	5100
1970-71	2342	460	4771	99	373	7070
1980-81	3490	1259	6036	188	643	4600
1990-91	6436	1834	9559	638	1155	7800
2000-01	9669	2695	13295	563	1383	8170
2005-06	8853	3194	13006	830	1502	8310
2006-07	10059	3371	14759	837	1805	9651
2007-08	10232	3606	15294	617	1882	8850
2008-09	11360	3299	16178	911	1862	5206
2009-10	10488	3628	15346	862	1919	5707
2010-11	11578	3465	16568	965	1747	6042
2011-12	13119	3757	18370	758	2616	6953
2012-13	11117	3941	16150	968	2378	7500
2013-14	11800	3998	16944	899	2017	7500
2014-15 (अनन्तिम)	11399	3753	16241	1002	1876	8418

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा और कृषि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का उत्पादन

4.8 वर्ष 2013–14 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 4,722, 3,256 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर था। राज्य में वर्ष 2014–15 में गेंहू तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 4,600 तथा 3,172 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 4.4)**।

तालिका 4.4– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की मुख्य फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-01	4106	2557	2708	1901
2005-06	3844	3051	2619	2102
2006-07	4232	3238	2708	2131
2007-08	4158	3361	2802	2203
2008-09	4614	2724	2907	2178
2009-10	4215	3008	2839	2125
2010-11	4624	2788	2988	2239
2011-12	5183	3044	3177	2393
2012-13	4452	3268	3118	2462
2013-14	4722	3256	उ.न.	उ.न.
2014-15 (अनन्तिम)	4600	3172	-	-

स्त्रोतः– भू लेखा विभाग, हरियाणा और कृषि विभाग, हरियाणा।

फसल बीमा योजनाएं

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

4.9 राज्य में पहली बार रबी 2009–10 के दौरान मौसम आधारित फसल बीमा योजना आरम्भ की गई थी। इस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 12 जिलों के 27 ब्लाकों में लागू की जा रही है। गेहूं तथा धान इसकी मुख्य फसलें हैं। पैदावार मानकों की बजाय यह योजना विभिन्न मौसम आधारित मापदण्डों जैसे न्यूनतम वर्षा, अधिक वर्षा, उच्च तापमान तथा शुष्क दिनों की अवधि पर आधारित है। रबी 2013–14 तक 3,58,051 किसानों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। 5,765.42 लाख रूपये का मुआवजा रबी 2013–14 तक दिया गया।

विनिमृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

4.10 विनिमृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पायलट आधार पर पहली बार करनाल व कैथल जिलों में धान फसल को खरीफ 2011 से लागू की गई। अब यह योजना गेहूं व धान फसल पर चार जिलों करनाल, कैथल, रोहतक व जींद में लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है जो कि 2 से 15 प्रतिशत के विभिन्न प्रीमियम चरणों पर निर्भर करता है। सभी मुआवजे कियान्वयन संस्था द्वारा दिये जायेंगे। रबी 2013–14 तक 2,59,416 किसानों को कवर किया गया है तथा 6,169.51 लाख रूपये प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। खरीफ 2013 तक 4,695.48 लाख रूपये मुआवजे के रूप में दिये गये है।

उर्वरक

तालिका 4.5–राज्य में उर्वरकों की खपत

(किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	उर्वरकों की खपत
1990–91	99
2000–01	152
2005–06	173
2006–07	173
2007–08	187
2008–09	199
2009–10	209
2010–11	209
2011–12	224
2012–13	209
2013–14	212
2014–15 (अनुमानित)	213

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

कृषि उत्पादन हेतू की गई पहल

4.11 रबी 2007–08 से भारत सरकार द्वारा दो नई केन्द्रीय संचालित योजनाएं नामतः–राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरटी मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य राज्य में पहचान किये गये जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन वृद्वि से गेहूं व दलहन क्षेत्र व पैदावार में बढोत्तरी करना है। राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरटी मिशन के अधीन वर्ष 2014–15 में 52.11 करोड़ रूपये अलॉट किये गये है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्वेश्य कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्राप्त करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्वेश्य राज्यों को कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में अधिक धन लगाने में पहल करना तथा इनकी योजना, चयन एवं अनुमोदन में राज्य को लचीलापन प्रदान करना है। सिंचाई के लिये सीमित साधनों के उचित उपयोग हेतू भूमिगत पाईपलाईन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 84 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है।

4.12 देश में फुव्वारा सिंचाई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में 8,245 नये फुवारा सयंत्रों की स्थापना से राज्य में फुव्वारा सयंत्रों की संख्या बढकर 1,47,976 हो गई है। यह सयंत्र अधिकतर राज्य के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कार्य कर रहे है। किसानों द्वारा पानी की बचत करने हेतू भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली को काफी बढ़ावा दिया है। वर्ष 2013–14 के दौरान 16,462 हैक्टेयर क्षेत्र में पाईप बिछाए गए जिसपर कृषक को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 60,000 रूपये है, प्रदान करने हेतू 25.33 करोड़ रूपये व्यय किए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 36,000 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिये 48 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की है।

सिंचाई

4.13 हरियाणा राज्य के पास बिना किसी स्तही पानी के स्थायी स्त्रोतों और अंर्तराजीय समझौतों के साथ आवश्यकतानुसार 36 एम.ए.एफ पानी की तुलना में केवल 14 एम.ए.एफ पानी ही उपलब्ध है। इसके

बावजूद राज्य स्तही जल संसाधनों का प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डारण में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक बन गया है। राज्य की नहर प्रणाली बहुत पुरानी है और इस कारण इसका पुनर्वास करना बहुत ही जरूरी हो गया है। पानी की ढुलाई में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नहर प्रणाली का पुनर्वास चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत सी नहर संरचनाओं के साथ 20 चैनलों का पुनर्वास 20 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। नहरी खालों (जलमार्गों) के पुर्नोरूद्वार और पुनर्वास का कार्य भी चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है। पहचाने गए कुल 7,500 नहरी खालों में से अब तक 3,055 नहरी खालों के पुनर्वास का कार्य पूरा कर लिया गया है और 113 जलमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। बाकी बचे नहरी खालों के पुनर्वास व पुर्नोरूद्वार का कार्य समय अनुसार चरणबद्व तरीके से किया जायेगा।

4.14 गुड़गांव और दूसरी बढ़ती औद्योगिक आबादियो जैसे कि मानेसर, बहादुरगढ़, सांपला और बादली के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एन.सी.आर. जल आपूर्ति चैनल का निर्माण किया गया है। गुड़गांव में हुडडा की जरूरत को पूरा करने के लिए चैनल में पानी की सप्लाई भी छोड़ दी गई है।

4.15 यमुना नदी के उपरी भंडारण बांध महत्वपूर्ण प्रगति पर है और लखवार परियोजना के निर्माण का कार्य इस साल शुरू होने की संभावना है तथा व्यासी बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। व्यासी परियोजना जून, 2017 तक पूरा होने की संभावना है। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण अन्य दो बांधों किशाउ और रेनुका की स्वीकृति का कार्य भी अग्रिम चरण में है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर हरियाणा सूखे के मौसम के दौरान भी यमुना नदी से लगातार पानी प्राप्त कर सकता है।

4.16 राज्य में ज्यादातर पुराने जल निकाय शहरीकरण के कारण घटते जा रहे है। राज्य सरकार प्राकृतिक गहराई कोटला झील के विकास के हर संभव प्रयास कर रही है। कोटला झील के पहले चरण का कार्य 17 करोड़ रूपये की लागत से जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा और दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। जिसके लिए सरकार ने आार्थिक उत्थान पैकेज के तहत 51 करोड़ रूपये स्वीकृत किये है जो कि इस प्रोजैक्ट के पूरा होने के लिए जरूरी है। गौंची ड्रेन का कार्य 15.07 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है और 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। पानीपत ड्रेन की लाईनिंग का कार्य 55 प्रतिशत 14.75 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। ओटू झील, जिसको 45.23 करोड़ रूपये की लागत से 5.86 फुट गहरा किया गया था। 1,913.21 क्यूसिक पानी के 6 खरीफ चैनल ओटू झील से निकलते हैं। इन चैनलों से वास्तविक रूप से 1,20,000 एकड़ से 1,30,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और इससे 58 गांव लाभांवित होते हैं।

4.17 वर्ष 2014–15 के दौरान कम बारिश के कारण नदियों में पानी की कमी होने के बावजूद हरियाणा सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों में पानी की आपूर्ति का प्रबन्धन इस तरह से किया गया कि किसानों को अपनी फसल उगाने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। सरकार का उद्देश्य है 'हर खेत को पानी' और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेगें। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हमारा जल हमारा जीवन नामक एक जागरूकता अभियान जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पानी के टिकाउ विकास के लिए राज्य के हर जिले में आयोजित किया गया।

4.18 हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड हर साल बाढ़ नियंत्रण योजनाएं मंजूर करता है। वर्ष 2014–15 में बोर्ड द्वारा 355.63 करोड़ रूपये की लागत की 226 नई योजनाएं व 244.51 करोड़ रूपये की राशि 84 चालू योजनाएं बाढ़ नियंत्रण व निकासी के लिए मंजूर की गई हैं। विभाग द्वारा 118 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में बाकी 49 योजनाओं पर कार्य 96 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है।

4.19 सरकार सिचांई योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए पर्याप्त राशि जुटाने के हर सम्भव प्रयास कर रही है। सिचांई एवं जल संसाधन विभाग का वर्ष 2014–15 के लिए प्लान और नॉल–प्लान का बजट 2,030.44 करोड़ रूपये है जिसमें से प्लान के तहत बजट 820.24 करोड़ रूपये और नॉन–प्लान के तहत बजट 1,190.20 करोड़ रूपये है। अब तक हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का प्लान हैड के तहत खर्च 603.23 करोड़ रूपये व नान–प्लान के तहत खर्च 1,000.39 करोड़ रूपये है।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

4.20 किसानों को उनके दरवाजे पर प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 74 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम अपने बीज बिक्री केन्द्रों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी/सहकारी संस्थाओं जैसे मिनी बैंकों, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। हरियाणा बीज विकास निगम

किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक एवं फफुंदीनाशक दवाईयां बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने बीजो की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है जो कि हरियाणा राज्य के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा बीज विकास निगम के प्रमाणित बीजों की बिक्री अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभाग एवं अन्य खरीददारों के माध्यम से भी की जाती है।

4.21 हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2013–14 में खरीफ के प्रमाणित बीजों का 6,054 क्विंटल तथा रबी के प्रमाणित बीजों का 1,85,036 क्विंटल उत्पादन किया। वर्ष 2013–14 के दौरान निगम ने 2,95,306 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे खरीफ तथा रबी 2013–14 में धान, दलहन, ज्वार, बाजरा इत्यादि खरीफ, 2013 तथा गेहूँ दालें, तिलहन, जौ, जई एवं बरसीम आदि रबी 2013–14 के बीजों की विक्री की है। वर्ष 2014–15 में विभिन्न फसलों के 2,44,310 क्विंटल प्रमाणित बीजों की बिक्री होने का अनुमान है (खरीफ 14,669+रबी 2,29,641)।

बीज प्रमाणीकरण

4.22 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के सोसाईटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण 6–4–1976 को किया गया था। दिनांक 01–09–1976 को इस संस्था ने अपना स्वतंत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकुला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानको के अनुसार प्रमाणित करना है।

बागवानी

बागवानी के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

4.23 हरियाणा राज्य बागवानी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। हरियाणा राज्य में 4.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि कुल फसल क्षेत्र का 6.94 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य में वर्ष 2013–14 में बागवानी फसलों की कुल पैदावार 62.95 लाख टन थी।

फल की खेती

4.24 जलवायु एवं मृदा के अनुसार उद्यान विभाग फल उत्पादन के विकास के लिए सामूहिक पहुँच को प्रोत्साहित कर रहा है। फलों का क्षेत्र व उत्पादन बढ़कर वर्ष 2013–14 में क्रमशः 50,595 हैक्टेयर क्षेत्र और 5,54,900 टन फल उत्पादन हो गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान क्रमशः 1,940 हैक्टेयर व 6,50,000 टन के उत्पादन का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया है और इसमें से माह दिसम्बर, 2014 तक फलों के अन्तर्गत 1,189 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र व 3,60,730 टन उत्पादन हो चुका है।

सब्जी की खेती

4.25 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण ताजा सब्जियों की मांग कई गुना बढ़ गई है। वर्ष 2013–14 में सब्जियों का क्रमशः 3,73,170 हैक्टेयर क्षेत्र व 55,65,900 टन उत्पादन था। वर्ष 2014–15 के लिए 3,75,000 हैक्टेयर क्षेत्र व 60,00,000 टन सब्जी पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर, 2014 तक सब्जियों के अन्तर्गत 2,79,682 हैक्टेयर क्षेत्र व 32,02,904 टन उत्पादन हो चुका है।

मसाले

4.26 मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2013–14 में बढ़कर 18,600 हैक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2014–15 के लिए 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2014 तक मसालों के अधीन 12,881 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

4.27 वर्ष 2013–14 के दौरान 1,760 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अधीन लाया जा चुका है। वर्ष 2014–15 के लिए 559 (एनःएमःएमःपी) हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है तथा माह दिसम्बर, 2014 तक 385 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय पौधों की खेती के अधीन लाया जा चुका है।

मशरूम

4.28 हरियाणा बटन मशरूम उत्पादन में देशभर में प्रथम स्थान पर है। खुम्ब उत्पादन वर्ष 2013–14 में 9,990 टन हो चुका है। वर्ष 2014–15 के लिए 10,000 टन खुम्ब उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2014 तक 5,015 टन खुम्ब का उत्पादन हो चुका है।

फूलों की खेती

4.29 फूलों के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2013–14 में बढ़कर 6,480 हैक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2014–15 के लिए 6,700 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2014 तक फूलों के अधीन 4,607 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

संरक्षित खेती

4.30 गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन और रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2013–14 के अन्त तक केवल 187.33 है0 ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके है। इन्डो–इसराइल परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन तथा प्रदर्शन के कारण बहुत से किसान इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2014–15 के लिए 95.50 है0 ग्रीन हाउसेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर, 2014 तक 44.55 है0 में ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके है।

बागवानी के लिए पहल

4.31 बागवानी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन नामक योजना प्रारम्भ की गई है। इस मिशन को वर्ष 2013–14 के दौरान हरियाणा में जिला फरीदाबाद, रिवाडी तथा कैथल, को छोडकर सभी जिलों में लागू की गई।

कम्यूनिटी टैंक

4.32 जल स्त्रोत प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए 10.02 करोड़ रूपये की राशि से 232 सामुदायिक टैंक एवं जल स्त्रोत तालाब बनाने का प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर, 2014 तक 108 जल स्त्रोत तालाबों का निर्माण किसानों द्वारा अपने खेतों से किया जा चुका है।

सूक्ष्म सिंचाई

4.33 सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2013–14 की समाप्ति तक 37,078 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया गया है। वर्ष 2014–15 में बागवानी फसलों के लिए 9,588 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म प्रणाली के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। जो कि माह दिसम्बर, 2014 तक बागवानी फसलों में 2,004 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अर्न्तगत परियोजनाएं

4.34

i. उपोषण फल केन्द्र, लाड़वा, कुरूक्षेत्र के लिए राशि 9.10 करोड़ दी गई है जो कि 10 हैक्टेयर (25 एकड) में लगाना है। पौधारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है। भवन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है।

ii. मधुमक्खी एकीकृत केन्द्र, रामनगर, कुरूक्षेत्र के लिए राशि 10.50 करोड़ दी गई है। इस केन्द्र पर कार्य प्रगति पर चल रहा है।

iii. पुष्प उत्कृष्ट्ता केन्द्र परियोजना के लिए राशि 15 करोड़ रूपये स्वीकृत हुई है जोकि घरौंडा, करनाल व खरींडवा (कुरूक्षेत्र) में स्थापित किया जाना है। वर्ष 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

iv. केला एवं पपीता केन्द्र, राजकीय बाग व नर्सरी, सेवाखेड़ी, पानीपत में 1.39 करोड़ रूपये की राशि से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत स्थापित किया जा रहा है। पौधारोपण पूर्ण हो चुका है।

v. अमरूद विकास केन्द्र, राजकीय बाग व नर्सरी, भूना, फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है तथा पोधारोपण कार्य पूरा हो चुका है।

कृषि अध्यापन, शोध एवं विस्तार

4.35 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तीन मुख्य गतिविधियां हैं:– अध्यापन, शोध एवं विस्तार। किसानों की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों को नवप्रवर्तन तथा विकसित नवीनतम तकनीकों की सहायता से बहुत निष्ठा से किया जाता है ।

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2014–15 में विभिन्न पूर्वस्नातक कार्यक्रमों में 353 छात्रों ने प्रवेश लिया। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों जैसे फिजी, तजाकिस्तान, मोजाम्बिक, मन्गोलिया, भूटान, सोमालिया, मालावी और अफगानिस्तान के 20 विद्यार्थियों ने कृषि के 4 वर्षीय विज्ञान संकाय (ऑनर्स) एवं कृषि अभियंत्रण कार्यक्रम में प्रवेश लिया।

- 223 विद्यार्थियों ने विभिन्न महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (पी.एच.डी./एम.एस.सी./एम.बी.ए./एम.टैक.) में प्रवेश लिया। इसमें नेपाल, तंजानिया, अफगानिस्तान, फिजी, घाना, इण्डोनेशिया, वियतनाम, इथोपिया और सूडान के 12 विदेशी विद्यार्थी भी शामिल हैं।

- 22 विद्यार्थियों ने अन्य संस्थाओं की छात्रवृत्ति प्राप्त की जिनमें 14 विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग की इन्सपायर छात्रवृति, 4 छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जूनियर रिसर्च फैलोशिप, एक छात्र ने ए0 एस0 पी0 ई0 ई0 की जूनियर रिसर्च छात्रवृति एवं 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त 204 विद्यार्थियों को एम.एस.सी. और पी.एच.डी. मैरिट स्टाईफंड प्रदान की गई है।

- इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 6 उन्नत किस्में प्रमाणित एवं विमोचित की गईं। इनमें गेहूँ की डब्ल्य0एच0 1124, जौ की बी0एच0 946, राया की आर0एच0 0406, मटर (दाना) की एच0एफ0 715, मूंग की एम0एच0 318 व एम0एच0 421 शामिल हैं।

- विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों के 25,011.02 क्विंटल बीज का उत्पादन किया, इसके अतिरिक्त विभिन्न फलों के 14,502 एवं औषधीय पौधों के 1,880 पौधे बेचे गए।

- तरल जीवाणु खाद की कुल 4,38,395 यूनिट (50 मि.ली. प्रति) का उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध करवाया गया। जिसमे एजोटिका (1,10,104), फॉस्फोटीका (2,16,191), राइजोटीका (1,10,139) और बायोटीका (1961) सम्मिलित है।

- मौसम की सूचना के संदेश (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) 95,000 से भी अधिक किसानों, 2,000 कृषि अधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं को भेजे गये। राज्य के किसानों और अधिकारियों से मौसम सम्बंधित आंकड़े, कृषि परामर्श, पंजीकरण और प्रतिक्रिया आदि के आनलाइन आदान–प्रदान के लिए ई–मौसम वेबसाइट www.emausamhau.gov.in भी विकसित की गई।

- विभिन्न फसलों जैसे संकर मक्का, गेहूँ (डब्ल्यू.एच. 1105 व डब्ल्यू.एच. 1124) जौ (बी.एच. 946), मूंग (एम.एच. 421), ग्वार (एच.जी. 884), पीली सरसों (वाई.एस.एच. 0401) और तिल (एच.टी. 2) के हाइब्रिड व अन्य तरह के बीज उत्पादन के लिए विभिन्न बीज उत्पादन संस्थाओं के साथ कुल 338 समझौता ज्ञापनों पर इस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त ज्वार, सोयाबीन और गेहूं के मूल्यसंवर्धित उत्पादों, बिस्कुट और स्नैक्स उपयोग के लिए मैसर्ज डी. के. एस. इन्कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ हिसार में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

- कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के फार्म मशीनरी परीक्षण केन्द्र द्वारा विभिन्न कृषि मशीनरी की 222 परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।

- कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र जो कि किसान सेवा केन्द्र के नाम से जाना जाता है अपनी "एकल खिड़की" द्वारा विश्वविद्यालय के उत्पादों एवं अन्य सामग्री को बेचता है। इस केन्द्र ने अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान 68.94 लाख रुपए के विभिन्न फसलों के संशोधित बीज, जैव उर्वरक, खाद्य उत्पाद एवं शहद आदि बेचे।

- वर्ष 2014 के दौरान 9,352 किसान, (5,623 व्यक्तिगत सम्पर्क एवं 3,729 किसान मुफ्त फोन सहायता सेवा द्वारा) विश्वविद्यालय की किसान परामर्श सेवा से लाभान्वित हुए।

- इस वर्ष दो दिवसीय रबी कृषि मेला 9 एवं 10 सितम्बर, 2014 को आयोजित किया गया। जिसमें किसानों को विभिन्न फसलों पर हुए प्रयोगों एवं अनुभवों को दिखाया गया। कृषि मेले का मुख्य आकर्षण कृषि उद्योग आधारित प्रदर्शनी थी। मेले में हरियाणा एवं पडोसी राज्यों के 46,500 किसानों ने भाग लिया तथा लगभग 78.54 लाख रुपए के विभिन्न रबी फसलों के उन्नत बीज, 45,000 रुपए के फलों के पौधे, 1.42 लाख रुपए के कृषि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रकाशन व 90,000 रुपए के जैव–उर्वरक किसानों को उपलब्ध करवाए गए।

- विश्वविद्यालय ने पूर्व प्रधानमंत्री चौ0 चरण सिंह के जन्मदिवस 23 दिसम्बर, को किसान दिवस के रूप में मनाया और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया। हरियाणा के विभिन्न जिलों के 3,000 से अधिक किसानों और किसान महिलाओं ने किसान दिवस में भाग लिया। इस अवसर पर कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए राज्य के 19 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

- खरीफ और रबी के लिए कृषि अधिकारी कार्यशालाएं क्रमशः माह अप्रैल और नवम्बर, 2014 में आयोजित की गई।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

4.36 हरियाणा भूमि सुधार एंव विकास निगम लिमिटिड (एच.एल.आर.डी.सी.लि.) की स्थापना वर्ष 1974 में हुई। निगम का मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है। भूमि सुधार स्कीम व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) स्कीम के तहत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मिशन आयल सीड एवं आयलपाम (नमूप) व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) स्कीम के तहत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम दिया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसम्बर, 2014) निगम ने 49,100 टन जिप्सम किसानों को उपलब्ध करवाई। हरियाणा राज्य के कुल 4,05,499 हैक्टेयर कल्लर भूमि में से निगम ने 3,50,448 हैक्टेयर भूमि का सुधार मास दिसम्बर, 2014 तक कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के नवीनतम सर्वे वर्ष 2010 के अनुसार 1.84 लाख हैक्टेयर कल्लर भूमि का सुधार होना है जो आगामी 10–15 वर्षो में पूरा कर लिया जायेगा। निगम ने वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) 3,317 टन यूरिया, 437 टन जिंक सल्फेट सब्सिडी पर एन.एफ.एस.एम. स्कीम में, 5,437 टन सिंगल सुपर फोसफेट, 6,705 लीटर/किलोग्राम खरपतवार/कीटनाशक दवाईयां व 1,460 क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध करवाई है तथा वर्ष 2013–14 के दौरान निगम द्वारा हिसार फार्म व अन्य 5 फार्मो पर फाउडेशन बीज 38,056 क्विंटल तैयार करके हरियाणा के किसानों को वितरित करने के लिये हरियाणा बीज विकास निगम/राष्ट्रीय बीज विकास निगम को उपलब्ध कराया गया।

वन

4.37 वन धरा पर जीवन का आधार है। इनका संरक्षण आरामदायक नही बल्कि नितांत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण संसाधन का प्रबंधन दूरदर्शिता, नीति एवं लम्बी अवधि की योजना पर आधारित है। हरियाणा एक छोटा प्रदेश है जिसके 81 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। राज्य में सघन कृषिकरण है और प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य का कुल वन क्षेत्र 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। परंतु कम वन क्षेत्र की भरपाई के लिये राज्य में पंचायत भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषि भूमि पर कृषि–वानिकी का विकास किया गया है।

4.38 राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों अथवा वृक्षों से आच्छादित होना चाहिये। राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य के समीप आने का वन विभाग पूरा प्रयास कर रहा है और इसके लिये वर्ष 2006 में राज्य वन नीति बनाई गई है। नीति में राज्य का वनों एवं वृक्षों के अधीन क्षेत्र वर्तमान 6.49 प्रतिशत (भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013) से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। राज्य में सालाना 22 लाख घन मीटर लकड़ी का उत्पादन होता है जिसमें से 90 प्रतिशत लकड़ी गैर वानिकी क्षेत्रों से आती है।

4.39 वर्ष 2013–14 के दौरान, 26,132 हेक्टेयर क्षेत्र में विभाग द्वारा पौधारोपण करते हुये 242.75 लाख पौधे लगाये गये। इसके इलावा 201.92 लाख पौधें आम जनता में मुफ्त बांटे गये/बेचे गये। इस तरह कुल 444.67 लाख पौधे इस वर्ष के दौरान राज्य में लगाये गये/बांटे गये/बेचे गये और 162.05 करोड़ रूपये प्लान स्कीमों के अर्न्तगत खर्च किये गये।

4.40 चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 24,380 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण लक्ष्य पूरा करते हुये विभाग द्वारा 217.96 लाख पौधे लगाये जायेंगें और 80.66 लाख पौधें आम जनता को बेचे जायेंगे। पौधों का मुफत वितरण बन्द कर दिया गया है तथा पौधारोपण एवं पौधों की बेच का कुल लक्ष्य 300 लाख है। 31–12–2014 तक राज्य में 265 लाख पौधे लगाये गये/बेचे जा चुके हैं तथा बाकी का भौतिक लक्ष्य मास फरवरी/मार्च, 2015 में प्राप्त कर लिया जायेगा। इस वर्ष प्लान स्कीमों के अर्न्तगत 206.07 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। इसमें 18 करोड़ रूपये अनुसूचित जाति कम्पोनैन्ट के हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान भी राज्य में 300 लाख पौधों के पौधारोपण/बेच का लक्ष्य प्रस्तावित है।

4.41 वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए (कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लानल) एक नई योजना शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्धेश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर वाणिज्यिक कीमत वाले क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे उगाना है। यह योजना राज्य की काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने में लम्बे समय तक सहयोगी सिद्ध होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 के दौरान में 31 करोड़ रूपये की लागत का प्रावधान किया गया है।

4.42 वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2010–11 से ''राजकीय/राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी का विस्तार'' नामक एक अन्य योजना शुरू की गई है। शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण के कार्य किये जा रहे हैं। पौधारोपण के बाद दो वर्षों तक विभाग द्वारा देखभाल का कार्य किया जाएगा। इस पौधारोपण की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी। तीन वर्षों के बाद पौधारोपण किसानों को सौंप दिया जाएगा। अन्त में फसल का स्वामी किसान होगा। अन्तिम फसल की कटाई के बाद राज्य सरकार शैल्टर बैल्ट पर दोबारा पौधारोपण करके तीन वर्षों तक देखभाल करेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना पर 10 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

4.43 भारतीय औषधीय प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, औषधीय पौधों की कृषि के प्रोत्साहन के लिए तथा खेती–बाड़ी में बदलाव हेतू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। अब तक राज्य में 47 हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं और 7 अन्य पार्क विकसित किये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना पर 5 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

4.44 बीड़ शिकारगाह पिंजौर में गिद्धों को विलुप्ति से बचाने के लिये एक गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र काफी संख्या में गिद्धों को रखने में सफल रहा है तथा इस केन्द्र में प्रजनन कार्यक्रम के तहत् बच्चों का जन्म हुआ है। वन विभाग हरियाणा एवं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संरक्षण एवं प्रजनन में 2019 तक सहयोग के लिये एक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये है। यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुर्नस्थापन एवं बचाव केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुर्नस्थापित करने का कार्य किया जायेगा जिससे इन्हे प्राकृतिक आवास दिया जा सके। कलेसर, मोरनी की पहाड़ियों और सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ईको–टूरिज़म परियोजना प्रारम्भ की गई है।

4.45 रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन में मोर तथा चिन्कारा के लिए एक संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस पक्षी तथा जानवर का इस केन्द्र में प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा तथा कोई बनावटी विधि का प्रयोग नहीं होगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टाफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। भिवानी के लघु चिड़ियाघर का पुर्नउत्थान किया गया है जो वन्य जीव संरक्षण एवं शिक्षा के लिये समर्पित है। रोहतक के लघु चिड़ियाघर का भी वर्तमान 16 एकड़ से 44 एकड़ क्षेत्र तक विस्तार किया जा रहा है। चिड़ियाघर का नवीनीकरण किया जा रहा है तथा जानवरों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिये नये कटघरे बनाये जा रहे है। पिपली के लघु चिड़ियाघर का भी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार सुधार किया जा रहा है।

4.46 राज्य वन नीति में विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहले वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। इन स्वयं सहायता समूहों को, लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतू बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये विशेषतः महिलाओं के 2,195 स्वयं सहायता समूह एवं 2,487 ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

4.47 लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वन के लिये मैनेजमैंट इनफार्मेशन सिस्टम तथा जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य के वन एवं वृक्ष क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के प्रयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबंधन, वन अपराध प्रबंधन तथा पौधशाला स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यो हेतू मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। HARSAC, हिसार की मदद से वन क्षेत्रों का Digitization करवाया जा रहा है।

पशुपालन एवं डेयरी

4.48 हरियाणा सरकार राज्य में गौ–वध पर पूर्ण प्रतिबंद्व को मजबूती और प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए आम जनता से एक नया कानून बनाने के लिए सुझाव मांगे गये। इस दिशा में आम जनता की सहभागिता से रोहतक में ''*गाय पर चर्चा*'' विषय पर प्रस्तावित कानून के विभिन्न मुद्दों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रस्तावित बिल बनाया जाएगा और सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित कानून राज्य में गौ–वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबद्व लागू करने के लिए अधिक प्रभावी और कड़े उपायों से स्वदेशी नस्ल की गायों जैसे हरियाणा व साहीवाल के संरक्षण और उत्थान (गौ–संवर्धन) को सुनिश्चित करेगा।

4.49 राज्य में गौ–संवर्धन परियोजना राज्य में स्वदेशी नस्लों की गायों जैसे हरियाणा, साहीवाल, थारपारकर व गीर के विकास हेतू भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय गौ–भैंस प्रजनन व डेरी विकास कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 77.90 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। यह योजना चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों में लागू की जायेगी।

4.50 देशी नस्ल की गायों जैसे हरियाणा, साहीवाल, थारपारकर व गीर के उत्थान हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं इस दिशा में सरकार द्वारा देशी नस्ल की गायों की अगले वित्त वर्ष 2015–16 से डेरी इकाईयाँ स्थापित करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान राशि (जो अन्य योजनाओं में 25 प्रतिशत है) प्रदान करने का निर्णय लिया है।

4.51 अगले वर्ष से सरकार ने देशी गायों हरियाणा व साहीवाल के मालिकों को पशुओं की प्रफोमैन्स रिकार्डिंग करना तथा पशु के दूध उत्पादन के आधार पर इन नस्लों के पशुओं को 10 हजार से 20 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

4.52 राज्य में बेसहारा गायों के रख–रखाव और प्रभावी नियंत्रण हेतू चिन्हित स्थानों पर ''गौ–अभ्यारण'' स्थापित करने का निर्णय लिया है।

4.53 ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन'' की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे पशुओं, घोड़ों और सुअर व चारा विकास के सघन विकास हेतू विभाग कई योजनाएं लागू कर रहा है। इस मिशन के अन्तर्गत सभी प्रकार के घरेलू पशुओं के बीमे का भी प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिये 13.90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

4.54 पशुपालन ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। विभाग ने दुधारू पशुओं की नस्ल व अनुवांशिक सुधार तथा रोग मुक्त रखने के कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय राज्य में वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार 89.98 लाख पशुधन है। जिसमें 18.08 लाख गाय और 60.85 लाख भैंस हैं जिनकी देखभाल करने के लिए 2,799 पशु संस्थाएं कार्यरत हैं। राज्य में औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु संस्था है। इसके अतिरिक्त समान संख्या के गांव में पशुपालन सुविधायें प्रदान करने हेतू 1,145 सघन पशुधन विकास केन्द्र पीपीपी के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं।

4.55 पशु पालन क्षेत्र में राज्य के निरन्तर तथा दीर्घकालीन समर्थन से वर्ष 2013–14 के दौरान 74.42 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, राज्य में 773 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्ध है। राज्य में वर्ष 2013–14 के दौरान अण्ड़ों और ऊन का उत्पादन क्रमशः 43,591 लाख तथा 13.91 लाख किलोग्राम था।

4.56 मुर्राह भैसों तथा हरियाणा व साहीवाल गायों की नस्ल में अनुवांशिक सुधार लाने के साथ–साथ इनको संरक्षित करके इनकी संख्या में बढ़ोतरी लाई जायेगी। इस कार्यक्रम के अधीन उच्च–कोटि के पशुओं को चुना जायेगा ताकि उन चुनित भैंसो से भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम के लिए एक 'जीन पूल' बनाया जा सके। इसके साथ–2 दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता को कम से कम समय में अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए नवीनतम तकनीक लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अधिकतम दुग्ध देने वाले मुर्राह भैंस के मालिकों को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिदिन दूध उत्पादन के आधार पर 5,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक की राशि नकद प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में 10,377 मुर्राह भैंसों के मालिकों को 788.80 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रतिदिन दूध उत्पादन के आधार पर प्रदान की जाएगी।

4.57 इन पशु संस्थाओं में पशु रोग तथा जीवन रक्षक दवाइयॉ उपलब्ध करवाई जा रही है। विशेष पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्थानों पर पशु चिकित्सा पोलिक्लिनिक्स की स्थापना कर रही है। 4 पोलिक्लिनिक्स जैसे सिरसा, भिवानी, सोनीपत व रोहतक स्थानों पर स्थापित किये जा चुके हैं। पालतू जानवरों के निदान तथा उपचार के लिए पंचकुला में अतिआधुनिक पालतू चिकित्सा हस्पताल जिसमें प्रशिक्षण केन्द्र भी है, कि स्थापना की गई है। जींद और रेवाडी में पोलिक्लिनिक के निर्माण का कार्य प्रति पर है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में 40 नये राजकीय पशुचिकित्सालय/ राजकीय पशुऔषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

4.58 बेरोजगार युवको/युवतियों को डेयरी के माध्यम से वर्ष 2013–14 में 1,952 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। अगले वर्ष में 1,300 डेयरी यूनिटस स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसका कार्य प्रगति पर है उत्पादन बढ़ाने तथा दूध उत्पादन के लिए अच्छी गुणवता वाले पशु आहार दाना/चारा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयत्न जारी रहेंगे।

4.59 15 जिलों में एक पशु बीमा योजना लागू की गई है जिसके अधीन प्रीमियम का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण दुधारू पशुधन सुरक्षा योजना' नामक योजना आरम्भ की गई है जिसमें किसानों के दुधारू पशुओं की अचानक मौत होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2.77 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया और 1,034 पशुओं के मालिकों को 416.68 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर प्रदान किया गया।

4.60 राज्य में अनुसूचित जाति विशेष योजना के अन्तर्गत 2 दुधारू पशुओं की डेयरी, सूअर पालन व भेड़ पालन इकाईयां स्थापित करने के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 में भी चालू रहेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 4,100 परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

4.61 मुर्राह नस्ल की भैसों के संरक्षण एवं विकास के लिए वर्तमान में जारी स्कीम में संशोधन कर 15 से 19 कि.ग्रा.>19 से 25 कि.ग्रा. तथा > 25 कि.ग्रा. तथा इससे अधिक की श्रेणी की भैसों के मालिकों का आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्रमश 15,000, 20,000 व 30,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

4.62 अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा डेयरी, सूकर, भेड़ व बकरी इकाईयों की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभाग की विभिन्न योजनागत स्कीमों में अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याणार्थ आयोजना बजट के 20 प्रतिशत भाग का प्रावधान आगामी वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित स्कीमों में किया गया है।

4.63 गाय व भैंसों की विभिन्न नस्लों में कृत्रिम गर्भाधान हेतू गुणात्मक जर्मप्लाज्म प्रदान करने के लिए राज्य में फ्रोजन सीमन बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से डेयरी विकास योजना–1 के अन्तर्गत 20.08 करोड़ रूपये स्वीकृत करवाये गये हैं।

मत्स्य पालन

4.64 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। राज्य में मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य पालन को स्वीकार किया जा रहा है तथा उनके द्वारा मछली पालन को कृषि के साथ–साथ सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों मे मछली पालने वाले किसानों को मछली पालन हेतू मत्स्य किसान विकास एजैंसियों के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। सजावटी मछलियों की मांग को देखते हुऐ राजकीय मत्स्य बीज फार्म, सैदपुरा (करनाल) मे सजावटी मछली बीज उत्पादन की हैचरी का निमार्ण किया गया है। सरकार ने मछली खाद्य–खुराक पर वैट समाप्त कर दिया है। बिजली की दरें कम करके कृषि क्षेत्र में 0.10 पैसे प्रति यूनिट की गई है। वर्ष 2012–13 में 1,11,480 टन तथा वर्ष 2013–14 में 1,05,579.50 टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। 31 दिसम्बर, 2014 तक 79,815.80 टन का मत्स्य उत्पादन तथा 4,673.52 लाख मत्स्य बीज संचित किया गया है। मत्स्य उत्पादन के मण्डीकरण की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतू 84 लाख रूपये की लागत से बहादुरगढ तथा गुडगांव में नई मत्स्य मण्डियों की स्थापना प्रस्तावित थी, जिसमे से बहादुरगढ मत्स्य मण्डी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। सरकार द्वारा हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में मत्स्य महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है। सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को सामुदायिक तालाबों/ ग्रामीण तालाबों को मछली पालन के लिए पट्टे की अवधि 5 वर्ष से बढाकर 8 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा राज्य वर्ष 2013–14 के दौरान मत्स्य उत्पादकता मे 5,800 कि0ग्रा/हैक्टे0/वर्ष की दर से भारत वर्ष मे द्वितीय स्थान पर रहा, जिसे बढाकर वर्ष 2014–15 मे 5,900 कि0ग्रा0/हैक्टे0/वर्ष किया जायेगा। राज्य मे भूमिगत खारा पानी व जलमग्न भूमि मे जलकृषि को बढ़ावा देने हेतू इस क्षेत्र मे नई–2 खोज व विकास के लिए केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, ने अवधि 25 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने बारे इकरारनामें पर दिनांक 23–01–2015 को केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई व निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

***

5

उद्योग क्षेत्र

किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है जिसके कारण उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होने से औद्योगिक क्षेत्र के राज्य घरेलू उत्पाद के अशंदान में वृद्धि होती है।

5.2 एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है। विकास मुख्य क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित 2006–07 से 2013–14 की अवधि में हुई **तालिका 5.1** में निम्न प्रकार से है।

तालिका 5.1 हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05=100)

औद्योगिक समूह	**सूचकांक**							
	2006-07	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14 (अ.)**
विनिर्माण	118.6 (10.4)	126.3 (6.4)	129.4 (2.5)	144.8 (12.0)	159.7 (10.3)	165.9 (3.9)	173.6 (4.6)	177.8 (2.4)
विद्युत	128.5 (10.2)	132.9 (3.5)	154.8 (16.5)	176.2 (13.8)	181.0 (2.7)	230.4 (27.3)	243.5 (5.7)	252.7 (3.8)
औद्योगिक आधारभूत पदार्थ	113.8 (6.6)	119.4 (4.9)	133.3 (11.7)	150.8 (13.1)	157.0 (4.1)	186.4 (18.7)	212.2 (13.8)	214.5 (1.1)
औद्योगिक पूंजीगत पदार्थ	131.6 (22.8)	147.8 (12.3)	143.7 (-2.8)	175.2 (21.9)	210.8 (20.3)	203.5 (-3.4)	189.9 (-6.7)	204.8 (7.8)
औद्योगिक मध्यवर्ती पदार्थ	114.6 (6.2)	122.3 (6.7)	127.1 (3.9)	141.5 (11.3)	148.5 (5.0)	162.2 (9.2)	173.8 (7.2)	156.7 (-9.8)
औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ	118.8 (8.1)	121.7 (2.4)	125.8 (3.3)	132.4 (5.3)	143.0 (8.0)	148.1 (3.6)	156.0 (5.3)	170.4 (9.2)
क) उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थ	125.2 (12.8)	129.2 (3.1)	132.0 (2.2)	138.6 (5.0)	158.4 (14.3)	173.9 (9.8)	179.0 (2.9)	187.1 (4.5)
ख) उपभोक्ता गैर–टिकाऊ पदार्थ	114.4 (4.8)	116.5 (1.9)	121.5 (4.2)	128.1 (5.4)	132.3 (3.2)	130.2 (-1.6)	140.0 (7.5)	158.9 (13.5)
सामान्य सूचकांक आई.आई.पी.	**119.4 (10.4)**	**126.8 (6.2)**	**131.5 (3.7)**	**147.4 (12.1)**	**161.5 (9.5)**	**171.2 (6.0)**	**179.3 (4.7)**	**184.0** (2.6)

अः अस्थाई

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

5.3 आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार वर्ष 2012–13 में 179.3 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 184.0 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2012–13 के 173.6 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 177.8 हो गया जो

2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि यह वर्ष 2012–13 के 243.5 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 252.7 हो गया।

5.4 आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसे चादर, छड़, पीतल की चादर, यूरिया अन्य, प्लेट, ढलाई, लोहा/स्टील, पत्थर, क्रष्ड डस्ट और पॉउडर, टयूब और पाईप, हाई कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील आदि का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 212.2 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 214.5 हो गया, जिसमें 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.5 पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे एयर कम्प्रैशर, सभी प्रकार की तारें, कम्प्रैशर, ट्रांस्फार्मर, क्रेन्स, और बिजली मीटर आदि का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 189.9 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 204.8 हो गया जिसमें 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.6 मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे मिश्रित धागे, सूती धागे, सभी प्रकार के कपडे, प्लास्टिक पाइप, ईंटें और टाइलें, मोटर वाहन के पुर्जे और सहायक सामग्री, सर्किट प्लेट/बोर्ड की छपाई आदि का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 173.8 से घटकर वर्ष 2013–14 में 156.7 हो गया, जोकि 9.8 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

5.7 उपभोक्ता पदार्थो के उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 156.0 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 170.4 हो गया जिसमें 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थ उद्योग जैसे पोल और कंकरीट के खम्भे, जंग रोधक स्टील, हैल्मेट, सेफटी, एयर कंडीशनर, मैट्रेस कोयर और छत पंखे आदि का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 179.0 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 187.1 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5.8 उपभोक्ता गैर–टिकाऊ पदार्थो जैसे एच0आई0वी0 जांच किट, सपीरिट डिनेटरड, पोलेथिन बैग, चमडा बैग, सूती बैड कवर, खाद्य तेल, आदि का सूचकांक वर्ष 2012–13 में 140.0 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 158.9 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2013–14 में विभिन्न औद्योगिक समूहो वर्गो के दौरान दो अंकों के स्तर पर हुई वृद्धि नीचे **अनुलग्नक 5.1 व 5.2** में दी गई है।

औद्योगिक विकास

5.9 हरियाणा राज्य में विकास को गति देने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा व्यापार को सुगम बनाने के उद्धेश्य को विशेष महत्व देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2015 बनाई जा रही है। इस नीति को तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों व उद्योगों के प्रतिनिधियों की सलाह को ध्यान में रखा जाएगा। भारत सरकार की पहल "भारत में बनाओ" के उद्धेश्य के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा में बनाओ" की परिकल्पना की गई है। औद्योगिक विकास दर को राज्य में तीव्र गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों, औद्योगिक संघों से विचार विमर्श करते हुए नई औद्योगिक नीति–2015 तैयार की जा रही है।

5.10 औद्योगिक विभाग ने पिछले तीन माह में कारोबार को सुविधा जनक बनाने के लिए कार्य प्रणाली का सरलीकरण, प्रतीक्षा अवधि को कम करना, व्यापार के वातावरण में सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक कुशल और प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए एक मुख्य पहल की है।

5.11 हरियाणा की छवि को एक निवेशक अनुकूल राज्य के रूप में मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 25–12–2014 से उधमियों के लिए ऑनलाईन भरने के लिए ज्ञापन भाग I व II को पहले से ही आरम्भ किया जा चुका है एवं अन्य सुविधाएं जैसे एम.एस.एम.ई. को ऑनलाईन वार्षिक विवरणी भरने की सुविधा प्रधान करना, 28–2–2015 से धारा 1923 के तहत बोईलर का ऑनलाईन पंजीकरण एवं निरीक्षण करना प्रस्तावित है। 30–4–2015 से समितियों का ऑनलाईन पंजीकरण होगा। 30–6–2015 से औद्योगिक अनुमोदन के सम्बन्ध में सरलीकरण करने की विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत सभी आवेदन पत्रों का समाशोधन एकल खिडकी पर होगें। राज्य सरकार ने पहले से ही उन बोयलरों को जिनका सतह क्षेत्र 1,000 वर्ग मीटर से कम हो उनके स्व प्रमाणपत्र को मंजूरी दी है और उन बोयलरों की जिनका सतह क्षेत्र 1,000 वर्ग मीटर से अधिक हो उनकी जांच तीसरे पक्ष व बोयलर ऑपरेशन इंजीनियरों द्वारा होगी।

5.12 राज्य विकास एजैंन्सी द्वारा एस्टेट प्रबन्धन प्रक्रिया, 2011 के तहत प्लाटों के आंबटन, स्थानान्तरण, पटटे, भूखण्डों की बहाली और अन्य सभी सम्बन्धित प्रक्रियों और कार्य प्रणाली को आनॅलाईन किया जायेगा और 6 महीने में पूरा किया जाएगा।

5.13 राज्य सरकार के प्रयासों से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मुकाबला करने के लिए एम.एस.एम.ई सैक्टर की सहायता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यह मानते हुए कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधमों में रोजगार देने की संभावना है और ये विनिर्माण क्षेत्र की रीड की हडडी है, सरकार ने

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की सहायता करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए समूह विकास योजना के तहत सार्वजनिक–निजी–भागेदारी में सांझा सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) स्थापित करने की नीति अपनायी है।

5.14 लघु उधोग क्षेत्र के विनिर्माण और कौशल विकास के लिए दो परियाजनाएं टूल रूम/ टैक्नोलोजी केन्द्र की आई.एम.टी. रोहतक (19.8 एकड़) और औद्योगिक विकास केन्द्र साहा (10 एकड़) में स्वीकृत की है, जिसमें प्रत्येक परियोजना में 100 करोड़ रूपये से अधिक पूंजी निवेश होगी। एच.एस.आई.आई. डी.सी. ने योगदान के रूप में इन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाई है। विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं को हर साल एक टैक्नोलोजी केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

5.15 राज्य में नए और होनहार उधमियों के समर्थन में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए आवश्यक जोर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कपड़ा मन्त्रालय द्वारा अक्तूबर, 2014 में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पानीपत औद्योगिक एस्टेट में एक एकड़ भूमि पर पौशाक निर्माण हेतू इनकुबेशन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसकी लागत जमीनी कीमत को छोड़कर 13.45 करोड़ रूपये होगी। परियोजना के लिए भूमि निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

5.16 योजनाबद्ध औद्योगिक संरचना की उपलब्धता औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक एस्टेट में एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा लगभग 15,235 प्लाट विकसित किये गये है। जिसमें से 13,018 प्लाट औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने हेतू आबंटित किए गए है तथा 2,217 प्लाट अभी शेष है जोकि आंबटन के लिए उपलब्ध हैं। औद्योगिक विकास हेतू 15,840 एकड़ के आसपास भूमि अधिग्रहण के अधीन है।

5.17 दिल्ली से मुम्बई डी.एफ.एस. (डेडीकेटीड फ्राईट कारिडोर) के साथ निवेश का लाभ उठाने के लिए के लिए राज्य सरकार ने डी.डी.आई.पी. (औद्योगिक पुलिस विभाग और प्रमोशन), वाणिज्य मंत्रालय व भारत सरकार के सहयोग से (i) पूरे एन.सी.आर. क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजस्टिक हब (ii) ग्लोबल सम्राट सिटी अर्ली बर्ड प्रौजेक्ट (iii) गुड़गांव से मानेसर, बावल औद्योगिक क्षेत्र तक एम.आर.टी.एस. (मास रपीड परिवहन सिस्टम) तीन प्रमुख परियोजनाओं की योजना है। के.एम.पी. (कुण्डली–मानेसर–बावल) एक्सप्रैस जो कि पिछले 5 साल से अधिक समय से लम्बित था वह अब एक समयबद्ध ढ़ंग से पूरा किया जाएगा।

कृषि उद्योग

5.18 हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित (एच.ए.आई.सी.) किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर, स्प्रे पैम्प तथा अन्य कृषि मशीनरी आदि उचित मूल्य पर प्रदान करती है।

हरियाणा खादी एंव ग्रमोद्योग बोर्ड

5.19 भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) की उद्घोषणा की। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक रूप से सक्ष्म परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) प्रदान की जाती है। बोर्ड का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं का समन्वित रूप है। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जाति हेतु प्रदान किया जाता है। जहाँ तक कमजोर वर्ग के लाभग्राहियों जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अपंग/भूतपूर्व सैनिक, अल्प संख्यक समुदाय के लाभग्राही इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजना के लिए 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान है।

5.20 वर्ष 2013–14 में बोर्ड द्वारा 789 केसो के लिए 930.38 लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरुध 240 केस, जिसमे 541.29 लाख रुपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) रिलीज़ की है जिसमें 1,413 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। वर्ष 2014–15 में बोर्ड द्वारा 789 केसो के लिए 930.38 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंको को 923 केस सपोन्सर किये गये है। इन केसो में 2,436.60 लाख मार्जिन मनी निहित है। बैंको द्वारा 315 केस स्वीकृत किए गए है। इन

केसों में मार्जिन मनी 781.05 लाख रूपये निहित की गई है तथा बोर्ड ने बैंकों के माध्यम से 31–01–2015 तक 263 केसो में 705.36 लाख मार्जिन मनी (सब्सिडी) रिलीज़ की जा चुकी है।

5.21 बोर्ड के अधीन इकाईयों द्वारा वर्ष 2013–14 में 80,311.45 लाख रूपये का उत्पादन तथा 1,18,651.42 लाख रूपये की बिक्री से 58,147 व्यक्तियों को पूर्ण समय के लिये रोजगार दिया गया है, जिन्होंने 16,240 लाख रूपये मजदूरी के रूप में अर्जित किये। बोर्ड ने वर्ष 2013–14 में खादी ग्रामोद्योग आयोग फण्डस से 8.34 लाख रुपये तथा सी.बी.सी. स्कीम के अर्न्तगत 26.37 लाख रुपये की वसुली की है खादी ग्रामोद्योग फण्ड से 8.26 लाख रूपये तथा सी.बी.सी. स्कीम के अर्न्तगत 3.40 लाख रूपये की वसूली 31–12–2014 तक की है। वर्ष 2013–14 में 90 संस्थाओ को 317.53 लाख रुपये खादी रिबेट की राशि वितरित की गई हैं तथा वर्ष 2014–15 में 89 खादी संस्थाओ को खादी रिबेट की राशि 381.14 लाख रुपये वितरित की गई है।

खान एवं भूविज्ञान

5.22 हरियाणा राज्य किसी बड़े खनिज के महत्वपूर्ण भण्डारों के लिये नहीं जाना जाता क्योकि बड़े खनिजों का ओद्यौगिक उपयोग ज्यादा नहीं था तथा इसकी ज्यादातर खनन गतिविधियों लघु खनिजों जैसा की पत्थर, रोड़ी, रेत इत्यादि तक ही सीमित है जोकि मुख्य तौर पर निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

खनिज गवेशण

5.23 खनिजों का गवेशण सम्बंधित कार्य तीन विभिन्न एंजैन्सियों अर्थात स्वंय विभाग द्वारा सुझाए गये स्थानों पर केन्द्रीय भूवैज्ञानिक योजना के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा और केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की शर्तो के अर्न्तगत निजी एंजैन्सियों को प्रोसक्टिंग करने का लाईसैंस प्रदान करके किया जाता है।

लघु खनिज

5.24 राज्य में खनन कार्य मुख्य तौर पर पत्थर, रोड़ी, बजरी, रेत तथा स्लेट इत्यादि लघु खनिजों के खनन तक ही सीमित है जो निर्माण सामग्री के लिये प्रयुक्त किये जाते है। पहले पंजाब लघु खनिज अनुदार नियम 1964, जोकि समय–समय पर संशोधित किये गये है कि शर्ते एवं नियम के अनुसार खनन (ठेके और पटटे) प्रदान किये जाते थे। अब हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा लघु खनिज, स्टॉकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 अधिसूचित कर दिये हैं। खनन पटटे/खनन ठेके/परिमिट खुली नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था द्वारा प्रदान किये जाते है।

5.25 सोनीपत एवं पानीपत जिलों के दो रेत के ठेकों तथा रेवाड़ी जिले के बड़े खनिज की एक स्लेट खान के अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य में सभी खनन गतिविधियां मार्च, 2010 से ठहर गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों के कारण राज्य में खनन से सम्बंधित पैदा गतिरोध की स्थिति की वजह से निर्माण एवं विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की कानूनी चुनौती थी। मामलों का गंभीरता से अध्ययन करने उपरांत, राज्य में मास अक्तूबर, 2013 में इन मामलों को निपटाया जा सका। विभाग द्वारा मास दिसम्बर, 2013 में 42 लघु खनिज खानों की सफलतापूर्वक निलामी की गई। राज्य में इन कुल 42 खनन युनिटों से राज्य को 2,133.93 करोड़ रूपये की आकर्षक वार्षिक बोली प्राप्त हुई, जोकि सराहनीय है हालांकि, वास्तविक खनन गतिविधियां प्रारम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने के कारण कुछ समय लग सकता है।

खान एवं भू–विज्ञान का राजस्व, वर्ष 2009–10 से लेकर दिसम्बर, 2014 तक का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2 – खनन/खनिजों से राजस्व प्राप्ति 2009–10 से 2013–14

क्रम संख्या	वर्ष	करोड़ो रूपये में
1.	2009–10	248.66
2.	2010–11	56.10
3.	2011–12	128.26*(87.39)
4.	2012–13	58.48
5.	2013–14	81.51
6.	2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)	31.48 (लगभग)

(*वित्त वर्ष 2011–12 में राजस्व 128.26 करोड़ रूपये की बजाय 87.39 करोड़ रूपये था क्योंकि जून और अगस्त 2011 में खनिज बोलियॉ रद्द होने के कारण असफल बोली दाताओं को उनके 40.87 करोड़ रूपये वापिस करने पड़े।)

आबकारी एवं कराधान

5.26 आबकारी एंव कराधान विभाग राज्य का राजस्व प्राप्ति का प्रमुख विभाग है और विभिन्न अधिनियम जैसे कि वाणिज्यिक कर, वैट अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम, आबकारी अधिनियम पी.जी.टी. अधिनियम और लक्जरी अधिनियम के तहत संग्रह प्रशासन करता है। आबकारी एंव कराधान विभाग विभिन्न वाणिज्य करो व उत्पाद शुल्क के संग्रह को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्व है। इस विभाग ने दिसम्बर, 2014 तक 18,172.98 करोड़ रुपये के विरुद्व 19,618.76 करोड़ रुपये एकत्रित किये जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.96 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2014–15 के दौरान सरकार द्वारा की गई नई उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

5.27 विभाग ने सभी कर प्रक्रियाओं की कम्पयूट्राईजेशन के लिए M/s Wipro Ltd. को सिस्टम इन्टैगेरेटर के रुप में चुना है। M/s Wipro Ltd. सभी व्यापारियों के लिए एक वास्तविक समय के आधार पर 26 ई–मोडयूल बनायेगी जिसमें ई–पंजीकरण, ई–वापसी, ई–भुगतान, ई–रिकवरी तथा ई–फार्म इत्यादि ऑनलाईन सेवाएं होगी। यह सुविधा विभाग एवं व्यापारियों के बीच में परेशानी मुक्त सुचनाओं का आदान–प्रदान करने में सहायक रहेगी और कर चोरी की घटनाएं भी कम होगी आबकारी ठेकों को आवंटन के लिए ई–निविदा इस साल से शुरु हो जाएगी और ई–पंजीयन, ई–भुगतान और रिटर्न की ई–फाइलिंग भी अप्रैल, 2015 के महीने में डीलरों को उपलब्ध कराई जाएगी। हम हमारे राज्य में 1 अप्रैल, 2016 से जीएसटी का प्रवेश करने के लिए प्रतिबद्व हैं।

***

6

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर वर्ष 2014–15 में 58.9 प्रतिशत हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि ढांचे के करीब ले जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के प्रथम तीन वर्षों की अवधि के दौरान भी सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान जारी रहा।

सेवा क्षेत्र का विकास

6.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में अच्छी विकास दर के बाद वर्ष 2012–13 में 7.9 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज की गई, परन्तु 2013–14 में इस क्षेत्र ने दोबारा से इसी वृद्धि को पकड़ा। वर्ष 2013–14 के द्रुत अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर सेवा क्षेत्र से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी। वर्ष 2013–14 में 9.4 प्रतिशत की शानदार विकास दर परिवहन, भण्डारण और संचार (9.6 प्रतिशत) वित्त, बीमा, अचल सम्पत्ति तथा व्यापार सेवाएं (16.8 प्रतिशत) तथा सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं (11.1 प्रतिशत) की अधिक विकास दर के कारण हुई। वर्ष 2013–14 के दौरान इस क्षेत्र की विकास दर (9.4 प्रतिशत) कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में दर्ज की गई विकास दर क्रमशः 3.1 एवं 4.4 प्रतिशत से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014–15 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर सेवा क्षेत्र में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों का विकास

व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट

6.3 11वी पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट उपक्षेत्र समूह ने 14.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की (**तालिका 6.1**)। वर्ष 2012–13 में इस क्षेत्र की दर 5.5 प्रतिशत के साथ नीचे चली गई। वर्ष 2013–14 के द्रुत अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में विकास दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई। अग्रिम अनुमान वर्ष 2014–15 में इस उपक्षेत्र की विकास दर 8.9 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

परिवहन, भण्डारण और संचार

6.4 11वी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवहन, भण्डारण एवं संचार उपक्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान इस उप़क्षेत्र ने 9.3 तथा 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। अग्रिम अनुमान वर्ष 2014–15 में इस उप़क्षेत्र की विकास दर 9.1 प्रतिशत की सम्भावना है।

तालिका 6.1– सेवा क्षेत्र का विकास

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2007–12	2012–13 (अ.)	2013–14 (द्रु.)	2014–15(अग्र.)
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	14.8	5.5	3.5	8.9
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	8.8	9.3	9.6	9.1
वित्त, बीमा एवं अचल सम्पत्ति तथा व्यापार सेवाएं	11.4	9.6	16.8	15.6
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	11.7	10.2	11.1	11.9
कुल सेवा क्षेत्र	**12.2**	**7.9**	**9.4**	**11.4**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा। अः अनन्तिम अनुमान, द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान

वित्त एवं अचल सम्पत्ति

6.5 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त एवं अचल सम्पत्ति उपक्षेत्र में 11.4 प्रतिशत विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान इस उपक्षेत्र ने क्रमशः 9.6 प्रतिशत तथा 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2014–15 के अग्रिम अनुमान के अनुसार इस उपक्षेत्र की विकास दर 15.6 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है।

सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा

6.6 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र में 11.7 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान इस उपक्षेत्र में 10.2 व 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 के अग्रिम अनुमान के अनुसार इस उपक्षेत्र की विकास दर 11.9 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है।

***

7

विद्युत, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन एवं भण्डारण

सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व सर्वमान्य है। वास्तव में यह आर्थिक वृद्धि और विकास की एक मुख्य कुंजी है तथा अर्थ–व्यवस्था को ईंधन प्रदान करने में सक्ष्म है। अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे फ्रेट पर प्रगति की परवाह किये बिना अर्थ–व्यवस्था को साकार करने से रोक सकता है। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढ़ाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त है। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढाने पर सीधा प्रभाव ड़ालती हैं। बिजली की बढती हुई विफलताएं, बिजली की कमी, भीड़–भाड़ वाली सड़कें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढ रही खाई सामर्थ्य में कमी एवं अकुशलता के दिखाई देने वाले संकेत है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक निजी भागेदारी कान्सैप्ट के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पीपीपी की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ़ रही है क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता है। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सड़कों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसका सिंहावलोकन बाद के वर्गों में दिया गया है।

ऊर्जा

7.2 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर बढाने और जीवन की गुणवत्ता बढाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए, वहन की जाने वाली कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो जेनरेशन पोटेंशियल बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खाने भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमान पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।

7.3 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 10,729.04 मैगावाट है। इसमें 3,230.20 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 829 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। 2006–07 के दौरान इन स्त्रोतों से विद्युत उपलब्धता 25,125.3 मिलियन यूनिट (एम.यू.) से 2013–14 के दौरान बढ़कर 40,277.9 मिलियन यूनिट हो गई। वर्ष 2014–15 (अक्तूबर, 2014 तक) के दौरान 17,040.3 मिलियन यूनिट (एम.यू.) थी। वर्षवार कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली **तालिका 7.1** में दी गई है।

तालिका 7.1– राज्य में बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता, बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29	343	6010	5,010
1970–71	29	486	12460	9030
1980–81	1074	1174	41480	33910
1990–91	1757	2229.5	90250	66410
2000–01	1780	3124.5	166017	154231
2010–11	4106	5997.83	296623	240125
2011–12	4106	6740.93	326473	266129.66
2012–13	4106	9839.43	343177	262576.03
2013–14	4060	10683.61	402779	288608.72
2014–15	4060 (दिसम्बर, 2014 तक)	10729.04	170403 (अक्तूबर, 2014 तक)	127217 (अक्तूबर, 2014 तक)

***** इसमें राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है, परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पी.(आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं) आदि सम्मिलित नहीं है।

तालिका 7.2–बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2011–12	3849779	479366	88821	540406	38593	4996665
2012–13	4020928	502912	91087	561381	41919	5218227
2013–14	4136499	522110	93839	582605	46076	5381129
2014–15(नवम्बर, 2014 तक)	4216469	540063	95804	599435	47026	5498797

7.4 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 53,81,129 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 7.2** में दी गई है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2006–07 में 700 यूनिट से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 1,377.81 यूनिट हो गई है।

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

7.5 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, परिचालन कार्य कुशलता में सुधार, वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं पुनर्गठन आदि किए गए हैं। राज्य के अपने उत्पादन केन्द्रों से 26–08–2014 को 723.48 लाख यूनिट प्रतिदिन रिकार्ड उत्पादन किया है। निजी क्षेत्र की भागेदारी द्वारा राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया है।

अक्षय ऊर्जा

7.6 आद्यौगिक सह–उत्पादन तकनीक द्वारा 36.41 मैगावाट की 15 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और 10.75 मैगावाट क्षमता की 3 परियोजनाओं का कार्य निर्माणाधीन हैं। चीनी मिलों में खोई आधारित सह–उत्पादन से बिजली पैदा करने की 60 मैगावाट क्षमता की 6 परियोजनाएं राज्य की सहकारी चीनी मिलों में स्थापित की गई हैं ऐसी ही 25 मैगावाट क्षमता की एक परियोजना नारायणगढ़ चीनी मिल लि0, निर्माणाधीन है।

7.7 राज्य में 10.8 मैगावाट क्षमता की 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं 112 करोड़ रूपए के निवेश से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 10.90 मैगावाट क्षमता की 5 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सरकार द्वारा सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 3,600 रूपए प्रतिवर्ष बिजली के बिलों में छूट दी जाती हैं। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 300 एल.पी.डी. क्षमता की सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिकतम 18,000 रूपए का अनुदान भी दिया जाता हैं।

7.8 हरियाणा देश का एकमात्र राज्य हैं जहॉ सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करना, सरकारी कार्यालयों/संस्थानों में सी.एफ.एल. का प्रयोग तथा कृषि क्षेत्र में 4 स्टार पम्प, आई.एस.आई. मार्का फुट/रिफलैक्स वाल्व का प्रयोग सरकारी अधिसूचना द्वारा अनिवार्य किया गया है।

7.9 विभाग द्वारा हरियाणा के सरकारी/अर्धसरकारी भवनों में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा सयंत्र लगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत हरियाणा सरकार के 40 प्रतिशत अनुदान व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के 30 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की सहायता से सरकारी/अर्धसरकारी भवनों में 5 किलोवाट से 100 किलोवाट की क्षमता के सौर ऊर्जा सयंत्र और केन्द्रीकृत सौर ऊर्जा सयंत्र एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट के साथ लगाए जाते है। विभाग द्वारा 728 किलोवाट क्षमता के सयंत्रों का कार्य आवंटित किया जा चुका है जिसमें से 165 किलोवाट क्षमता के सयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 563 किलोवाट के सयंत्र स्थापित करने का कार्य चल रहा हैं। विभाग ने उक्त सयंत्र खरीदने के लिए मूल्य अनुबंध कर लिया है और लाभार्थी का अंशदान इक्ट्ठा करने की प्रक्रिया चालू हैं। इन सयंत्रों के मार्च, 2015 तक पूर्ण होने की संभावना हैं। इसके अतिरिक्त 346.25 लाख रूपए की लागत से 2,500 एल.ई.डी. सौर प्रकाशीय सयंत्र राज्य के विभिन्न गॉवों में लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में विशेष परियोजना के तहत 531 लाख रूपए की लागत से 12 जिलों नामतः अम्बाला, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, झज्जर, कैथल, कुरूक्षेत्र, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर के 25 अनुसूचित जाति बहुसंख्यक गॉवों में 1,260 एल.ई.डी. सौलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का कार्य चल रहा हैं।

वास्तुकला

7.10 वास्तुकला विभाग, हरियाणा सरकार की नोडल एजैंसी हैं जो सरकारी इमारतों की योजना और डिजाईन को बहुत ही अल्पव्यय तथा सौंदर्यकरण को आकर्षक रूप देता है। यह विभाग सेवा विभाग के रूप मे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह विभाग विभिन्न सरकारी भवनों तथा बोर्ड एवं निगम तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुक सम्बन्धी सेवाएं कुशलता पूर्वक प्रदान करता है। यह विभाग आंशिक रूप से कम्प्यूट्राईजड है और भविष्य में 100 प्रतिशत कम्प्यूटराईज करने की योजना है। सभी प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए आधुनिक भवन सामग्री को प्रयोग करने का अनुमोदन किया गया है। सौर जल उष्मा एवं वर्षा जल संचयन आदि प्रणालियों का भवनों में विशेष प्रावधान किया जा रहा है। यह प्रबल रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक भवन–योजना में प्राकृतिक दृश्यों, आंतरिक सज्जा एवं नवीन/आधुनिक शैली और सामग्री को महत्व दिया जाये।

सड़कें

7.11 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार का प्रमुख साधन है। सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतू तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना,बाई पासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क उपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना, जिन पर पहले से काम चल रहा है। **तालिका 7.3** में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.3 में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

कम सं0	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि0मी0 में
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 673} 1957 एन.एच.ए.आई.– 1284}
2	राज्य उच्च मार्ग	2128
3	मुख्य जिला सड़कें	1425
4	अन्य जिला सड़कें	20315
	कुल	**25825**

7.12 वर्ष 2014–15 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, उंचा उठाने, सीमैंट कंकीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। दिसम्बर, 2014 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त का विवरण **तालिका 7.4 में** निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.4– वर्ष 2014–15 के दौरान सुधारीकरण कार्यक्रम के तहत

(क) वित्तीय प्रगति

(रूपये करोड़)

क्र0सं0	**लेखा शीर्ष**	**बजट अलाटमैंट 2014–15**	**खर्चा दिसम्बर, 2014 तक**
1.	प्लान 5054 (सड़क और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित)	1593.15	1243.80
2.	नान प्लान 3054	528.34	485.10
3.	केन्द्रीय सड़क कोष	67.00	44.03
4.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	43.00	23.34
5.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	9.91	14.77
6.	डिपोजिट कार्य (एच0 एस0 आर0 डी0सी0 की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)		17.67
	कुल	**2241.40**	**1828.71**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र0सं0	**मद**	**लम्बाई (कि0मी0 में) (दिसम्बर, 2014 तक)**
1.	नया निर्माण	34
2.	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	2254
3.	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	420
4.	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	144
5.	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	175
6.	पुर्ननिर्माण तथा उठाना	217
7.	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	3

7.13 वर्ष 2014–15 के दौरान सड़क/पुल कार्य जो स्वीकृत हुये है, जो **तालिका 7.5** में दर्शाये गये हैः–

तालिका 7.5– वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृत सड़क/पुल कार्य

(रूपये करोड़)

क्र0सं0	**लेखा शीर्ष**	**कार्यों की संख्या**	**राशि**
1.	प्लान–5054	54	102.79
2.	नान प्लान–3054	132	91.54
3.	नाबार्ड– सड़कें पुल	32 22	376.57 100.65
4.	केन्द्रीय सड़क कोष	..	..
5.	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण		
i)	सड़कें	83	917.45
ii)	पुल	18	
6.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	16	133.71
7.	उपरगामी पुल/भुमिगत पुल (प्लान–5054)	..	..
8.	पुल (नान प्लान–3054)	5	13.50
	कुल	**362**	**1736.21**

भवन

7.14 भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिये बजट आबंटन **तालिका 7.6 में** वर्णित है।

तालिका 7.6– वर्ष 2014–15 के दौरान भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए आबंटन

(रूपये करोड़)

क्रं0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2014–15	खर्चा दिसम्बर, 2014 तक	खर्चे की प्रतिशतता
1.	राजस्व भवन	127.15	96.30	75
2.	कैपीटल भवन	515.47	296.96	58
3.	डिपोजिट भवन	–	34.15	–
	कुल	**687.62**	**427.41**	

मुख्य पहल

7.15 विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिये तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपर गामी पुल बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है, 21 रेल ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन है, मास्टर प्लान में रेल ऊपरगामी पुलों की पहचान की गई है तथा चालू पुलों/ऊपरगामी पुल का ब्यौरा **तालिका 7.7** में निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.7– मास्टर प्लान में रेल ऊपरगामी पुलों की पहचान

क0सं0	विवरण	2014–15 के दौरान पूर्ण
1.	ऊपरगामी/भूमिगत पुल पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है।	3
2.	ऊपरगामी/भूमिगत पुल निर्माणाधीन	21
3.	ऊपरगामी/भूमिगत पुल जो हाथ में लिये गये हैं	19

तालिका 7.8– चालू पुलों और ऊपरगामी/भूमिगत पुलों के कार्यो की स्थिति

(रूपये करोड़)

क्रं0सं 0	विवरण	न0	लागत	पूर्ण	प्रगति में
1.	पुल	42	167.27	13	29
2.	ऊपरगामी /भूमिगत	24	719.10	3	21

7.16 रेलवे लाईन

क) रोहतक–रेवाड़ी–झज्जर नई रेलवे लाईन का कार्य 603 करोड़ रूपये की लागत से पुर्ण हुआ।

ख) सोनीपत–जींद रेलवे लाईन का कार्य 741 करोड़ की लागत से अगस्त, 2015 में पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

ग) रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाईन–भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 406 करोड़ रूपये हैं।

घ) रोहतक–पानीपत रेलवे लाईन के हिस्से का रोहतक नगर सीमा के बाहर स्थानांतरण करने का भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 181 करोड़ रूपये है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

7.17 एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा 638.41 करोड़ रूपये कि 7 परियोजनाओं को 30–12–2013 को मन्जूर किया तथा राज्य सरकार द्वारा लगभग 403.85 करोड़ रूपये कि 3 परियोजनाओं को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया हैं। उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार ने लगभग 300 करोड़ रूपये कि एक सडक परियोजना को ऋण सहायता के लिए एनसीआरपीबी को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कि जा रही हैं। सरकार को एक अन्य योजना के तहत 2 सड़क परियोजनाए जिनकी

अनुमानित लागत 810 करोड़ रूपये हैं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऋण योजना के तहत अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कि गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऋण योजना के तहत पानीपत, हिसार, रोहतक और गुडगांव जिलों में एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा 10 ऊपरगामी पुलों के निर्माण का प्रस्ताव हैं। इन ऊपरगामी पुलों कि डीपीआर तैयार कि जा रही हैं। इस की अस्थाई लागत 386.08 करोड़ रूपये होगी।

नाबार्ड स्कीम

7.18 नाबार्ड स्कीम आर.आई.डी.एफ.–20 के तहत वित्तीय सहायता के लिए 353.60 करोड़ रूपये कि लागत से 31 सड़कों जिनकी लम्बाई 260.68 कि.मी. हैं को चौडा व मजबूत करने के लिए स्थायी वित्त समिति 'बी' द्वारा अनुमोदन किया गया है।

शहरी आधार भूत ढांचा विकास

7.19 राज्य में 78 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें 9 नगर निगम, 19 नगरपरिषदें तथा 50 नगरपालिकाएं हैं। वर्ष 2014–15 के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हेतु 1,930.80 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–2015 के नॉन–प्लान बजट में केन्द्रीय वित्त आयोग के अर्न्तगत रुपये 129.74 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

7.20 भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अर्न्तगत जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं मकानों के निर्माण आदि के लिये 768.70 करोड़ रूपये की राशि की 6 विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्टस अनुमोदित की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करने के लिए नगरनिगम फरीदाबाद द्वारा 31–12–2014 तक 708.27 करोड़ रुपये की राशि उपयोग में लाई जा चुकी है।

7.21 लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारिक संरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी.) के तहत सात कस्बों (बहादुरगढ़, चरखी दादरी, करनाल, यमुनानगर, अम्बाला, नारनौल तथा रोहतक) के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन, सीवरेज प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट के लिए 201.26 करोड़ रुपये की नौ विस्तृत परियोजना रिपोर्टस भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी, जो कार्यान्वयन के अंर्तगत है या पूरा कर रहे है। भारत सरकार द्वारा 123.79 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 30.95 करोड़ रुपये बतौर राज्य अंशदान किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित आधारिक संरचना कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए 151.37 करोड़ रुपये की राशि 31–12–2014 तक उपयोग में लाई जा चुकी है।

7.22 समेकित आवासीय और बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के बस्ती में रहने वाले निवासियों को पर्याप्त आश्रय और आधारभूत सुविधाएं देना है। स्कीम के दिशा–निर्देश अनुसार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सुधारों/उन्नयन/परियोजनाओं की पुर्नस्थापना जिसमें उन्नयन/मकानों के नये सिरे से निर्माण व आधारभूत सुविधाएं जैसाकि जलापूर्ति, सीवरेज, स्टोर्म वाटर ड्रेन्ज, सामुदायिक स्नानगृह, लेन्ज, स्ट्रीट लाईट्स व सामुदायिक शौचालय इत्यादि के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा 23 प्रौजेक्टों के लिए 242.77 करोड रूप्ये अनुमोदित किये गये। वर्ष 2014–15 में (दिसम्बर, 2014 तक) 9,364 आवास इकाईयों का निर्माण तथा 963 इकाईयां प्रगति पर हैं।

7.23 राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों में मिशन मोड दृष्टिकोण पर राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम हेतू राजीव गाँधी शहरी विकास मिशन हरियाणा प्रारम्भ की गई है। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए 470.58 करोड़ रुपये की राशि नगरपालिकाओं को जारी की गई है। चालू वित वर्ष 2014–15 के दौरान 717.52 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं और इसमें से 584.05 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को अब तक जारी की जा चुकी है।

7.24 आवास एवं शहरी निर्धनता उपशमन, भारत सरकार द्वारा हॉल ही में राजीव आवास योजना (रे) के संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। राजीव आवास योजना 'स्लम फ्री इण्डिया' की परिकल्पना करती है जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाओं और सभ्य शरण लिए प्रयुक्त किया गया है। राजीव आवास योजना के तहत भारत सरकार ने 7 प्रौजेक्टों के लिए 475.35 करोड़ रूपये अनुमोदित किये हैं तथा अब तक 127.11 करोड़ रूपये कार्यान्वयन एजैन्सी द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

7.25 हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में कार्यान्वित मैचिंग ग्रांट स्कीम की तर्ज पर, शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियां व ग्राम सभा स्थापित करते हुए शहरी निकायों के कार्य में नागरिकों की संस्थागत भागीदारी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई) लागू की गई है जिसके अनुसार राज्य सरकार व सामान्य जन के मध्य 60:40 का अंशदान प्रस्तावित है जिसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न घटकों जैसाकि सामुदायिक भवनों/केन्द्रों का निर्माण व प्रबन्धन, सामुदायिक पार्कों का

विकास व रख–रखाव, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण व प्रबन्धन, आवारा पशुओं के लिए पशुबाड़ों का निर्माण व प्रबन्धन, गलियों की रोशनी का प्रबन्ध एवं रख–रखाव, ठोस कूड़ा/गारबेज के डोर–टू–डोर संग्रहण व परिवहन हेतु आधारभूत ढांचा तथा आंतरिक कालोनी जलापूर्ति/सीवरेज प्रणाली विकसित करना है। उक्त स्कीम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2012–13 में 1.86 करोड़ रुपये नगरनिगम हिसार और पानीपत को जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 0.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

7.26 पालिकाएं अपने अधिकार–क्षेत्र में सफाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं। पालिकाओं द्वारा उक्त कार्य हेतु 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाए हुए हैं। सरकार द्वारा आउटसोर्सिस के माध्यम से लगाए गए इन सफाई कर्मचारियों को दिया जाने वाला मासिक वेतन बढ़ा कर समान रूप से 8,100 रुपये दिनांक 01–01–2014 से कर दिया है। पालिकाएं अब इन सफाई कर्मचारियों को वेतन बैंक के माध्यम से अदा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रति 400 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मचारी के मापदंड के आधार पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के पद सर्जित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सफाई कर्मचारियों को सीधी भर्ती के अन्तर्गत ठेका आधार पर, कुल रिक्त सफाई कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ठेका आधार पर सीधे तौर पर लगाए सफाई कर्मचारियों की संख्या, पालिकाओं की विनम स्थिति तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अतिरिक्त पद सर्जित करने की अनुमति उपरान्त ही भरे जायेगें।

7.27 राज्य की सभी पालिकाओं को निर्देश दिए गए है कि हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 01–11–2014 से 07–11–2014 तक राज्य के सभी जिलों में सामाजिक/गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्लम क्षेत्रों में सफाई को फोक्स बनाकर 'स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान' शुरू करें। 'स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान', राज्य में प्रभावित होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर/नगर नजदीक भविष्य में साफ सुंदर बनें। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निपटान व ट्रीटमेंट सुविधा, कलस्टर अप्रोच पालिकाओं को 2019 तक उपलब्ध करवाई जाएगी जो हमारे शहरों को सुथरा बनाऐंगे।

सड़क परिवहन

वाणिज्यक अंग

7.28 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित, आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। परिवहन विभाग, हरियाणा इस वर्ष में भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा। परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग है, जैसे कि नियामक अंग व वाणिज्यक अंग (हरि0रा0परि0) है।

7.29 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी परिवहन सस्थाओं में से एक है। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 4,168 (30–11–2014 तक) बसें हैं जो 24 डिपो व 13 उप डिपुओं से संचालित की जाती हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन लगभग 12.88 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा 12.87 लाख यात्री प्रतिदिन राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व व्हीकल उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि0मी0 (कर रहित), दुर्घटना दर व ईंधन की खपत का कम होना।

7.30 हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये यूनियन परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए ए0एस0आर0टी0यू0 ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

7.31 वातानुकूलित वोल्वों बस सेवा विभाग द्वारा 10 वातानुकूलित वोल्वों बसों से शुरू की गई थी, जिनकी संख्या को बढ़ाकर अब 46 कर दिया गया है। यह बस सेवा चण्डीगढ़–दिल्ली, चण्डीगढ़–गुडगांव, चण्डीगढ–जयपुर, गुडगांव–आगरा व गुडगांव–हरिद्वार मार्गों पर चल रही हैं। लोगों को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये नई बस सेवायें शुरू की गई हैं जैसे कि सारथी वोल्वो वातानुकूलित बस सेवायें, हरियाणा उदय, सी.एन.जी बस सेवाएं, लो–फलोर वातानुकुलित बस सेवाऐं, सैमी लो–फलोर बस सेवाएं।

7.32 वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन का 4,500 का बस बेड़ा निर्धारित किया हुआ है जिनमें सी.एनजी.ए.सी., एस.एल.एफ., वोल्वो और ए.सी. इत्यादि बसें शामिल हैं। वर्ष 2013–14 में 562 पुरानी बसों को नई बसों से बदला गया। वर्ष 2014–15 में 215 पुरानी बसों को नई बसों में बदलना तथा बस बेड़े में 500 नई बसें शामिल करने के साथ–साथ गत वर्षों के बैकलोग को पूरा करने का कार्यक्रम है। इनमें से 291 बसों को दिनांक 31–12–2014 तक नई डिज़ाईन की बसों से बदला जा चुका है।

7.33 बड़े शहरों विशेषतः गुडगांव व फरीदाबाद में शहरी परिवहन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न शहरों में परिवहन प्रणाली को सदृढ़ करने के लिए सेमी लो–फ्लोर बसों का परिचालन शुरू किया गया है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (JnNURM) मिशन के अन्तर्गत फरीदाबाद में 150 शहरी बसें चलाई गई हैं। इनमें से लगभग 80 बसें वर्तमान में दोहरी पारी में 600 फेरे लगाकर लगभग 18,000 कि0मी0 प्रतिदिन तय करती हैं।

7.34 हरियाणा के विभिन्न शहरों व कस्बों में परिवहन सेवाओं में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। शहरों के अन्दर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतू गुडगांव शहर में 160 बसें डबल शिफ्ट में 900 फेरे लगाकर लगभग 18,000 कि0मी0 प्रतिदिन तय कर रही हैं जिनमें करीब 1 लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं। इसी योजना के तहत पंचकुला शहर में भी 35 बसें डबल शिफ्ट में 170 फेरे लगाकर लगभग 8,000 कि0मी0 प्रतिदिन तय कर रही हैं। शहरी बस सेवा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, रिवाडी, हिसार, करनाल व भिवानी में भी शुरु की गई है।

बस अड्डों/कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

7.35 वर्तमान में राज्य के विभिन्न स्थानों पर 100 बस स्टैण्डों का निर्माण किया है। वर्ष 2014–15 के दौरान लोगों की सुविधा के लिए नये बस स्टैंडों का निर्माण तथा कार्य शुरू किया है। वर्ष 2013–14 में 31.99 करोड़ रूपये खर्च किये गये। भूमि एवं भवन कार्यों पर वर्ष 2014–15 की योजना में 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2014 तक 23.31 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

कर्मशालाओ का आधुनिकरण

7.36 हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे तथा बुनियादी ढांचे आदि उपलब्ध करवा कर बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2013–14 में 40.86 लाख रूपये खर्च किये गये। वार्षिक योजना 2014–15 के लिए 200 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2014 तक 2.27 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

कम्प्यूट्रीकरण

7.37 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध समय में कमप्यूट्रीकृत किया जा रहा है। डिपू मैनेजमैंट प्रणाली के अतिरिक्त ऑन लाईन अग्रिम आरक्षण व टिकटिंग प्रणाली लागू की गई है। कम्प्यूट्रीकरण पर वर्ष 2013–14 में 27.09 लाख रूपये खर्च किये गए हैं। वर्ष 2014–15 की योजना में 200 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2014 तक 81.97 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

सड़क सुरक्षा

7.38 हरियाणा राज्य परिवहन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये कड़े सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। गहन प्रयासों से हरियाणा राज्य परिवहन, यातायात के घनत्व में अत्याधिक बढ़ौतरी के बावजूद दुर्घटनाओं की दर जो वर्ष 1994–95 में 0.21 प्रति एक लाख कि0मी0 थी, को घटाकर वर्ष 2014–15 (30–11 2014 तक) में 0.05 करने में सक्षम रहा है। यातायात में अत्यधिक घनत्व के बावजूद हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व नये भारी वाहन चालको को प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने के लिये 16 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी0टी0आई0, मूरथल में प्रशिक्षण शुरु किया गया है। वर्ष 2014–15 की योजना में 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

मुफत/रियायती यात्रा सुविधा

7.39 हरियाणा राज्य परिवहन समाज के कुछ पात्र लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक है। हरियाणा राज्य परिवहन समाज के पात्र वर्ग जैसे कि साक्षात्कार के लिये जाने वाले बेरोज़गार युवक, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, स्वतन्त्रता सेनानी, मान्यता–प्राप्त संवाददाता, पुलिस व

जेल कर्मचारी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, रक्षाबंधन के दिन महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा, छात्रों को विद्यार्थी बस पास के लिए उन्हें मासिक पास के लिये 10 एक तरफा किराया ही देने होगा, दिनांक 01–01–2014 से छात्राओं को उनके निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक मुफत यात्रा सुविधा 60 किलोमीटर तक, राष्ट्रीय केडिट कोर के कैंडिडेटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय 50 प्रतिशत की छूट, साठ वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को तथा पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट, हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा, पैरा लैम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा तथा साधारण जनता को बस पास सुविधा के तहत एक महीने के लिए 40, तीन महीने के लिए 110 व 6 महीने हेतू 200 एक तरफा किराया वसुल किया जाता है। एक महीने के बस पास के लिये 35 एक तरफा किराया हरियाणा सरकार के कर्मचारी के केस में। दिनांक 01–01–2014 से कैन्सर पीडित को उनके निवास स्थान से कैन्सर संस्थान तक मुफत यात्रा सुविधा।

रेगूलेटरी विंग

7.40 परिवहन विभाग के रेगूलेटरी विंग मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 हरियाणा मोटर वाहन नियमावली, 1993, हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2013 मोटर वाहन कर नियम, 2014 को लागू करने की जिम्मेवारी है। वर्ष 2013–14 के दौरान 850 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले में 1,094 करोड़ रूपए एकत्र किए गए। चालू वर्ष के दौरान 1,175 करोड़ रूपए अनुमानित प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है जिसको हासिल करने की संभावना है।

नई परिवहन नीति

7.41 राज्य सरकार दिनांक 12–08–2013 को नई स्टेज कैरिज स्कीम की अधिसूचना जारी की। इस स्कीम के अन्तर्गत 1,018 मार्गों पर 3,519 परमिट पेश किए जा रहे है। इस स्कीम को भिन्न–2 याचिकाओं के द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चुनौती दी गई है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28–10–2014 की याचिका संख्या सी.डब्लयू.पी. 20869 आफ 2013 तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में सीधे राज्य को इस स्कीम पर पुनः विचार करने के लिए निर्देश दिए। अतः उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में नई स्कीम सरकार को पुर्नविचार के लिए प्रस्तुत की गई है तथा पुरानी स्कीम 1993/2001 के अन्तर्गत वर्तमान बस ओपरेटरों की बसों के संचालन करने हेतू मामला सरकार द्वारा विचारा गया और सभी बस ओपरेटर जो 1993/2001 स्कीम से संबंधित है को 31–12–2014 तक अस्थाई परमिट दे दिए जाए या नई स्कीम को अंतिम रूप दे दिया जाए जो भी पहले हो वह लागू किया जाए।

ड्राइविंग कौशल में सुधार

7.42 चालक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में 4 चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (IDTR) स्थापित किया जा रहे है। बहादुरगढ़ में 15 करोड़, रोहतक में 16 करोड़ की लागत के साथ मारूति उधोग लि0 के सहयोग से 12 एकड़ क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा रहे है। चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, कैथल में मै0 अशोक लेलैण्ड लि0 के सहयोग से 10 एकड क्षेत्र में 17.28 लागत के साथ स्थापित किया जा रहा है। चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, भिवानी 10 एकड़ के क्षेत्र में गांव कालूवास (भिवानी) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ 12.45 करोड़ रूपए की लागत के साथ स्थापित किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन टाटा मोटर्स लि0 के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं तथा इमारत का निर्माण कार्य जल्द ही आरम्भ होगा। हाल ही एक और चालक प्रशिक्षण स्कूल, मेवात क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की गई है।

मोटर वाहनों के सड़क पात्रता में सुधार

7.43 मोटर वाहनों की फिटनेस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मोटर वाहनों में सड़क पात्रता की जांच के लिए 14.40 करोड़ रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ रोहतक में स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्र 1,25,000–1,50,000 वाहनों की सड़क पात्रता प्रति वर्ष जांच करने की क्षमता रखेगा। इस संस्थान के भवन का अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आने वाले महीने में कार्य के लिए तैयार हो जाएगा।

7.44 नागरिक सेवाओं में सुधार

(i) टैक्स का ई–भुगतान

नागरिक सेवाएं सरल और कारगर प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के संबंध में रोड टैक्स के भुगतान के लिए ई–भुगतान सुविधा शुरू की है।

(ii) लघु संदेश सुविधा (एस.एम.एस.)

विभाग द्वारा एस.एम.एस सेवा लागू की गई है। जो नागरिकों को उनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए लागू रोड टैक्स/शुल्क आर.टी.एस. और उपमण्डल अधिकारी (ना0) के कार्यालयों में जमा करवाने पर सूचना देगा।

(iii) नई वेबसाईट

विभाग द्वारा एक नई वेबसाईट आरम्भ की गई है जो विभाग द्वारा दी जा रही सेवाएं ई–भुगतान सुविधा तथा शिकायतों के निवारण बारे सूचना उपलब्ध करवाएगी।

7.45 कम्पयूट्रीकरण

(i) राज्य में राष्ट्रीय 'वाहन' और 'सारथी' कार्यक्रम सभी 83 पंजीकरण/लाईसैंसिग प्राधिकारी कार्यालयों में लागू किया गया है। सभी कार्य जो मोटर वाहन पंजीकरण से संबंधित और ड्राईविंग लाईसैंस जारी करने बारे है को कम्पयूट्रीकृत कर दिया गया है।

(ii) कम्पयूट्रीकृत कैश रसीद

कम्पयूट्रीकृत रसीद नकद (कर/शुल्क) पंजीकरण/लाईसैंस प्राधिकारी के सभी कार्यालयों में जारी की जा रही है।

7.46 सड़क सुरक्षा

(i) सड़क सुरक्षा उपायों और जागरूकता

क) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है जो परिवहन सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मुद्दों के समाधान करने के लिए है।

ख) 1,170 ऐसे स्थान है जहां पर दुर्घटना होने की पहचान की गई है। जिनमें से 870 जगह को सुधारा गया है। 1,051 स्थान की पहचान की गई है जहां पर गति अवरोधक का निर्माण किया जाना आवश्यक है इनमें से केवल अब तक 866 स्थानों पर गति अवरोधकों का निर्माण किया जा चुका है।

ग) सभी वाणिज्यिक वाहनों पर पिछले वर्ष स्पीड गवर्नर (गति नियन्त्रक) लगवाए गए हैं।

घ) सभी वाहनों पर पिछले दो वर्षों के दौरान रिफ्लेक्टर/चेतनशील टेपको चिपका दिया गया है।

ङ) ओवरलोडिंग वाहन, शराबी चालन, तेजगति चालन, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, खतरनाक ड्राईविंग की जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

च) विधार्थियों में सड़क सुरक्षा के बारे जागरूकता फैलाने के लिए राज्य के सभी सरकारी 88 महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लब स्थापित किए गए है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में पहली बार कमी की प्रवृति देखी गई है।

(ii) हरियाणा सड़क सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने बारे

सड़क दुर्घटनाओं के कारण आर्थिक और मानवीय दोनों का बहुत अधिक हानि हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और प्रभावी उपायों लागू करते हुए जांच की जरूरत है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के समन्वय के लिए एक प्राधिकरण सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने के लिए अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा। जिसके लिए हरियाणा सड़क सुरक्षा प्राधिकारी अधिनियम, प्रारूप तैयार किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी गठित होगा जो सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों के समाधान के लिए होगी। एक कोष बनाया जाएगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के लिए एकत्र समझौता शुल्क का 50 प्रतिशत जमा होगा। इसके अलावा, इस अधिनियम में एक प्रावधान मोटर वाहन पर उप–कर लगाने से सम्बन्धित किया गया है। यह मामला एफ.डी. तथा विधि विभाग की सहमति/पुर्ननिरीक्षण हेतू भेज दिया गया है।

वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग के जांच

7.47 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत माल वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग के खतरे की जांच करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रभावी प्रवर्तन अभियान शुरू किया है जिसमें वाहनों के चालान के अलावा सरकार द्वारा मोटर वाहन स्वामी के विरूद्ध अवैध संचालन करने पर अपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट योजना

7.48 केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार, विभाग ने उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की योजना को लागू किया है और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट को लगाने का काम शुरू किया हुआ है।

नई राष्ट्रीय परमिट योजना का कार्यान्वयन करने बारे

7.49 केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नई राष्ट्रीय परमिट योजना पूरी तरह से राज्य में लागू की गई है। सभी राष्ट्रीय परमिट केन्द्र सरकार द्वारा तैयार एक कम्पयूट्रीकृत प्रणाली के माध्यम से जारी किए जा रहे है।

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम

7.50 वर्तमान पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 में लागू किया गया था। तब से परिवहन क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो चुके हैं। वाहनों के संख्या और वाहनों के प्रकार भी काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मोटर वाहनों पर टैक्स लगाने के तरीके में भी समय के साथ काफी हद तक बदलाव किया गया है। इस सम्बन्ध में संशोधन करने तथा कराधान से सम्बंधित कानून को मजबूत करने और कराधान ढाचे को युक्तिसंगत बनाने के क्रम में पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम के स्थान पर हरियाणा वाहन कराधान अधिनियम, 2013 तथा हरियाणा मोटर वाहन कराधान नियम, 2014 की अधिसूचना दी गई है।

7.51 पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण

क) डीलर बिंदु पंजीकरण प्रणाली

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और पंजीकरण प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए हरियाणा में डीलर बिन्दु पंजीकरण प्रणाली को लागू करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इस प्रक्रिया से जनता का समय व प्रयास कम होगा और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

ख) पंजीकरण संख्या का क्रमरहित आबंटन

जल्द ही एक नई प्रक्रिया जिसमें पंजीकरण सख्या, कम्पट्रीकृत क्रमरहित आबंटन प्रणाली सभी पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालय में लागू की गई है जिससे कार्यालय के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

राज्य में सभी पंजीकरण तथा लाईसैंसिग प्राधिकरण में ड्राईविंग लाईसैंस/कंडक्टर लाईसैंस, टैक्स, परमिट और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित विरासत डाटा का डिजिटाइजेशन करने बारे।

7.52 भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09–04–2013 द्वारा राज्य भर में ड्राईविंग लाईसैंस/कंडक्टर लाईसैंस, टैक्स, परमिट और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र से सम्बंधित विरासत डाटा का डिजिटाइजेशन करने की परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया है। विभाग के प्रस्ताव को सरकार द्वारा दिनांक 25–09–2013 को विरासत डाटा कम्प्यूट्रीकृत करने के लिए अनुमोदित किया गया है। सरकार और वैन्डर यानि मै0 गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड, अहमदाबाद के साथ समझौता दिनांक 03–11–2014 को हुआ है। विक्रेता ने डिजिटाईजेशन का कार्य शुरू कर दिया है।

नागरिक विमानन

7.53 सिविल विमान्न विभाग, हरियाणा के द्वारा पांच सिविल हवाई पटिट्यां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान के तीन विमान्न केन्द्र हिसार, करनाल तथा पिन्जौर में स्थित हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों को फ्लाईंग तथा ग्लाईडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा राज्य में फ्लाईंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूटस, जनरल एविएशन हब तथा हैलीकॉप्टर हब फ्लाईंग ट्रेनिंग सुविधा सहित नई पी.पी.पी. प्रणाली में स्थापित करने हेतु विभाग ने ट्रांजक्शन एडवाईजर को नियुक्त किया था। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राइवेट पायलट लाइसेंस, कमर्शियल पायलट लाइसेंस तथा इंस्टेक्टर रेटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

7.54 हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्धारा वर्ष 2014–15 (31–12–2014 तक) के दौरान स्टूडेंट पायलट लाइसेंस (एस.पी.एल.), प्राइवेट पायलट लाइसेंस (पी.पी.एल.), कमर्शियल पायलट लाइसेंस

(सी.पी.एल.), असिसटैंट फ्लाइट इसंट्रक्टर रेटिंग (ए.एफ.आई.आर.), फ्लाइट इसंट्रक्टर रेटिंग (एफ.आई.आर.), तथा इंसटूमेंट रेटिंग (आई.आर.) लाइसेंस का विवरण **तालिका 7.9** में दिया गया है:–

तालिका 7.9 उडान प्रशिक्षण के लिए स्टूडेंट पायलट लाइसेंस (एस.पी.एल.) की स्थिति

क्रम संख्या	प्रशिक्षाणार्थी	प्राप्त किये गये लाईसैंस की संख्या	
1.	26	एस.पी.एल.	39
2.		पी.पी.एल.	3
3.		सी.पी.एल.	11
4.		सी.पी.एल. (सी.)	10
5.		ए.एफ.आई.आर.	–
6.		आई.आर. + आई.आर. नवीकरण	21
7.		एफ.आई.आर. (ए.)	7

कृषि विपणन

7.55 हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डी का गठन 1 अगस्त, 1969 में इस उददेश्य से किया गया है कि किसानों की आय बढें और उनकी विपणन की सुविधायें बढें। आज यह विभाग 107 मुख्य यार्ड, 174 सब यार्ड और 195 खरीद केन्द्रों के माध्यम से कार्य कर रहा है। यहां 33 कपास मण्डियों, 30 फल एंव सब्जी मण्डियां, 25 चारा मण्डियो, 3 मछली मण्डियां, 2 किसान बाजार, एक लक्कड़ मण्डी, एक सेब मार्किट तथा एक ऊन मार्किट भी बनाई गई है, इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में अनाज के भण्डारण के लिये 4.5 लाख टन क्षमता के गोदाम भी बनाये गये है। बोर्ड तथा मार्किट कमेटियों की आय का साधन मार्किट फीस, प्लाटो की बिक्री तथा एच.आर.डी.एफ. एकत्रीकरण है।

भण्डारण क्षमता

7.56 बोर्ड द्वारा राज्य में विभिन्न मण्डियों में 266 कर्वड शैड और इसके साथ 4.50 लाख टन क्षमता के अनाज भण्डारण के गोदामों का निर्माण कराया।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रोजैक्ट

7.57 राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार की सहायता राशि से अनेक सब्जी मण्डियों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 15 परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनमें शीतलकरण, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग, छटाई तथा पैकिंग की सुविधायें दी जानी है। किसानों को उनके उत्पादन का अतिरिक्त मूल्य दिलवाने के लिए ये सभी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 15 में से 10 परियोजनाओं को लीज पर देकर चलाया जा रहा है बाकी की 5 को लीज पर देने की प्रकिया जारी है।

भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय बागवानी मार्किट गन्नौर (सोनीपत) का विकास

7.58 विपणन बोर्ड द्वारा फ्रांस मे पेरिस के नजदीक रूंगीस मार्किट की तर्ज पर गन्नौर में एक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं वाली पोस्ट हारवेस्ट सपोर्ट सिस्टम पर आधारित मार्किट विकसित करने के लियें 537 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। यह मार्किट हरियाणा के अतिरिक्त पूरे उत्तर भारत से और देश के महानगरों से भी जुड़ी हुई होगी। यह एक अति आधुनिक थोक मूल्य सब्जी व फल, फूल तथा दुग्ध उत्पादों की मार्किट होगी जिसमें ठण्डे चैम्बर, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग तथा पैकिंग जैसी सुविधायें होगी। यह मार्किट लगभग 100 संग्रह केन्द्रों द्वारा पूरे राज्य से जुड़ी होगी। यह मार्किट एक साफ व स्वच्छ वातावरण में होगी जिसमें एक वर्ष में लगभग 7.5 लाख टन फल व सब्जियां सम्भालने की क्षमता और 1 लाख टन अण्डा, मीट, मछली तथा 0.5 लाख टन फूलों को संभालने की क्षमता होगी। इसका प्रारम्भिक विकास कार्य शुरू कर दिया गया है तथा इसकी चार दीवारी, प्रवेश सडक, लैंडस्केपिंग, छतरी तथा शैडों जिसमें पैक हाउस भी शामिल हैं, के निर्माण में अब तक 18 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

एग्रो/शॉपिंग मॉल परिसर का निर्माण

7.59 बोर्ड द्वारा राज्य में 4 मण्डियों में एग्रो माल विकसित किये जा रहे हैं ताकि किसानों को अपनी उपज की बेहतर विपणन सुविधा तथ उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इस श्रृंखला में करनाल, पानीपत तथा रोहतक में एग्रो मॉल बिल्डिंग बना कर तैयार कर दी गई है जबकि पंचकूला में कार्य लगभग पूरा होने के स्तर पर है। इनके निर्माण पर अब तक 174 करोड़ रूपये खर्च हो चुके है।

मुख्य मन्त्री कृषक एंव खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

7.60 यह योजना जनवरी, 2014 में शुरू की गई और इसके अन्तर्गत कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रित पत्नी या बच्चों को 5 लाख तथा अंग भंग होने या विकलांगता होने पर 2.50 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 8,985 परिवारों को 24.71 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है।

नई सड़कों का निर्माण

7.61 अप्रैल, 2005 से दिसम्बर, 2014 की अवधि में 3,786 कि0 मी0 लम्बाई की 1,349 नई सडकों का निर्माण किया गया जिन पर 877 करोड रूपये खर्च किये गये। इस प्रकार बोर्ड द्वारा अब तक निर्मित सडकों की कुल लम्बाई 13,171 कि0मी0 हो गई, इनमें से 13,171 सडके बोर्ड द्वारा बनाई गई है। इनमें से 1,815 कि0 मी0 लम्बाई की सडकें दूसरे विभागों को ट्रांसफर कर दी गई और बाकी बची 11,356 कि0 मी0 लम्बाई की सडकें बोर्ड के पास रख रखाव तथा मरमम्त के लिए है।

सडकों की विशेष मरम्मत

7.62 मार्च, 2005 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि में 9,500 कि0 मी0 लम्बाई की सड़कों की मुरम्मत कर दी गई है जिस पर 924.54 करोड़ रूपये खर्च आया है इस खर्च में वार्षिक मरम्मत पर खर्च किये गये 71.71 करोड़ रूपये भी शामिल है।

7.63 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कम्प्यूट्रीकरण तथा आई.टी. के क्षेत्र में नवीनकरण शुरू किया गया। किसानों तथा कमीशन एजेंटों का भुगतान e-payment देने के लिए को–ब्राडिंड कार्ड स्कीम शुरू की गई। सरदार प्रताप सिंह कैरों स्कीम के नाम से किसानों की उपज के भुगतान की योजना भारतीय राष्ट्रीय कारपोरेशन द्वारा शुरू की गई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अपना निर्माण विभाग है और अनेक विकास कार्य किये जा रहे हैं।

भण्डारण (हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन)

7.64 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अर्न्तगत किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों एवं व्यापारियों को कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस समय दिसम्बर, 2014 तक निगम कुल 16.66 लाख टन क्षमता का संचालन करते हुए राज्य में 110 वेयरहाऊस चला रहा है जिसमें 15.58 लाख टन क्षमता के कवर्ड गोदाम एवं 1.08 लाख टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। वर्षवार औसत भण्डारण क्षमता **तालिका 7.10** में दर्शाई गई है।

तालिका 7.10– औसत भण्डारण क्षमता एवं इसकी उपयोगिता

(टन)

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता	औसत उपयोगिता	उपयोगिता प्रतिशत में	भण्डारगृहो की संख्या
2005–06	1485309	851494	57	105
2006–07	1390272	837581	60	105
2007–08	1397115	968645	69	105
2008–09	1468483	1220165	83	106
2009–10	1692611	1544559	91	107
2010–11	1616270	1497189	93	107
2011–12	1672188	1645066	98	107
2012–13	1888401	1966756	104	108
2013–14	1791037	1603636	90	109
2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)	1697983	1287206	76	110

7.65 निगम के पास 1 नवम्बर, 1967 को इसकी स्थापना के समय मात्र 7,000 टन क्षमता के गोदाम उपलब्ध थे। वर्ष 2013–14 में निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत राज्य में 24 विभिन्न स्थानों पर 2,38,466 टन क्षमता के भण्डारगृहों का निमार्ण करने का कार्य **तालिका 7.11 में** दर्शाया गया है।

तालिका 7.11– वर्ष 2014–15 में निर्माणाधीन गोदाम

लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणी
2,38,466 टन क्षमता	79,322 टन क्षमता के गोदाम पूरे हो चुके है।	1,44,144 टन क्षमता के गोदाम 31–3–2015 तक पूरे हो जायेगें। 15,000 टन0 क्षमता के गोदामों का कार्य बीर (हिसार) निशानदेही की वजह से रूका हुआ है।

हरियाणा राज्य सहकारिता पूर्ति तथा मार्केटिंग फैडरेशन (हैफेड)

7.66 हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड) हरियाणा की एक सबसे बड़ी सहकारी पंजीकृत प्रसंघ है तथा 1 नवंबर, 1966 को अलग हरियाणा राज्य बनने के साथ ही अस्तित्व में आई है। तब से लेकर हरियाणा के किसानों के साथ–साथ भारत व विदेशी उपभोक्ताओं की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा हैं। हैफेड के उद्देश्य निम्न हैः–

- कृषि एवं इसमे सम्बद्व उत्पादों के खरीद, विपणन तथा प्रसंस्करण के प्रबंध करना।
- कृषि आदानों जैसे कि उर्वरक, बीज तथा कीटनाशकों की आपूर्ति के प्रबंध करना।
- सम्बद्व सहकारी समितियों के कार्य संचालन में सुविधा एवं मार्गदर्शन करना।

7.67 रबी 2014 के दौरान हैफेड ने 25.18 लाख टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी सहकारी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का 39 प्रतिशत है। खरीफ 2014 में हैफेड ने 9.85 लाख टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीद कर ली हैं। खरीफ 2013 में हैफेड ने 10.24 लाख टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीद की थी जो कि प्रदेश में सहकारी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का 33 प्रतिशत है।

7.68 भारत सरकार की स्कीम पी.ई.जी., 2008 के तहत हरियाणा राज्य मे गोदामों के निर्माण के लिए हैफेड को राज्य सरकार द्वारा नोडल एजैन्सी नियुक्त किया है। इस प्रोजैक्ट के अन्दर राज्य में लगभग 36.52 लाख टन गोदामों का निर्माण होना है तथा 31.06 लाख टन के गोदामो के निर्माण का कार्य 15 दिसम्बर, 2014 तक पूरा हो चुका हैं व शेष 3.57 लाख टन के गोदामो के निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, शेष 1.61 लाख टन के गोदामो के निर्माण का कार्य अभी शुरू होने जा रहा है। जिसके लिए सहमति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 28,300 टन के गोदामों के निर्माण कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की जा रही है। 31 मार्च, 2015 तक 36.24 लाख टन की कुल भण्डारण क्षमता तैयार होनी है। इसके अतिरिक्त पी.ई.जी. स्कीम के तहत हैफेड द्वारा अपने लगभग 10 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है।

उर्वरक

7.69 हरियाणा में हैफेड राज्य की एकमात्र सरकारी नोडल एजैंसी है। जो डी0ए0पी0 और यूरिया उर्वरकों का राज्य में प्रबन्धन करती है। हैफेड ने (01–04–2014 से 22–12–2014) 2.14 लाख टन डी.ए.पी. 3.30 लाख टन यूरिया उर्वरकों की बिक्री की है। वर्तमान (22–12–2014 तक) में हैफेड पास 14,000 टन डीएपी तथा 6 लाख टन यूरिया आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब भी उपलब्ध है। हैफेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति में लगे प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों तथा सहकारी प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य के साथ हैफेड़ ने उर्वरक आपूर्ति नीति में 27–09–2013 से प्रभावी संशोधन किया है। नयी संशोधन नीति के तहत उर्वरकों की बिक्री पर वितरण मुनाफा बढ़ा दिया गया है और जमा अवधि की भी इजाजत मिल चुकी है।

हैफेड चीनी मिल असन्ध

7.70 पिराई मौसम वर्ष 2013–14 के दौरान असन्ध चीनी मिल में 33.26 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई के साथ रिकवरी 9.56 प्रतिशत रही और हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों में द्वितीय नम्बर पर रही **हैफेड** चीनी मिल असन्ध को राष्ट्रीय स्तर पर सभी सहकारी चीनी मिलों में वित्तीय प्रबन्धन 2013–14 का तृतीय इनाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में पिराई मौसम 2014–15 के दौरान हैफेड़ चीनी मिल असंध के अन्तर्गत गन्ने की खेती का अधिकृत क्षेत्र बढकर 13,500 एकड़ क्षेत्र हो गया है। पिराई वर्ष 2014–15 के दौरान मिल ने 32 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई व 10 प्रतिशत की रिकवरी रहने का लक्ष्य रखा है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्वि और लोगों की भलाई करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है। सामाजिक क्षेत्र एक विकासशील और उभरती हुई अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए विकास के लाभों के एक समान वितरण के साथ रहने के लिए बेहतर वातावरण की आवश्यकता है।

शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा

8.2 राज्य सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि 21वीं सदी ज्ञान की शताब्दी है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है। इसलिए सरकार सभी के लिए शैक्षणिक व आधारभूत सुविधाओं को ओर आसान तरीके से पहुँचाने को बढ़ावा देते हुए ''सभी के लिए शिक्षा'' को वास्तविकता प्रदान करने के लिए सतत् प्रयासरत है। जिसके परिणाम स्वरूप अब शिक्षा में सुविधाओं की उपलब्धता प्राथमिक 1 किलोमीटर व मिडल 3 किलोमीटर के घेरे में है।

8.3 वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत, हरियाणा में मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के तहत सरकारी स्कूलों में निशुल्क पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को मुफ्त पाठ्य–पुस्तकें/कार्य–पुस्तकाएं, मुफ्त स्टेशनरी, स्कूल बैग और वर्दी प्रदान की गई है।

8.4 राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 32 के तहत राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण सैल की स्थापना की गई है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत/पूछताछ/सुझाव के लिए टोल फ्री न0 1800–3010–0110 की स्थापना की गई है जिसके तहत 30 जून, 2014 तक 4,044 शिकायत/पूछताछ/सुझाव प्राप्त हो चुके है और लगभग सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। जिला स्तर पर भी शिकायत निवारण सैल स्थापित की गई है।

8.5 हरियाणा राज्य द्वारा दिनांक 24–03–2013 और 23–03–2014 को सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा I, VI, IX और XII छात्रों के नामांकन, ठहराव और अवस्थान्तरण के लिए 'प्रवेश उत्सव' कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान 6 से 18 आयु वर्ग के 100 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

8.6 अप्रैल, 2013 में राज्य के सरकारी स्कूलों में खुशनुमा और बाल–केंद्रित वातावरण में क्रिया–कलाप आधारित शिक्षा के लिए 'कक्षा तत्परता कार्यक्रम' (सी.आर.पी.) शुरू किया गया जिसका 2014 तक विस्तार किया गया है। शैक्षणिक स्तर के आरंभ मे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को 'शिक्षा सेतु' कार्डस प्रदान किए गए हैं। इस कार्ड में सभी अभिभावको को उनके बच्चों को मिलने वाली वित्तिय एवं शैक्षणिक हकदारियों को स्पष्ट किया गया है।

8.7 सरकारी स्कूलों के छात्रों में नेतृत्व–गुण विकसित करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालब, जिला मेवात में एक नवीन कार्यक्रम 'यूथ लीडरशिप कार्यक्रम' चलाया गया जिसमें कक्षा 4 से 12 तक के लगभग 1,800 विद्यार्थियों (450 छात्राओं सहित) द्वारा भाग लिया गया।

8.8 राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में दीवाली के अवसर पर छात्रों के स्कूल के प्रति लगाव को और अधिक मजबूत करने के लिए दिनांक 23–10–2014 को 'एक दीया– विद्यामंदिर के नाम' चलाया गया। भारत के 'लौह–पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल' का जन्मदिन वर्षगांठ दिनांक 31–10–2014, 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में पूरे राज्य में मनाया गया।

स्वच्छ भारत अभियान

8.9 हरियाणा दिवस के अवसर पर भारत सरकार के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान राज्य के स्कूलों में एक सप्ताह (1–11–2014 से 07–11–2014) के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी

अध्यापकों और बच्चों ने मिलकर अपने स्कूल परिसर, स्कूल के बाहर तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई की एवं रैलियां निकालकर स्वच्छता का सन्देश दिया और जागरूकता फैलाई। इस कार्यक्रम का समापन समारोह को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मेवात नूंह में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान मेवात की अल्पसंख्यक समुदाय की बालिका वासीमा जिसने उसके अपने समाज से विभिन्न संघर्षों के उपरान्त अपनी शिक्षा को जारी रखा उस राज्य सरकार द्वारा बाल स्वच्छता मिशन हरियाणा की ब्रांड एमबस्डर बनाया है।

'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम

8.10 बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों की प्राइमरी, मिडल एवं सैकेण्डरी, तीन स्तरों पर, निबंध लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता तथा पेन्टिग प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई जिसमें 19,214 निजी व सरकारी विद्यालयों के कुल 32,89,433 विद्यार्थियों ने भाग लिया और जिसमें सरकरी स्कूलों ने, स्कूल स्तर, खण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर भाग लिया।

8.11 माध्याहन भोजन योजना 15 अगस्त, 2004 से सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालियों, स्थानीय निकायों तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालियों में चलाई जा रही है। वर्ष 2008–09 से इस योजना को सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालियों में विस्तृत किया गया। माध्याहन भोजन योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की उपस्थिति और स्वास्थय में सुधार करना है। 1 जुलाई, 2014 से खाना पकाने की लागत प्राथमिक विद्यालियों के लिए 3.59 रूपये प्रति छात्र प्रति दिन तथा माध्यमिक विद्यालियों के लिए 5.38 रूपये प्रति छात्र प्रति दिन है। यह लागत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुक के मानदेय के लिए 2,500 रूपये प्रतिमाह तय किए गए हैं, जिसमें से 750 रूपये भारत सरकार द्वारा तथा 1,750 रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। वर्ष 2014–15 के लिए कुल 29,000 लाख रूपये बजट का प्रावधान किया गया है जिसमे केन्द्रीय शेयर 20,000 लाख रूपये राज्य शेयर 9,000 लाख रूपये है। वर्ष 2014–15 मे इस स्कीम के अर्न्तगत लगभग 12.63 लाख छात्र प्राइमरी तथा 7.65 लाख छात्र अपर प्राइमरी के लाभान्वित होगें।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)

8.12 भारत सरकार के तत्वाधान में राज्य सरकार 'सर्व शिक्षा अभियान' तथा 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' नामक दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा 65:35 और आर.एम.एस.ए. में हिस्सा 75:25 है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

8.13 वर्ष 2014–15 के दौरान इस घटक के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर 3,834.72 लाख रूपये खर्च किए। इसमें 12,72,489 प्राथमिक व 7,64,375 उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

विद्यालय अनुदान

8.14 वर्ष 2014–15 के दौरान इस घटक के अन्तर्गत 8,908 प्राथमिक व 5,615 उच्च प्राथमिक स्कूलों को क्रमशः 5,000 रूपये प्रति प्राथमिक स्कूल व 7,000 रूपये प्रति उच्च प्राथमिक स्कूलों को विद्यालय अनुदान राशि प्रदान की गई, जिससे इन विद्यालयो में लघु मुरम्मत कार्य तथा विभिन्न उपकरणो के मुरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य सम्पंन किया गया। आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत 3,203 माध्यमिक स्कूलों को 1,602 लाख रूपये जारी किए गए है जोकि 50,000 रूपये प्रत्येक स्कूल के लिए है।

मुरम्मत अनुदान

8.15 स्कूल मुरम्मत अनुदान के अन्तर्गत स्कूलों के आधारभूत ढ़ाचे की मुरम्मत के लिए सभी सरकारी 14,253 प्राथमिक व माध्यमिक प्रत्येक स्कूल में 7,500 रूपये अनुदान दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन स्कूलों का कुल 1,068.97 लाख रूपये दे चुके है।

निःशुल्क स्कूल वर्दी

8.16 सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लड़के व सभी लड़कियों को वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अन्तर्गत एस.एम.सी. के तहत 15,12,003 विद्यार्थियों को वर्दी वितरण की गई जिस पर 6,048.01 लाख रूपये खर्च हुए।

समावेशित शिक्षा

8.17 वर्ष 2014–15 के दौरान, (सी.डब्ल्यू.एस.एम.) के तहत मैडिकल आकलन कैम्प के द्वारा मद्द देता है और उपकरण अनुरक्षक भत्ता, उत्कीर्ण पुस्तकें और बड़े पैमाने पर प्रकाशित पुस्तकों पर खर्च 490.12 लाख रूपये हो चुका है। आर.एम.एस.ए. की आई.ई.डी.–एस.एस. स्कीम के तहत 1,195.09 लाख रूपये मंजूर हुए थे और अभी तक 630 लाख रूपये खर्च हो चुके है।

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

8.18 वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में के.जी.बी.वी. s चलाने के लिए 548.01 लाख रूपये मंजूर हुए थे। भारत सरकार द्वारा 36 के.जी.बी.वी.s मंजूर हुए, जिसमें 17 के.जी.बी.वी.s रिहायशी तौर पर कार्यरत है और 4 के.जी.बी.वी.s डे–बोर्डिंग का काम कर रहे है। अगले वर्ष 15 के.जी.बी.वी.s को कार्यात्मक रूप देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है।

सामुदायिक प्रशिक्षण

8.19 राज्य के बजट में विभिन्न विद्यालयों के स्कूल प्रबंधन समितियों के 89,550 सदस्यों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 268.65 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

सिविल कार्य

8.20 शैक्षणिक सत्र 2014–15 में इस घटक के अर्न्तगत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 102.56 लाख रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें प्राथमिक स्तर पर 31 विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 5 नए विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य किया गया। आर.एम.एस.ए. के तहत 30,703.44 लाख रूपये का बजट मंजूर हुआ इसमें से अभी तक 150 कक्षा कमरों, 79 विज्ञान लैब, 85 कम्प्यूटर रूम, 164 पुस्तकालय और 279 कला एवं हस्तशिल्प रूम और 4 शौचालय कक्ष के निर्माण के लिए 7,860.26 लाख रूपये उपलब्ध हो चुके है।

माध्यमिक शिक्षा

ई–गवर्नेन्स

8.21 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद्, जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान, राजकीय प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान इत्यादि में ई–गवर्नेन्स में कम्पयूटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में ई–गवर्नेन्स के शीर्ष हेतु 400 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया था।

विस्तृत कम्पयूटर शिक्षा कार्यक्रम

8.22 यह योजना पूर्णतया राज्य प्रायोजित योजना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में पांच वर्षों के लिए चलाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 213 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना पर सरकार द्वारा 1,10,308 रूपये प्रति विद्यालय/प्रति लैब खर्च किया जा रहा है।

माध्यमिक स्तर पर निशक्तों के लिए समावेशित शिक्षा (आई.ई.डी.–एस.एस.)

8.23 यह शत् प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर (कक्षा नौवीं से बाहरवीं) तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में ही समावेशी एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। इस चालू वित्त वर्ष 2014–15 हेतु केन्द्रीय सरकार के द्वारा 1,203.19 लाख रूपये के कार्यप्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एजुसैट

8.24 एजुसैट परियोजना शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। यहां पर पांच चैनल (चार डी.टी.एच. और एक एस.आई.टी.) कार्यशील है। चार डी.टी.एच. चैनल प्रत्येक प्राथमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च शिक्षा महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों एवं एक एस.आई.टी., वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं। अब तक 86.56 करोड़ रूपये का खर्च किए इसरो द्वारा उनके स्तर पर तथा 18.22 करोड़ रूपये का खर्च **उत्कर्ष** सोसाईटी द्वारा अपने स्तर पर स्थापना, रिपेयर एवं रखरखाव, सामग्री विकास, बैटरी व अन्य उपकरणों की खरीद, इत्यादि पर खर्च हुआ है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना (एन.एस.क्यू.एफ.)

8.25 वर्ष 2012–13 में एन.वी.ई.क्यू.एफ. शुरू में हरियाणा के 40 स्कूलों में पायलट प्रोजैक्ट के रूप में आरम्भ किया गया। अब इस कार्यक्रम को आर.एम.एस.ए. में शामिल कर लिया और इसका नया नाम एन.एस.क्वयू.एफ. (नैशनल स्कीलस क्वालिफिकेशन फार्मवर्क) रखा है। वर्ष 2014–15 में, 100 अतिरिक्त राजकीय

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया और फरीदाबाद में एक सैन्टर ऑफ एक्सेलैन्स भी स्थापित किया गया है।

साक्षरता

8.26 "साक्षर भारत" एक केन्द्र प्रायोजित प्रौढ़ शिक्षा की योजना है जो फिलहाल हरियाणा के 10 जिलों में चल रही है। इस योजना का लक्ष्य विशेषकर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व उपेक्षित वर्गों के निरक्षरों को जिनकी आयु 15 वर्ष से ऊपर जिनका कभी भी स्कूल में नाम नही लिखा गया उनको साक्षर करना है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, हरियाणा ने वर्ष 2014–15 में एक लाख निरक्षरों को इस योजना के तहत साक्षर करने का लक्ष्य तय किया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24–08–2014 को हरियाणा के सभी जिलों में भारत साक्षर के तहत आयोजित परीक्षा में 40,265 नव साक्षरों ने भाग लिया। साक्षर भारत की गतिविधियों में दिनांक 31–10–2014 तक लगभग 4.33 करोड़ रूपये का खर्च हो चुका है।

निर्माण कार्य

8.27 गैर योजना पक्ष की 1,400 लाख रूपये की राशि को 161 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के भवन की मुरम्मत/रखरखाव/चार दिवारी/निर्माण तथा 119 बी.आर.सी./बी.ई.ओ. कार्यालयो के निर्माण/रिपेयर हेतु अलाट कर दी गई है तथा वर्ष 2014–15 के दौरान योजना पक्ष की 400 लाख रूपये राशि 40 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के भवन की मुरम्मत/निर्माण हेतु जारी की जा चुकी है।

8.28 नाबार्ड से सहायता प्राप्त राशि से लड़कियों के लिये अलग शौचालयों का निर्माण तथा हैंड पम्प हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2,910 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लगाये जाने का प्रोजैक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2014–15, में 2,723 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से वित्त विभाग द्वारा 2,042 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी राशि मे से 8.10 करोड़ रूपये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् को लड़कियों के लिए अलग शौचालयों तथा हैंडपम्प का निर्माण 1,016 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बनाने के लिये जारी कर दी गई है।

राजीव गांधी छात्रवृति योजना उच्च/वरिष्ठ विद्यालय के लिए

8.29 वित्त वर्ष 2014–15 के लिये 299.46 लाख रूपये की बजट व्यवस्था की गई है और इस राशि से 31,000 छात्र लाभान्वित होंगे।

पंजाबी भाषा

8.30 इस उद्देश्य के लिये वर्ष 2014–15 में 0.54 लाख रूपये की बजट व्यवस्था करवाई गई है, जिसके अन्तर्गत 60 छात्र लाभान्वित होंगे।

हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना

8.31 इस स्कीम के तहत उन सभी छात्रों को जिन्होंने 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी शहरी/ग्रामीण छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जानी है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान 1,037 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू नकद ईनाम योजना

8.32 वर्ष 2014–15 में 3,300 लाख रूपये की बजट व्यवस्था करवाई गई है, जिसके अन्तर्गत 2,52,843 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति स्कीम

8.33 वर्ष 2014–15 में 6,700 लाख रूपये बजट व्यवस्था करवाई गई है, जिसके अन्तर्गत 2,52,843 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

राष्ट्रीय हुनर खोज छात्रवृति स्कीम

8.34 वित्त वर्ष 2014–15 के लिये 14.05 लाख रूपये की बजट व्यवस्था करवाई गई, स्कीम के अन्तर्गत 85 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

नैशनल–मीन्स–कम मैरिट छात्रवृति स्कीम (सी.एस.एस. योजना)

8.35 वर्ष 2014–15 के लिये स्कीम के अन्तर्गत 6 लाख रूपये की राशि का प्रोविजन करवाया गया है और इस योजना के तहत लगभग 10,000 छात्र लाभान्वित होंगे।

कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. और बी.सी.–ए. के छात्र/छात्राओं के लिए मासिक छात्रवृति स्कीम

8.36 वर्ष 2014–15 में बी.पी.एल. वर्ग के लिये 1,500 लाख रूपये की बजट व्यवस्था करवाई गई है तथा अनुमानित 41,829 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे। वर्ष 2014–15 में बी.सी.–ए. वर्ग के लिये 4,700 लाख रूपये की बजट व्यवस्था करवाई गई है, जिसके अन्तर्गत 1,78,628 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों को छात्रवृति प्रदान करने बारे

8.37 वर्ष 2014–15 में 16.17 लाख रूपये की बजट व्यवस्था करवाई गई है और जिससे अनुमानित 263 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

कक्षा 9वीं व 10वीं सरकारी विद्यालयों में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाना एवं साईकिल मुरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाने बारे

8.38 इस स्कीम में वर्ष 2014–15 के लिए 700 लाख रूपये की राशि की बजट व्यवस्था करवाई गई और 27,432 छात्र/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

उच्चतर शिक्षा

8.39 राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और इस प्रवृति का अगले वित वर्ष में जारी रहने की उम्मीद है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विस्तार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राज्य की उच्चतर शिक्षा सामयिक, गुणवत्ता और स्थिरता के मार्गदर्शक सिद्धान्त पर आधारित है।

8.40 राज्य के कुल 105 राजकीय महाविद्यालयों में से 53 राजकीय महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और 26 राजकीय महाविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सरकार ने 9 नये राजकीय महाविद्यालय खोले हैं तथा स्वयं पोषित महाविद्यालयों को अधिग्रहित किया है।

8.41 2014–15 में विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में ऑन–लाइन प्रवेश का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है जोकि एक प्रमुख पहल है। राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में बिना लागत के तहत विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 4.3 लाख से अधिक आवेदकों ने ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरे।

8.42 राज्य में 2014–15 में दो नये राजकीय विश्वविद्यालय नामित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द तथा चार निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये है और राज्य में 10 नये निजी स्वयं पोषित डिग्री कॉलेजों को आरम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं।

8.43 विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों 1,396 सहायक प्रोफेसरों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात मे पर्याप्त सुधार करने हेतु सहायक प्रोफेसरों के 536 नये पद स्वीकृत करवाये गये है।

8.44 हरियाणा में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की (ग्रोस इन्रोलमैंट रेशो) जी0ई0आर0 राष्ट्रीय जी0ई0आर0 19.40 प्रतिशत की तुलना में 28.7 प्रतिशत है जोकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में हमारी कल्याणकारी उन्मुख प्रोत्साहन योजनाओं तथा उदार छात्रवृत्ति योजनाओं का परिणाम है।

तकनीकी शिक्षा

8.45 उपयुक्त रूप में शिक्षित तकनीकी व व्यवसायिक व्यक्ति, मानव संसाधनों का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संभाग है जोकि किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को निर्देशित करते है। तकनीकी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के अनुरूप राज्य में तकनीकी शिक्षा की योजना बनाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

8.46 वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय राज्य में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाऐं, (जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त थे) एवं एकमात्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिसमें 1,341 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो चुकी है। यहां पर चार विश्वविद्यालयों गुरू जम्भेश्वर सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, हिसार, दीनबन्धु छोटूराम सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, मुरथल, यंग मैनज़ करिस्चियन एसोसिएशन (वाई.एम.सी.ए.) सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद तथा स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफॉरमिगं एण्ड़ विज्युअल आर्टस, रोहतक की स्थापना की है। राज्य में चौधरी देवी लाल, मैमोरियल राजकीय इंजीनियरिंग कालेज पन्नीवालामोटा, सिरसा की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा राज्य में 11 राजकीय बहुतकनीकी, 14 राजकीय बहुतकनीकी समितियां तथा 4 सरकारी अनुदान प्राप्त बहुतकनीकी

भी हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में तब से अब तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2014–15 में संस्थाओं की संख्या बढ़कर 652 तथा छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता 1,53,389 हो गई है।

राष्ट्रीय संस्थान

8.47 भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा 200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में रोहतक में की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जमीन निःशुल्क प्रदान करवाई गई है। वर्तमान में भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक को अस्थायी परिसर में महर्षि दयानन्द विश्वद्यिालय रोहतक में चलाया जा रहा है। संस्थान का निर्माण कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा किया जा रहा है।

8.48 भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना गॉव किलोड़ जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के तहत किया जा रहा है इस उद्देश्य के लिये ग्रांम पंचायत ने 50 एकड जमीन निःशुल्क प्रदान की है। परियोजना के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. एवं हारट्रॉन का औद्योगिक भागीदारों के रूप में चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 से गैस्ट क्लासिज एन.आई.टी., कुरूक्षेत्र में शुरू हो गई हैं।

8.49 राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना उमरी (राष्ट्रीय राज मार्ग 1 पर) जिला कुरूक्षेत्र में की जा रही है। इस राष्ट्रीय महत्व संस्थान की स्थापना के लिए 20.5 एकड जमीन ग्राम पंचायत उमरी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। आगे की रूपात्मकता एन.आई.डी., अहमदाबाद पूरी करेगा।

8.50 भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विस्तार परिसर (फैकल्टी डेवलपमेंट) की स्थापना राजीव गॉधी एजुकेशन सिटी, कुडंली, जिला सोनीपत में की जा रही है। इस उद्देश्य हेतु लगभग 50 एकड़ जमीन हुडडा द्वारा निःशुल्क आवंटित की जा चुकी है। परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधा और संकाय विकास केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव है। एक अन्य भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान दिल्ली का विस्तार परिसर (अुनसंधान एव विकास) का गांव बाडसा जिला झज्जर में निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए 50 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत बाड़सा जिला झज्जर से 15 करोड़ की कुल लागत पर खरीदी गई है। परिसर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर एवं जैव विज्ञान अनुसंधान पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव है। आगे की रूपात्मकता पर आई.आई.टी, दिल्ली कार्य कर रहा है।

8.51 सैन्ट्रल इनस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक एण्ड इंजीनियरिंग टैक्नोलोजी (सी.आई.पी.ई.टी.) जो कि पानीपत में एक किराये के संकुचित आवास 2006 में कार्यरत था, अप्रैल 2013 में 10 एकड़ में बने नए परिसर दीनबन्धू छोटू राम विश्वविद्यालय (डी.सी.आर.यू.एस.टी.) मुरथल में स्थानान्तरित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में जमींन दी गई है और इमारत के निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ रूपये प्रदान किए गये हैं। सी.आई.पी.ई.टी. 300 छात्रों की वार्षिक इनटेक के साथ 4 पाठ्यक्रम चला रहा है। सी.आई.पी.ई.टी. प्लास्टिक एवं एलाइड इंडस्ट्रीज के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है तथा उद्योग विभाग, हरियाणा के लिए नियमित रूप से उद्यमियता कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। सी.आई.पी.ई.टी. का प्लास्टिक टैस्टिंग सैन्टर एन.ए.बी.एल. एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है।

राजकीय इंजीनियरिगं कालेज

8.52 श्री रणबीर सिंह राजकीय इंजीनियरिग व प्रौद्योगीकी कालेज की स्थापना गॉव सिलानी केशो में झज्जर से 9 किमी. दूरी पर झज्जर गुडगॉव रोड पर 40 एकड़ जमीन पर की जा रही है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 40 करोड़ रूपये है। शैक्षणिक ब्लॉक/चारदिवारी/एप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8.53 राव विरेन्द्र सिंह राजकीय इंजीनियरिग व तकनीकी संस्थान कालेज रिवाड़ी की स्थापना गॉव जैनाबाद, जिला रिवाड़ी में 52.50 एकड़ जमीन पर की जा रही है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 40 करोड़ रूपये है। शैक्षणिक ब्लॉक/चारदिवारी/एप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बहुतकनीकी

8.54 दो नये राजकीय बहुतकनीकी, चौधरी बंसी लाल राजकीय बहुतकनीकी, भिवानी व राजकीय बहुतकनीकी, महम (रोहतक) का निर्माण 25 करोड़ रूपये (प्रत्येक बहुतकनीकी) की कुल लागत पर किया गया हैं।

8.55 सात नये राजकीय बहुतकनीकी नामतः नीमका (फरीदाबाद), शेरगड़ (कैथल), इंद्री (मेवात), मन्डकोला (पलवल), मादलपुर (फरीदाबाद), मलाब (मेवात), छप्पर (भिवानी) निर्माणाधीन है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित

8.56 भारत सरकार की सहायता से 7 बहुतकनीकी संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। दो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, चीका (कैथल) व लिसाणा (रेवाड़ी) स्थापित किये जा चुके है। शेष पांच राजकीय बहुतकनीकिओं की स्थिति हथनी कुड (यमुनानगर), उमरी (कुरूक्षेत्र), जाट्टल (पानीपत), ढांगर (फतेहाबाद) नानकपुर (पचंकुला) निर्माणाधीन है।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति

8.57 विभाग ने हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति–एच.एस.टी.ई.एस. (जोकि पहले हरियाणा स्टेट काउसलिंग सोसाईटी के नाम से जानी जाती थी) का गठन राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग, तकनीकी, वस्तुकला एवं योजना, फार्मेसी तथा प्रबंधन आदि पाठयक्रमों में स्नातकोत्तर, स्नातक,एवं डिप्लोमा कोर्सों के पारदर्शी एवं एक समान दाखिला पद्धति लागु करने हेतु किया है। यह सोसाईटी स्वावलम्बी है तथा अपना व्यय मुख्यतः विभिन्न सेवाओं के लिए ली गई फीस के माध्यम से करती है। एच.एस.टी.ई.एस. द्वारा प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन होता है :–

- डिप्लोमा (इंजी.) में प्रवेश के लिए डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा ।
- डिप्लोमा (इंजी.) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन डिप्लोमा लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा ।
- बी.ई/बी.टेक लेटरल एंट्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ।
- एम.सी.ए. पाठयक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ।

एकीकृत कौशल विकास योजना (आई.एस.डी.एस.)

8.58 भारत सरकार ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सोझेदारी में 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़ा मंत्रालय की एकीकृत कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस परियोजना के तहत 2,000 लाख रूपये की लागत से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,000 रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च करके 20,000 व्यक्तियों को प्रतिशिक्षित करने का हरियाणा राज्य का लक्ष्य है। प्रशिक्षण का कुल खर्च भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में किया जायेगा। भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय द्वारा योजना के तहत 1,500 लाख रूपये की धनराशि का योगदान दिया जा रहा है, जबकि 500 लाख रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी हैं। इस परियोजना के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। राशि जारी होने के बाद प्रशिक्षण आरम्भ किया जायेगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण

8.59 सुदृढ़ औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए युवा छात्र/छात्राओं को विभिन्न औद्योगिक कौशल में प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 143 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (110 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), 115 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान, 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 2 प्राईवेट अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 1 राजकीय आर्ट स्कूल रोहतक व 5 प्राईवेट आर्ट स्कूल) के माध्यम से (राजकीय–48,860 + प्राईवेट–15,564) 64,424 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ये संस्थान न केवल कुशल शिल्पकार प्रदान करते है बल्कि स्व–रोजगार के अवसर भी प्रदान करते है।

8.60 वित्त वर्ष 2014–15 विभाग के अन्तर्गत 48,860 सीटों की क्षमता के साथ 143 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) भी शामिल हैं, चल रहे हैं और शेष संस्थानों में सहशिक्षा है, 30 प्रतिशत सीटें सभी व्यवसायों में लड़कियों के लिए आरक्षित है। राज्य में 1 राजकीय कला स्कूल, रोहतक जिसमें द्वितीय वर्ष में 60 सीटें उपलब्ध हैं, कार्य कर रहा हैं तथा 5 प्राईवेट आर्ट स्कूल जिसमें द्वितीय वर्ष में 300 सीटें उपलब्ध हैं सरकार ने आर्ट एण्ड क्राफट कोर्सिज् तथा ऐसे संस्थान जो आर्ट एण्ड क्राफट का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे को जारी न रखते हुए जून, 2015 से बन्द करने बारे निर्णय लिया है। अम्बाला शहर, रोहतक, जीन्द, भिवानी, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में 7 अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनकी कुल सीटों की क्षमता 300 है, 2 प्राईवेट अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र जिनकी कुल सीटों क्षमता 40 हैं तथा 115 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान है जिन में 15,564 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

8.61 विद्यार्थियों को बहु–कुशलता व आर्दश प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रशिक्षार्णिथियों के लिये प्रशिक्षण कार्यो को अधिक उपयोगी बनवाने के लिये 33 औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 64 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

को अपग्रेड करने हेतू अंगीकृत किया गया है। संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धन में स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसायटियों का गठन किया गया जिसमें 78 सरकारी संस्थान कवर किये गये है।

8.62 डी.जी.ई.एण्ड.टी. भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्किल डिवलैपमैन्ट इनीशियेटिव स्कीम (एस.डी.आई.) के अर्न्तगत 214 वोकेशनल ट्रेंनिग प्रोवाईडर (वी.टी.पी.) द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर रहे है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम से अब तक कुल 47,787 छात्र लाभान्वित हो चुके है।

सूचना प्रौद्योगिकी

8.63 हरियाणा राज्य ने डिजिटल भारत कार्यक्रम के तीन क्षेत्रों पर फोक्स किया है जो प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता, मांग पर अभिशासन तथा सेवांए तथा नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण के रूप में डिजिटल अवसंरचना है।

प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल ढ़ाचे की उपयोगिता

- विभाग ने राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) लागू किया है। इस नेटवर्क में, राज्य मुख्यालय को सूविधाएं जैसे कि परस्पर तथा भीतरी डाटा अन्तकरण/इन्टरनेट न्याचार पर स्वर हिस्सेदारी, विडियो इत्यादि, मुहैया कराने के लिए सभी जिला मुख्यालयों, 126 खण्ड/उपखण्डों/तहसीलों/उपतहसीलों, हरियाणा सिविल सचिवालय तथा हरियाणा भवन, नई दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। पांच वर्ष की अवधि के लिए लगभग 91 करोड़ रुपये की लागत पर एस.डब्ल्यू.ए.एन. तथा एस.डी.सी. हेतु सेवा प्रबन्धक की व्यवस्था के रुप में मैसर्ज रेलटेल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ एक व्यवसथित समझौता किया गया है। यहां राज्य में 147 सीधे स्थल, 1 एस. एन.एम.सी. (राज्य नेटवर्क प्रबन्ध केन्द्र), 22 डी.एन.एम.सी. (जिला नेटवर्क प्रबन्ध केन्द्र) तथा 124 बी.एन.एम.एस. (खण्ड नेटवर्क प्रबन्ध केन्द्र) तथा 1,210 क्षैतिज स्थल है। वर्तमान में एस.एन.एम.सी. तथा सभी डी.एन.एम.सी. प्रचालन में है तथा सभी बी.एन.एम.सी. को मार्च, 2015 तक प्रचालन में लाने की योजना बनाई गई है। सभी क्षैतिज स्थान 31 मई, 2015 तक स्थापित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के 1,239 कार्यालयों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है तथा विभिन्न विभागों के 150 से अधिक कार्यालयों को वर्ष 2015–16 के दौरान जोड़ा जायेगा।
- राज्य आंकडा केन्द्र को 12.38 करोड़ रुपये को अनुमानित लागत पर स्थापित किया गया है तथा विभिन्न विभागों/संगठनों तथा ई–जिला परियोजना के 25 आवेदनों को पहले से ही आंकडा केन्द्र पर मेजवान (होस्ट) किया गया है। राज्य आंकडा केन्द्र क्षमता को अब लगभग पूर्ण रुप से उपयोग किया जाता है। अन्त में राज्य की आवश्यकता का प्रबन्ध करने के लिए नए काम्पलैक्स (संव्यूह) में राज्य को विस्तृत निपुणता राज्य आंकडा केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
- राज्य सरकार ने राज्य में टैलीकाम तथा अवसंरचना सम्बधता की व्यवस्था तथा संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से व्यापक रुप से संशोधित संचार तथा अवसंरचना सम्बन्धित पॉलिसी अधिसूचित की है। इस सम्बन्ध में सरकार ने बाहरी पहुँच के विस्तार तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को अन्तिम मील सम्बधता मुहैया करने के उददेश्य से सम्पूर्ण राज्य में राष्ट्रीय आप्टीकल फाईबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) की स्थापना के लिए दूर–संचार विभाग, भारत सरकार तथा भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) के साथ एक त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. किया है। इस परियोजना के अधीन, सभी ग्राम पंचायतों को सम्पूर्ण राज्य के आर–पार में स्थापित किए जा रहे नागरिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जी 2 सी तथा सी 2 जी के वितरण के लिए ओपप्टीकल फाईबर से जोड़ा जाना है। अब तक, आप्टीकल फाईबर तथा वाहक नलिका राज्य के 10 जिलों में आने वाले 542 ग्राम पंचायतों में बिछाई गई है तथा शेष ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015–16 के दौरान इस नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जायेगा।

8.64 मांग पर शासन तथा सेवाएं

- लोक सेवाओं को दक्षता, पारदर्शिता तथा शैली (वितरण) को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों में सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग पर जबरदस्त बल डाला जा रहा है। राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के अधीन विभिन्न मिशन पूर्ति (परियोजनाएं अर्थात खाद्यय तथा पूर्ति विभाग को स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आबकारी तथा कराधान विभाग के वाणिज्य करों का कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली, परिवहन, वित्त, राजस्व, पंचायत, खजाना, श्रम तथा वित्त विभाग

को समेकित वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) एन.आई.सी. की सहायता से लागूकरण के विभिन्न स्तरों पर है।

- विभाग सामूहिक सेवा केन्द्रों ने नेटवर्क के माध्यम से राज्य के आर–पार परेशानी मुक्त रीति में नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए समेकित ग्राम सूचना तथा सेवा प्रणाली (आई.वी.आई.एस.एस.) के नाम से उपयोग विकसित किया है, ग्राम स्तरीय उद्यमी के माध्यम से संचालित अभिसरण कारोबार आदर्श के रुप में स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है।
- सरकारी तथा प्राईवेट क्षेत्रों दोनों से सम्बन्धित नागरिक केन्द्रस्थ सेवाओं की सम्पूर्ण रेन्ज के वितरण के लिए, विभाग राज्य के आर–पार ग्रामीण तथा शहरी आई.सी.टी. आधारित 2,500 सामूहिक सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की प्रगति में है। तदानुसार, विभाग के निजी उद्यमियों कारोबार आदर्श का अनुसरण करते हुए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में ''हरियाणा ई–सेवा'' के नाम तथा शैली के अधीन सी.एस.सी. की स्थापना तथा इसको चलाने के लिए स्कीम अधिसूचित की है। लगभग 1,500 सामूहिक सेवा केन्द्र मार्च, 2016 तक राज्य में स्थापित किए जाऐंगे।
- कोर (बीजकोष) अवसंरचना के बेहतर उपयोग के लिए तथा राज्य सेवा वितरण मुख्य द्वार (एस.एस.डी.जी.) परियोजना नागरिकों के लाभ के लिए विभागों ने आर–पार सेवा का सविनहीन एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए 10.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लागू को जा रही है। विभिन्न विभागों की लगभग 150 इलैक्ट्रोनिक सेवाएं वर्ष 2015–16 के दौरान इस मुख्य द्वार के माध्यम से चलाए जाने के लिए योजना बनाई गई है।
- रोहतक में ई–जिला एम.एम.पी. (मिशन पूर्ति परियोजना) का प्रथम पायलट सफलतापूर्वक पूरा करते हुए, आने वाले वर्ष के दौरान राज्य के सभी जिलों में इसे आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कार्यक्रम को हाल में विकसित एकीकरण प्लेटफार्म (आई.वी.आई.एस.एस.–समेकित ग्राम सूचना तथा सेवा विवरण प्रणाली) का प्रयोग करते हुए चलाया जाएगा जिसमें राज्य निवासी डाटा आधार (बेस) (एस.आर.डी.बी.) का सर्जन शामिल है। परियोजना को पॉच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए 52.25 करोड़ रुपये की लागत पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (अनुमोदित) की गई है।
- राज्य सरकार तथा यू.आई.डी.ए.आई. (भारत का एकमात्र पहचान प्राधिकरण) के प्रयासों से राज्य के लगभग 82 प्रतिशत निवासी आधार से पहले ही जुड़ चुके है। 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य में लगभग 375 स्थाई नामांकन केन्द्र 'आधार' सेवाएं देने के लिए स्थापित किए जाएगें। राज्य निवासी डाटा हब (एस.आर.डी.एच.) की राज्य में स्थापना की गई है तथा आधार डाटा की सिडिंग को पैंशन, पी.डी.एस., छात्रवृति तथा मनरेगा नामक स्कीमों के लिए एस.आर.डी.एच. की सहायता से शुरू कर दिया गया है।
- एक व्यापक सूचना सुरक्षा पॉलिसी राज्य के लिए तैयार की जा रही है, जिसके लिए सूचना सुरक्षा प्रबन्धन कार्यालय (आई.एस.एम.ओ.) पहले ही स्थापित किया गया है।

8.65 नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

क. इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण तथा सेवाए

- इलैक्ट्रोनिक प्रणाली रचना तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) सैक्टर के विकास की सहायता, ठेकेदारी ईको प्रणाली के विकास की सहायता, रोजगार अवसरों तथा कर राजस्वो में वृद्वि करते हुए प्रदेश की नवीनता तथा आर्थिक विकास के उत्प्ररेण के चालन के लिए भारत सरकार ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम.–एस.आई. पी.एस.) अधिसूचित की है, जो इलैक्ट्रोनिक उत्पादन के 29 वर्गों को लागू है। स्कीम जोखिम में पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा 50 प्रतिशत अनुदान अधिसूचित हरितक्षेत्र/भूराक्षेत्र इलाके में स्थित इकाईयों के लिए सामूहिक सुविधाओं हेतु अनुदान मुहैया कराती है। जिला गुड़गांव, बावल तहसील तथा रेवाड़ी जिले को धरूहेड़ा उप–तहसील, जिला पंचकूला (जिसमें बरवाला ब्लाक और औद्योगिक क्षेत्र शामिल है), जिला फरीदाबाद एवं जिला पलवल के क्षेत्रों को भूराक्षेत्र इलैक्ट्रोनिकस विनिर्माण समूह के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। भूराक्षेत्र समूहों मे स्थापित उधोग पूंजी साधन पर आबकारी गुप्त शुल्क गणक की प्रतिपूति तथा केन्द्रीय करों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना में किए गए निवेश के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है।

- एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने हरियाणा के चार स्थानों अर्थात पंचकूला, आई.एम.टी. मानेसर, कुण्डली तथा राई में आई.टी. सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी पार्क/इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रोद्योगिकी पार्क के लिए अवसंरचना विकसित की है।
- एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने आई.एम.टी. मानेसर, गुड़गाँव मे यू.आई.डी.ए.आई. डाटा केन्द्र की स्थापना के लिए यू.आई.डी.ए.आई. को 5 एकड़ का प्लाट आबंटित किया है।
- सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई.टी./साईबर पार्क की स्थापना के लिए 48 प्रस्तावों को लाईसेंस प्रदान किए है। इसमें से, 23 प्रस्तावों की भवन–निर्माण योजना तथा 37 प्रस्तावों की क्षेत्रीकरण योजना को नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा शेष प्रक्रिया के अधीन है। उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आई.टी./आई.टी.ई.एस. सैक्टर में 28 एस.ई.जेड़. प्रस्तावों को भी सिफारिश की है। इसमें से 6 एस.ई.जेड. कार्य कर रहे है तथा शेष विकास को प्रक्रिया के अधीन है। राज्य में आई.टी. निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2.5 का एफ.ए.आर. भी स्वीकृत किया गया है।
- राज्य में आई.टी. तथा आई.टी. समर्थ सेवाएं उद्योगों के विकास की वर्तमान दृश्यलेख का अवलोकन करते हुए, विभाग ने पंचकूला, राई तथा रोहतक में एस.टी.पी.आई. (भारत का साफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क) की स्थापना के लिए कदम उठाए है। ड्राफट सम्भव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजी गई है।
- इन सुविधाओं के लाभकर उपयोग से, लगभग 15,00,000 व्यक्तिओं को इलैक्ट्रोनिक्स/आई.टी./आई.टी.ई. सैक्टर में आने वाले पांच वर्षो में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलना सम्भव है। सामान्यता सम्पूर्ण देश में आई.टी. सैक्टर में राज्य की गणना अनुसार रोजगार का 6.8 प्रतिशत है।
- एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. (नासकोम) के अनुसार, वर्ष 2012–13 के दौरान, हरियाणा में साफटवेयर निर्यात 4,10,999 करोड़ रुपये के कुल राष्ट्रीय निर्यात का 6 प्रतिशत अनुमानित था (आई.टी./इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर निर्यात के सिवाए)।

ख. आई. टी. के लिए नौकरियां

- आई.टी. शिक्षा प्रौद्योगिकी ने अधिग्रहण में दूसरा महत्वपूर्ण चालक है। आई.टी. शिक्षा सुविधाएं राज्य में चलाए जा रहे राज्य के सभी प्राईवेट सैक्टरों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थाओं, पालिटैकनीकों (बहुशिल्पी उद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में) आई.टी.आई. सभी में उपलब्धहै। महत्वपूर्ण आई.टी. शिक्षा क्षमता सृजन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए है जिसमें आई.टी. लैब राज्य के 64 महाविद्यालयों में तथा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा 2,622 माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित की गई है। विद्यालय शिक्षा विभाग ने 9वीं–12वीं कक्षा के स्तरों पर एन.एस.क्यू.एफ. (राष्ट्रीय दक्षता शिक्षा ढांचा) के सरेखण में बहुत से विद्यालयों में आई.टी. में व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने की पहल भी की है। हारट्रोन ने 80 नागरिकता केन्द्र (फरान्चीजी) आबंटित किए है तथा एच.के.सी.एल. ने राज्य के आर–पार 139 प्राधिकृत शिक्षा केन्द्र स्थापित किए है जो राज्य में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का पूरा करते है।
- सूचना प्रौद्योगिकी की भारतीय अग्रिम संस्था (आई.आई.आई.टी.) सोनीपत जिले के गाँव किलोरड़ में पी.पी.पी. रीति में स्थापित की जा रही है।
- राज्य के एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र में एक इलैक्ट्रोनिक्स एवं आई.सी.टी. एकडमी स्थापित करने की योजना है। जो हरियाणा के कालेज एवं तकनीकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को कौशल बनाने में सहायक होगा। इसके लिए निदेशक कुरूक्षेत्रा, एन.आई.टी. प्रस्ताव तैयार करेगें और अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजेंगें।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए आई.टी. में प्रशिक्षण एक फोक्स क्षेत्र है तथा आई.टी. विभाग प्रत्येक वर्ष लगभग 1,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। हारट्रोन हरियाणा सरकार इसमें सम्मिलित कार्यालय के बोर्डो तथा निगमों के कर्मचारियों के लिए तथा सम्पूर्ण राज्य में इसने ई शिक्षा केन्द्रो के माध्यम से कम्प्यूटरों में विशिष्ट मूल्यांकन पाठ्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित कर रहा है।
- सम्पूर्ण राज्य में हारट्रोन के नागरिकता केन्द्र (फ्रेन्चाईज) केन्द्रो तथा एच.के.सी.एल. (हरियाणा ज्ञान निगम लिमिटेड) के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों को एक विशाल संख्या प्राईवेट व्यक्तियों को प्रशिक्षण मुहैया कराने

में शामिल की गई है। हारट्रोन प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 उम्मीदवारों को आई.टी. प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। हरियाणा ज्ञान निगम लिमिटेड (एच.के.सी.एल.) ने 139 प्राधिकृत शिक्षा केन्द्र स्थापित किए है तथा 600 से अधिक प्राधिकृत शिक्षा केन्द्र वर्ष 2015–16 के दौरान स्थापित किए जाने का लक्ष्य है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.66 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही है, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार, विभाग ने दो उत्कृष्ठता केन्द्र स्थापित किए है। पहला केन्द्र डी.एन.ए. टैस्टिंग एवं डायग्नोस्टिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग बारे पौध जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, हिसार में 233.85 लाख रूपये की लागत से तथा दूसरा केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा टैस्ट केन्द्र जो दीनबन्दु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में 1 करोड़ रूपये की लागत से है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा इसे अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनांए इस प्रकार हैः–

- **विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति स्कीमः**
  इस स्कीम अंतर्गत मूल विज्ञान से बी.एस.सी के विद्यार्थियों को 4,000 रूपये प्रतिमाह व एम.एस.सी के विद्यार्थियों के लिए 6,000 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृति दी जाती है। 100 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृति प्रदान करने के लिए उनकी मैरिट के आधार पर चुना गया है। यह स्कीम बी.एस.सी आनर्स के छात्रों के लिए थी परन्तु 2013–14 से स्कीम में बदलाव करके इसको बी.एस.सी (मैडिकल व नान मैडिकल) के लिए लागू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 899 विद्यार्थियों को लगभग 9.18 करोड़ रूपये की छात्रवृतियां दी गई है।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीमः**
  हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 तथा नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम में विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा में नम्बरों के आधार पर उच्च्तम 1,000 विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाएगी। वर्तमान में यह योजना एन.टी.एस.ई. की परीक्षा की कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण विचाराधीन है।
- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप स्कीमः**
  सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में मेरिट के आधार पर यह छात्रवृति दी जानी है। विज्ञान विषयों के अनुसंधान अध्येता को 12,000 प्रतिमाह पहले दो साल तथा 14,000 रूपये तीसरे वर्ष के लिए दिये जाते है जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल तक होती है। इसके अतिरिक्त 20,000 रूपये वार्षिक एक मुश्त राशि दी जाती है। यह स्कीम 2009–10 में शुरू हुई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत अभी तक 90 विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जा चुकी है।

8.67 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एंव इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने स्वर्गीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में कुरूक्षेत्र में 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है।

8.68 हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन (हरसैक) वर्ष 1986 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा के तहत एक स्वायत्त के रूप में स्थापित किया गया है। हरसैक का उद्वेश्य राज्य के विकास की योजना बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना है। अपनी स्थापना के बाद से ही यह केन्द्र प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और राज्य में बुनियादी सुविधाओं के मानचित्रण, निगरानी और प्रबंधन में कार्यरत है। इस केन्द्र को रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. और राज्य में जी.पी.एस. से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है। आज तक यहाँ पर 135 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और 20 परियोजनाओं पर वर्तमान कार्य चल रहा हैं।

स्वास्थ्य

8.69 हरियाणा सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार बुनियादी ढ़ाचे, मानव संसाधन, उपकरण, दवाओं आदि के मामले में खुद का उन्नयन किया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग शिशुओं, बच्चों, किशोरों, माताओं, पात्र दंपतियों सहित अपनी जनता की सभी श्रेणियों की स्वास्थ्य जरूरतों के साथ–2 बुजुर्ग बीमार और मानसिक आघात के शिकार लोगों

के लिए उत्तरदायी है। विभाग इसके अलावा संचारी और गैर संचारी रोगों की जांच और रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और नियोजन के सिस्टम को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

स्वास्थ्य अवसंरचना

8.70 वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा 57 अस्पताल, 112 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 485 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2,630 उपकेन्द्रों, 7 ट्रामा केन्द्र, 37 शहरी और ग्रामीण औषधालयों, 90 शहरी आरसीएच सैंटर और 473 प्रसुति ग्रहों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, 11 पोलीक्लिनिक, 4 औषधालयों और 11 शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों का परिचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

8.71 यह कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया। एन.आर.एच.एम. का पहला चरण (2005–12) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हो गया। एन.आर.एच.एम. का दूसरा चरण (2012–17) 1 अप्रैल, 2012 को शुरू किया गया। 2012–17 के दूसरे चरण में साझा पैटर्न (क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकार) 75:25 के अनुपात में है। मिशन के तहत खर्च वर्ष 2005–06 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 62.30 प्रतिशत (दिसम्बर, 2014 तक) हो गया है। राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पहले चरण के दौरान महत्वूपर्ण प्रगति की है। हरियाणा की मातृ मृत्यु दर 2004–06 में 186 थी जो कम होकर 127 (एस.आर.एस. 2013) हो गई है। शिशु मृत्यु दर जो 61/1000 (एस.आर.एस. 2002) थी कम होकर अब 41/1000 (एस.आर.एस. 2013) हो गई है। टी.एफ.आर. कम होकर (एस.आर.एस. 2013) में 2.2 हो गया है, जो (एस.आर.एस. 2002) में 3.0 था। संस्थागत प्रसव जो 2004 में 23 प्रतिशत थे, मार्च, 2014 तक बढ़कर 84.2 प्रतिशत (सी.आर.एस.) हो गये हैं। वर्तमान स्तर और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य **तालिका 8.1** में दर्शाया गये हैं:–

तालिका 8.1– 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु लक्ष्य एवं अब तक हुई प्रगति

आई.एम.आर.	60 (एस.आर.एस. 2005)	41 (एस.आर.एस. 2013)	28
एन.एम.आर.	35 (एस.आर.एस. 2005)	28 (एस.आर.एस. 2012)	23
एम.एम.आर.	186 (एस.आर.एस. 2004–06)	146 (एस.आर.एस. 2010–12)	80
लिंग अनुपात	795 (एस.आर.एस. 2004–06)	879 (2011 जनगणना)	950
संस्थागत प्रसव	32 प्रतिशत	84.2 प्रतिशत (सी.आर.एस. 2013–14)	100
टी.एफ.आर.	2.8 (एस.आर.एस. 2005)	2.2 (एस.आर.एस. 2013)	2.0

बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण

8.72 राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) हरियाणा में 61 (एस.आर.एस. 2005) से कम होकर एस.आर.एस. 2013 के अनुसार 41 हो गई है। नवजात शिशुओं में होने वाली मौतों को 30 तक कम करने के लिए 2015 में सबसे महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित हैं–

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.)**
  जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पैदा हुए बीमार नवजात शिशु के लिए बिना खर्च उपचार करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, जिसमें मुफ्त परिवहन, निःशुल्क दवाओं, मुफ्त उपभोज्य, निःशुल्क निदान और मुफ्त खून उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

- **सुविधा आधार नवजात देखभाल (एफ.बी.एन.सी.)**
  राज्य में 22 विशेष नवजात देखभाल इकाईयों (एस.एन.सी.यू.s) को स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई। जिसमें से 20 एस.एन.सी.यू.s विभिन्न जिलों के जिला अस्पताल में स्थापित किया गये हैं। 66 नवजात स्थिर इकाईयों और 318 नवजात देखभाल कोर्नस (एन.बी.सी.सी.) विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं पर जिलों में स्थापित किये गये हैं।

- **गृह आधारित प्रसवोत्तर देखभाल (एच.बी.पी.एन.सी.)**
  आशा इस योजना के तहत मां और नवजात शिशु की देखभाल के लिए प्रसव के बाद घर का दौरा करता है और तुरंत यदि आवश्यक हो, स्वास्थ्य सुविधां के लिए बीमार मां/नवजात को रैफर करती

है। इस के लिए राज्य में एच.बी.पी.एन.सी. ऑनलाइन सॉफटवेयर का शुभारंभ किया गया है। सभी प्रशिक्षित आशा को आशा दवा किट और एच.बी.पी.एन.सी. किट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

- **टीकाकरण**
  विश्व स्वास्थ्य संगठन, मूल्याकंन अनुसार, हरियाणा राज्य में पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों का मूल्याकंन किया है जो डी.एल.एच.एस. IV के अनुसार 52 प्रतिशत है। हालांकि, पी.जी.आई. द्वारा समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार पूरी तरह से प्रतिरक्षित कवरेज 74 प्रतिशत है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी विवरण के अनुसार यह नवम्बर, 2014 तक 72 प्रतिशत है।

मातृ स्वास्थ्य

8.73 हरियाणा में मातृ मृत्यु दर में विगत वर्षों में कमी आई है और हरियाणा का मातृ मृत्यु दर पूरे भारत की तुलना में एस.आर.एस. के अनुसार निम्नानुसार हैः–

एम.एम.आर. (मातृ मृत्यु दर) –एस.आर.एस.

वर्ष	हरियाणा	भारत
1999–01	176	327
2001–03	162	301
2004–06	186	254
2007–09	153	212
2010–12	146	178

- **24x7 प्रसव बिन्दु की संख्या में बढौतरी**
  अतिरिक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों और अन्य रसद के प्रावधानों द्वारा आरसीएच–II/एन.आर.एच.एम. ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं (उप केन्द्रों) इत्यादि को 24x7 परिचालित करने की परिकल्पना की है, ताकि प्रसूति सुविधाएं मरीजों के लिए उनके पहुंच के क्षेत्र में सुलभ हो और उनके पास प्रशिक्षित दाई या अप्रशिक्षित दाई की बजाए संस्थागत प्रसूति की सुविधा का विकल्प भी मौजूद हो।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.)**
  जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत मुफ्त सुविधाएं (प्रसव, सिजेरियन, परीक्षण इत्यादि) प्रदान की जाती है।
- **जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.–भारत सरकार)**
  जे.एस.वाई. योजना एक सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को प्रसव पर भुगतान किया जाता है। कुल 700 रुपये का भुगतान लाभार्थी को ग्रामीण संस्था में प्रसव के लिए किया जाता है और शहरी संस्था में प्रसव हेतु यह राशि 600 रूपये तथा घर पर प्रसव के लिए यह 500 रूपये है।
- **जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.–राज्य)**
  इस योजना की शुरूआत अप्रैल, 2008 में राज्य योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के अधीन 1,500 रूपये की सहायता अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु दी जाती है, चाहे व सरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र का अस्पताल। गर्भवती महिला को प्रसव हेतु भुगतान एकमुश्त 1,500 रूपये दी जाती है। यहां तक कि अनुसूचित जाति/जनजाति महिला जो बिना किसी प्रसूति पूर्व जांच के सीधे संस्था में प्रसव हेतु आती है, उसे पूरे 1,500 रूपये का भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना

8.74 यह परियोजना जनवरी, 2014 में आम आदमी को बुनयादी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए प्रांरभ की गई।

- हरियाणा निवासियों के लिए सरकारी अस्पतालों एवं सरकारी मैडिकल कॉलेज में द्वितीय श्रेणी तक निःशुल्क सर्जरी का प्रावधान किया गया है।
- हरियाणा निवासियों के लिए लगभग 231 विभिन्न प्रकार की सर्जरी निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। हरियाणा में निवास न करने वाले लोगों के लिए सर्जरी पैकेज कार्यक्रम जारी रहेगा।

- सभी रोगियों (ओ.पी.डी./आई.पी.डी./इमरजेन्सी) को सभी आवश्यक मुफ्त दवाईयों की सुविधा।
- सभी रोगियों को 69 प्रकार के विभिन्न प्रयोगशाला जांच मुफ्त प्रदान करवाई जा रही हैं। इनमें से 30 प्रयोगशाला जांच हर जिला अस्पताल में निःशुल्क तौर पर प्रदान करवाई जा रही हैं।
- सभी रोगियों को एक्स–रे, अल्ट्रासांउड और ई.सी.जी. निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- सभी को निःशुल्क रेफरल परिवहन एंव एम्बुलेंस सेवा।
- मरिजों के लिए इंडोर सेवांए भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- 21 प्रकार की दंत प्रक्रियाएं सभी मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। जिनमें से 18 प्रक्रियाएं जिला अस्पतालों एवं पी.जी.आई.डी.एस. रोहतक में निःशुल्क निश्चित तौर पर प्रदान की जा रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

8.75 परिवार कल्याण कार्यक्रम जन समुदाय की आवश्यकता तथा मांग के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए भरसक पर्यत्न किये जा रहे है। यह कार्यक्रम प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रित करने में सफल रहा है जिसके फलस्वरूप जो जन्म दर 42.1/1000 वर्ष 1971 में थी घटकर 21.8/1000 (एस.आर.एस. 2011) हो गई है। हरियाणा की डशिनियल वृद्वि दर वर्तमान जनगणना के अनुसार 20.3 है।

कुल प्रजनन दर

8.76 एस.आर.एस. 2013 के अनुसार हरियाणा में 2.2 टी.एफ.आर. है। टी.एफ.आर. नसबंदी और परिवार नियोजन तकनीक, सामाजिक,आर्थिक स्थिति, शिक्षा,जागरूकता आदि के उपयोग यानि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है ओर स्वीकृति की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। जोड़ा बच्चों की पट्टादाता संख्या यानि दो बच्चों तक गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते है तो इसकर टी.एफ.आर. पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में इस समूह द्वारा गर्भनिरोधक उपायों के रूप में नसबंदी के उपयोग से वृद्धि हुई है।

एड्स

8.77 एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 99 आई.सी.टी.सी.एस., 98 एफ.आई.सी.टी.सी.एस., 92 एस.टी.आई. क्लीनिकों, 62 टी.आई.एन.जी.ओ.एस., 74 रक्त बैंकों, 17 एल.ए.सी.एस. और ए.आर.टी. केन्दों के माध्यम से सभी जिला और उप जिला स्तर पर एच.आई.वी. पीड़ितों की देखभाल और उपचार उपलब्ध सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा ठोस और सतत प्रयास उठाए जा रहे है।

पी.एन.डी.टी./लिंग अनुपात

8.78 हरियाणा राज्य में बिगड़ता लिंग अनुपात हमेशा स्वास्थ्य विभाग की चिंता का विषय रहा है। यद्यपि हरियाणा में आधारभूत ढ़ाचे, तकनीकी, शिक्षा तथा हाऊसिंग इत्यादि में जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी लिंगानुपात में सुधार करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह न केवल स्वास्थ्य समस्या है बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लीनिकों/डाक्टरों पर प्रतिबंद लगाने के लिए पूरे हरियाणा में अभियान चलाया हुआ हैं, जो लिंग चयन से जुड़े हुए है। वर्ष 2014–15 में 19,455 पंजीकृत केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से सितम्बर, 2014 तक 447 केन्द्रों का पंजीकरण रद्द किया गया और 275 केन्द्रों को सील किये गये। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप जन्म के समय लिंग अनुपात 864 (सिंतबर 2013) से बढ़कर 872 (सिंतबर, 2014) हो गई है। जबकि 3 जिलों में लिंग अनुपात 900 से ज्यादा है और दो जिलों में रेवाड़ी (797), नारनौल (786) जो कि 800 से भी कम है। सी.आर.एस. आकड़ों के अनुसार सितम्बर, 2014 तक बाकि सभी जिलों में लिंग अनुपात 800 से 900 के बीच में है।

आयुष

8.79 आयुर्वेदा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्वा तथा होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा पद्वतियॉ को भारत में पुरानी पद्धति को विभिन्न समुदायो ने स्वीकार किया है। इनका समय के साथ परीक्षण किया गया और हजारों वर्षों का उपयोग प्रमाणित करता है कि इन्होंने रोगों की रोकथाम तथा निवारण में भुमिका निभाई है। आयुष औषधिय प्रणाली ने जीवन शैली से सम्बन्धित असाध्य रोगों की रोकथाम तथा प्रबंधन मे आवश्यक भुमिका निभाई है जिनमें आधुनिक औषधियां इतनी सफल नही रही हैं। जीवन शैली मे बढ़ते विकारों की संख्या से आयुष पद्धति का देश व विदेश स्तर पर पुनरुत्थान हुआ है।

8.80 भारतीय चिकित्सा पद्वति एवं अनुसंधान, संस्थान पंचकूला, 3 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 458 आयुर्वेदिक औषधालयों, 18 युनानी औषधालयों एंव

19 होम्यो0 औषधालयों के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा आयुर्वेदिक कालेजों के माध्यम से आयुर्वेद शिक्षा प्रदान करना आयुष विभाग का मिशन है।

8.81 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में 21 जिला हस्पतालों में आयुष विंग (पंचकर्मा/आयुर्वेद/होम्योपैथी/योगा द्वारा उपचार), 92 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (72 आयुर्वेद, 24 होम्योपैथिक व 4 युनानी) पर 236 आयुष चिकित्सा अधिकारियों (87 आयुर्वेद, 127 होम्योपैथिक, 18 योगा व 4 युनानी), 189 पैरामैडिकल स्टाफ एवं 67 अन्य स्टाफ द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2014–15 में पांच पंचकर्मा ट्रेनिंग कैम्पों का आयोजन तथा एक अरोग्य मेला/कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा।

8.82 श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र के माध्यम से आयुर्वेदिक शिक्षा प्रदान की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा एक नया आयुर्वेदिक कालेज और हस्पताल, स्व0 श्री बाबा खेता नाथ के नाम से गावं पटटीकरा (नारनौल) में खोला जा रहा है और पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर.) विभाग द्वारा कालेज/हस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

8.83 वर्ष 2015–16 में 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बकाया 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष ओ.पी.डी. प्रारम्भ करने की योजना है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में हैल्थ मेला/कैम्प तथा आयुष सुविधाओं पर 1 सेमिनार का आयोजन किया जाना है तथा आयुष चिकित्सकों के लिए पंचकर्मा ट्रेनिंग जारी रखे जाने की योजना है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

8.84 ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा ई.एस.आई. एक्ट 1948 के तहत राज्य के 19 जिलों के 14.55 लाख बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके परिजनों को 7 ई.एस.आई. हस्पतालो के (राज्य के 4 ई.एस.आई.एस. हस्पताल तथा 3 ई .एस.आई सी के हस्पताल) तथा 75 ई.एस.आई. डिस्पैंसरीयों, (1 चल औषधालय व 3 आयुर्वेदिक ईकाईयां) द्वारा विस्तृत चिकित्सा सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार बीमाकृतों एवं उनके परिवारों को प्राथमिक व द्वितीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ई.एस.आई. हैल्थ केयर, हरियाणा द्वारा अति विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा भी गैर सरकारी हस्पतालों (कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इम्पैनल्ड) के माध्यम से दी जा रही हैं। इस वर्ष अब तक 31.96 लाख बाह्या रोग्य तथा 34,534 अन्तरंग रोग्य मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

8.85 पॉच नई ई.एस.आई डिस्पैंसरीयां– एक जिला महेन्द्रगढ़, 2 गुडगॉव तथा 2 फरीदाबाद मे, जो पिछले वर्ष शुरू की गई थी, इस वर्ष भी सफलतापूर्वक चल रही है। वर्ष 2014 में 10 नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरियां (8 गुडगॉव, 1 फरीदाबाद एवं 1 सोनीपत) पहले से चल रही डिस्पैंसरियों में अस्थाई तौर पर शुरू कर दी गई हैं। यमुनानगर तथा पानीपत की ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों में भी दो नई आयुर्वेदिक ईकाईयां शुरू की जा चुकी हैं। नये क्षेत्रों–हथीन (पलवल), खरकड़ा (रेवाड़ी) एवं झाडली (झज्जर), को ई.एस.आई. स्कीम के अन्तर्गत लेने बारे सर्वेक्षण किया जा चुका है और इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा व सेवायें लागू करने बारे कार्यवाही जा रही है।

8.86 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हरियाणा के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को धनरहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु योजना है। आर.एस.बी.वाई. स्कीम के अन्तर्गत भवन एवं निर्माण मजदूरों को, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को तथा स्ट्रीट वेंडरस को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थी बीमाकृतों को 30,000 रुपये अन्तरंग रोगी को चिकित्सा सुविधाएं प्रति परिवार प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में अग्रणीय राज्य है जिसे भारत सरकार द्वारा उसकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार 4 वर्षों में प्रशंसा पत्र भी प्रदान किये गये। हरियाणा के सभी 21 जिलों मे आर.एस.बी.वाई. स्कीम का विस्तार किया गया है। हरियाणा राज्य में आर.एस.बी.वाई. स्कीम के अन्तर्गत नरेगा कार्यकर्ता, घरेलू नौकर, रैग पीकर, आटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, सफाई कार्यकर्ता और खनन कायकर्ता आदि को शामिल करने का कार्य भी चल रहा है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

8.87 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे हुक्का बारो, जोकि युवाओ को निकोटिन युक्त तम्बाकू मोलासिस देते है, इनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए औषधि और कोस्मैटिक धारा 1940 के अनुसार 34 कानूनी मुकदमे दायर किए गए जोकि प्रदेश के विभिन्न न्यायालय में चल रहे है।

8.88 विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा राज्य भर में विभिन्न दुकानो पर की गई रेड में ऐसी स्ड्यूल–एच दवाईयां पाई गई जिनमें नारकोटिक्स तथा साइकोट्रॉपिक पदार्थ होते है और जिनका दुरूपयोग आमतौर पर नशे के लिए युवाओ द्वारा किया जाता है। विभिन्न संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 146 छापे मारे गए तथा लगभग 717 केमिस्टों की दुकानों के लाईसैंस रद्ध व निलम्बित किए गए और 21 से अधिक मुकदमें दायर किए गए। 30 से अधिक मामलों में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।

8.89 खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.) अधिनियम–2006 दिनांक 05–08–2011 को हरियाणा में लागू किया गया था। विभिन्न वैधानिक अधिकारियों ने इस नव अधिनियमित कानून के तहत राज्य में अधिसूचित की गई। एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य व्यापारियों (एफ.बी.ओ.एस.) का पंजीकरण/लाईसैंस ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

8.90 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा ने खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के तहत राज्य में ''खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण'' की जिला सत्र ने न्यायालय अम्बाला एवं गुड़गांव में स्थापना की गई। हरियाणा सरकार ने दिनांक 15–08–2014 को गुटखा और तंबाकू/निकोटीन युक्त पान मसाला आदि के निर्माण पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। बहुत बडी मात्रा में तंबाकू/निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इस बुराई को खत्म करने के लिए विभाग द्वारा पकडे गए।

8.91 हरियाणा उत्तरी भारत में ऑनलाइन लाईसैंस जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया। निर्माण ईकाइयों तथा दूकानों की निरंतर निगरानी के लिए जांच हेतू नमूने लेने व निरीक्षण का कार्य किया गया (कुल 7,225 दुकानों के निरीक्षण, 312 निर्माण ईकाइयों के निरीक्षण तथा 2,210 दवाओं के नमूने जांच हेतू लिए गए)। इनसे घटिया तथा नकली दवाओं की घटनाओं को कम करने में सहायता की तथा लगभग नग्नय कर दिया। हरियाणा राज्य भर में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत 41 मुकदमें अपराधियों के विरूद्ध कि इस वर्ष में दायर किए गए। हरियाणा राज्य में इस वर्ष 41 में से 32 मुकदमों में दोषियों को सजा हुई। इस प्रकार सजा की दर 78 प्रतिशत से अधिक रही जोकि पुरे देश में सर्वाधिक है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान

8.92 दिनांक 8 जनवरी, 2009 को मेडिकल, डेन्टल, आयुर्वेदा, होम्योपेथी और पैरा–मेडिकल शिक्षा की अपग्रेडेशन एवं प्रसार हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव के प्रशासनिक नियन्त्रण में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान निदेशालय स्वास्थ्य विभाग से पृथक किया गया।

8.93 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान निदेशालय राज्य में विभिन्न मेडिकल, नर्सिंग और पैरा–मेडिकल संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता पूरक शिक्षा प्रदान कर रहा है। राज्य में कार्यरत संस्थानों का मौजूदा विवरण इस प्रकार हैः–

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी	कुल	कुल सीटें
मेडिकल कालेज	03	04 (एक सरकारी सहायता प्राप्त)	07	एम.बी.बी.एस. 850 पोस्ट ग्रेजुएट 221
डेंटल कालेज	01	10	11	बी.डी.एस. 960 एम.डी.एस. 228
आयुर्वेदा कालेज	01	06	07	बी.ए.एम.एस. 440
होम्योपैथी कालेज	–	01	01	50
फिजियोथ्रेपी कालेज	01	10	11	बी.पी.टी. 560 एम.पी.टी. 100
नर्सिंग कालेज				
ए.एन.एम.	08	72	80	2613
जी.एन.एम.	03	70	73	2970
बी.एस.सी.	01	26	27	1285
एम.एस.सी.	01	05	06	133
एम.पी.एच.डबल्यू.(मेल)	02	17	19	1140

बी.पी.एस. महिला मेडिकल कालेज, खानपुर कलां (सोनीपत)

8.94 मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग कालेज की अनुमानित लागत 584 करोड़ रूपये है। प्रथम चरण में 100 सीटों का महिला मेडिकल कालेज, जिसके साथ 500 बैड का हस्पताल होगा, अनुमानित 374 करोड़ रूपये की लागत से महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां के प्रांगण में स्थापित किया गया है। 450 बैड क्षमता का हस्पताल जिसमें 5 मोड्यूलर आप्रेशन थिएटर, 20 बैड का आई.सी.यू., 10 बैड का एम.आई.सी.यू., 10 बैड का एन.आई.सी.यू. तथा 1,200 से 1,500 ओ.पी.डी. रोगी प्रतिदिन शामिल हैं, पूर्णतया कार्यरत है। संस्था के 95 प्रतिशत बैड भरे रहते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में सभी स्पेशिलिटी सेवाएं दी जा रही हैं। मेडिकल कोंसिल आफ इण्डिया ने शिक्षण सत्र 2012–13 में 100 छात्रों को दाखला देने की अनुमति प्रदान की। प्रथम बैच में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों को अगस्त, 2012 में दाखिला दिया गया और तीसरे बैच में शिक्षण वर्ष 2014–15 का दाखिला किया गया। दूसरे चरण में नर्सिग कालेज के साथ–साथ आवासीय भवन, हस्पताल का हिस्सा, होस्टल आदि का निर्माण किया जाएगा।

शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कालेज नल्हर, मेवात

8.95 राज्य सरकार ने जनता के स्वास्थ्य में सुधार एवं देखभाल हेतु दूरस्थ मेवात जिला में एक मेडिकल कालेज स्थापित किया है। यह मेडिकल कालेज 100 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। इस मेडिकल कालेज एवं हस्पताल, डेंटल कालेज और नर्सिंग कालेज की अनुमानित लागत 507 करोड़ रूपये है। प्रथम चरण में अनुमानित 389 करोड़ रूपये की लागत से 100 सीटों का मेडिकल कालेज तथा 500 बैड का हस्पताल स्थापित किया गया है। हस्पताल में आधुनिक मशीनों तथा उपकरणों सहित ओ.पी.डी/आई.पी.डी सेवाएं उपलब्ध हैं। मेडिकल कोंसिल आफ इण्डिया ने शिक्षण सत्र 2013–14 सें 100 छात्रों के दाखिले की अनुमति दी और इस वर्ष एम.बी.बी.एस. का दूसरा बैच दाखिल किया गया।

कल्पना चावला मेडिकल कालेज, करनाल

8.96 करनाल में राज्य सरकार प्रसिद्व अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में 100 सीटों का मेडिकल कालेज स्थापित कर रही है। मेडिकल कालेज में एम.बी.बी.एस. की 100 सीटें होंगी और 500 बिस्तरों का हस्पताल होगा। मौजूदा जिला हस्पताल को 200 बिस्तर से बढाकर 300 बिस्तर का करने उपरान्त इसे प्रस्तावित मेडिकल कालेज से जोड़ा जाएगा। निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और पूरी तेजी से किया जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 33 करोड़ रूपये का बजट है। परियोजना स्थापन की कुल लागत 645.77 करोड़ रूपये है।

पं0बी0डी0 शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक

8.97 राज्य सरकार ने 2 जून, 2008 को पं.बी.डी. शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय राज्य में अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं को रेगुलेट एवं एफिलेट कर रहा है। इसके प्रांगण में स्थित पी.जी.आई.एम.एस. प्रति वर्ष 200 एम.बी.बी.एस. तथा 174 (145 डिग्री व 29 डिप्लोमा) पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को डिग्री प्रदान करता है। इस संस्था में आधुनिक डायगनोस्टिक और थेरैप्यूटिक सुविधाओं का 1,710 बिस्तरों का हस्पताल है। प्रतिवर्ष 60 बी.डी.एस. और 19 एम.डी.एस. छात्रों की क्षमता वाला डेंटल कालेज भी इसी प्रांगण में स्थित है, जिसे अब पी.जी.आई.डी.एस. अपग्रेड किया गया है। इस विश्वविद्यालय में अनेक अन्य कोर्स जैसे रेडियोग्राफी एवं रेडियोथैरेपी टेकनोलोजी में डिप्लोमा, पैरा मेडिकल, ओपथाल्मीक सहायक कोर्स, डेंटल मैकेनिक और डेंटल हाईजिनिष्ट कोर्स आदि चलाए जा रहे हैं।

महाराजा अग्रसैन मेडिकल कालेज अग्रोहा, जिला हिसार

8.98 महाराजा अग्रसैन मेडिकल कालेज, अग्रोहा सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कालेज है। राज्य सरकार 50 सीटों वाले महाराजा अग्रसैन मैडिकल कालेज, अग्रोहा को आवर्ती खर्च के लिए 99 प्रतिशत सहायता एवं अनावर्ती खर्च के लिए 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती है। शिक्षण वर्ष 2013–14 से एनाटामी, गायनाकोलोजिस्ट और आर्थोपेडिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आरम्भ किए गए हैं। वित वर्ष 2014–15 के लिए 49 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है।

एम्स, नई दिल्ली का विस्तार (भाग–II) गांव बाढसा, जिला झज्जर

8.99 राज्य सरकार ने एम्स–II के लिए 300 एकड़ जमीन अलाट की है। इस जमीन की कीमत 48 करोड़ है जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा पॉच किश्तों में 9.60 करोड़ रूपये की प्रत्येक किश्त के हिसाब से ग्राम पंचायत को किया जा चुका है। अनुमानित 20 करोड़ रूपये की लागत से एम्स–II में ओ.ओ.पी.डी. सेवाएं दिनांक 24 नवम्बर, 2012 से आरम्भ हो चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा 1,800 करोड़ रूपये की लागत से 600 बैड का नेशनल केन्सर इंस्टीच्यूट स्थापित करना प्रस्तावित है तथा 3 जनवरी, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री

के कर कमलो द्वारा नेशनल केन्सर इंस्टीच्यूट का शिलान्यास किया गया। परियोजना के पूर्ण होने में 3 साल का समय लगेगा। इसका उद्धेश्य अन्य स्पेशलाइज्ड सैन्टर/इंस्टीच्यूट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

गांव माजरा श्योराज, जिला रिवाड़ी में मेडिकल कालेज की स्थापना

8.100 राज्य सरकार ने गांव माजरा श्योराज, जिला रिवाड़ी में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर मेडिकल कालेज और अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। यह प्राईवेट सहभागियों के सहयोग से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए अधिसूचित पी.पी.पी. पालिसी के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा। यह मेडिकल कालेज एवं अस्पताल जिसमें चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय स्टैडर्ड की होगी जो साधारण जन की पहुंच में होंगे। इस परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ने शामलात जमीन को राज्य सरकार को 27 एकड़, 6 कनाल और 13 मरला जमीन 99 वषो के लिए पट्टे पर दी है।

महिला एवं बाल विकास

8.101 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचन बद्ध है ताकि वे सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण में अपना बराबरी का योगदान दे सकें। राज्य सरकार महिलाओं तथा किशोर बालिकाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को विभिन्न नितियों तथा कार्यक्रमो के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूकता तथा उनमें सीखने की क्षमता तथा बच्चों (0–6 वर्ष) तथा गर्भवति एवं दूध पिलाने वाली माताओं को उनके पूर्ण विकास के लिए पोषाहार प्रदान किया जाता हैं। वर्ष 2014–15 में विभाग के बजट में 1,05,723.93 लाख रूपये राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से जनवरी–2015 तक 57,132.18 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

8.102 बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम देश के सभी जिलों जिसमें हरियाणा राज्य के 12 असंतुलित लिंग अनुपात वाले जिलों नामतः करनाल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, कुरूक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, अम्बाला, कैथल, रोहतक, यमुनानगर तथा पानीपत में शुरू किया गया है। कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू करने हेतू जिला टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एक जन– अभियान के माध्यम से असंतुलित शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करने के लिए किया गया है एवं 100 जिले जिनमें अनुपात असंतुलित है, में हस्तक्षेप करना व बहुक्षेत्रीय पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जायेगा। इस स्कीम का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में शुरू करने की घोषणा की गई।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

8.103 समेकित बाल विकास सेवाएं योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्धेश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषाण स्तर, मनौविज्ञानिक तथा सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, संदर्भित सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं। यह योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

आई.सी.डी.एस. योजना को सदृढ़ तथा पुर्नगठन करना

8.104 आई.सी.डी.एस. योजना को चरणबद्ध तरीके से जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना को मिशन मोड़ में लागू करना शामिल करने का है। सुदृढ़ तथा पूर्ण गठन किया गया है इस योजना के अन्तर्गत 9 जिलों फरीदाबाद, कैथल, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर, नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी तथा रोहतक को कवर किया गया है तथा शेष जिलों में लागू करने का कार्य चालू है। जबकि राज्य सरकार की प्राथमकिता कुपोषण को समाप्त करना है तथा बच्चों के स्वास्थ एवं पोषण स्तर बढाने के लिए बहुत से कदम उठाने है। इन 9 जिलों में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं, बच्चों तथा किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार की सशोंधित दरें लागू की गई हैं जो कि बच्चों

को 6 रूपये प्रति बच्चा 7 रूपये प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9 रूपये प्रति अत्याधिक कुपोषित बच्चा की दर से लागू है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

8.105 राज्य सरकार की प्राथमिकता आई.सी.डी.एस. लाभ पात्रों को गुणात्मक पोषाहार प्रदान कर पोषण सम्बन्धी स्तर को सुधारना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 10.99 लाख बच्चों तथा 3.28 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से गेहूँ आधारितत पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कान्फैड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, पंजीरी तथा गुलगले दिये जा रहे हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार (मोरनिंग सनैक्स तथा नियत पक्का खाना) दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को टेक होम रेटन (टी.एच.आर.) दिया जा रहा है। विभाग द्वारा राज्य स्तर के अधिकारियों की निरीक्षण कमेटियों का गठन किया गया है। इन निरीक्षण कमेटियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर माह आगनवाड़ी केन्द्रों का दौरा करने के दौरान राशन के रख रखाव, राशन तैयार करने तथा उसकी गुणवता की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है।

8.106 खाद्यय सुरक्षा अधिनियम–2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार उचित कदम उठाये जाने बारे हिदायतें जारी की गई हैं ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके :–

- आई.सी.डी.एस. योजना के तहत जो खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जा रही है वह सुरक्षित तथा पोषक हो।
- इस बारे सर्तक रहे तथा कोई भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लघंन करें तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि खाद्य पदार्थ शून्य संक्रमणित है।

8.107 राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाडी केन्द्रों मे खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाऐं गए हैं। 25,962 आंगनवाडी केंद्रों के लिए गैंस के चूल्हे स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 22,722 गैंस कनैक्सन उपलब्ध करवाये गये हैं।

आंगनवाड़ी भवन के निर्माण

8.108 बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू वर्ष 2002–03 में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई। एक आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की अनुमोदित लागत 9.95 लाख रूपये है। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपने भवनों में चलाये जाने से महिलाओं, बच्चों तथा किशोर लड़कियों से संबंधित योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। इस उद्धेश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 तक 4,513 भवनों के निर्माण के लिए 197 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा 119.40 लाख रूपये की राशि 12 आगनवाड़ी के निर्माण के लिए दी गई। अब भारत सरकार द्वारा मिशन मोड़ के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए नया मद शुरू किया गया है मिशन मोड़ के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 1,500 आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

8.109 इस योजना के तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षरण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख व सुरक्षा के लिए संस्थागत तथा नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है।

8.110 जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुनर्वास के लिए 87 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैरसरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। इनमें से तीन सरकार द्वारा (हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन करनाल,बाल ग्राम राई, किशोर विकास सदन सोनीपत (राज्यकीय उत्तर रक्षा ग्रह) और छः अर्द्धसरकारी बाल/सैल्टर हॉम (शैल्टर हॉम रेवाड़ी व छछरौली, बाल ग्रह रेवाड़ी, छछरौली व झज्जर तथा बाल कुंज छछरौली) 4, ओबजरवेशन होम (अम्बाला, हिसार,फरीदाबाद व करनाल) एक स्पेशल होम (अम्बाला)

तथा 73 प्राइवेट निजी बाल देखरेख संस्थान जो कि हरियाणा राज्य में चलाए जा रहे हैं। बाल देखरेख सस्थाओं की मैंपिंग तथा पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

8.111 राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, वर्ष 2014–15 के बजट में आयोग को 50 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई, जिसमें से मास जनवरी, 2015 तक 25 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

लाडली

8.112 राज्य में घटते लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में एक प्रोत्साहन आधारित योजना ''लाडली'' प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2015 तक 87,705 लाभपात्र जिसमे 23,251 नये लाभ पात्र भी शामिल है, को कवर किया गया है वर्ष 2014–15 के बजट में 6,600 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 4,939.03 लाख रूपये की राशि मास जनवरी, 2015 तक व्यय की जा चुकी है।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

8.113 राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल मे चलाई जा रही है। इस योजना का उद्धेश्य किशोरी बालिकाओं को अपनें विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी मे सक्षम करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना के दो मुख्य घटक निम्न प्रकार हैः–

क) पौषाहार कम्पोनैंट

11–14 वर्ष की (स्कूल न जाने वाली बालिकाओं) तथा 14–18 वर्ष की (स्कूल जाने वाली व न जाने वाली बालिकाओं) 1,59,397 बालिकाओं को 5 रूपये प्रति लाभपात्र वर्ष में 300 दिन के लिए पोषाहार दिया जा रहा है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अर्न्तगत किशोरी बालिकाओं को तैयार, गर्म भोजन दिया जाने का प्रस्ताव है।

ख) नॉन पौषाहार कम्पोनैंट

इस योजना के अन्तर्गत 19,318 स्कूल बालिकाओं को कवर किया गया है। जिसके अन्तर्गत किशोरियों को आई.एफ.ए. सप्लीमैंटेंशन, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा परिवार कल्याण एवं बच्चों की देखभाल, जीवन निपुणता की शिक्षा सार्वजनिक सेवाओं और व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में मार्गदर्शन करता है।

किशोरी शक्ति योजना

8.114 केन्द्रीय प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य में चलाई जा रही है। यह सेवाएं बालिका मण्डल का गठन करके उनके माध्यम से प्रदान की जाती है। माह जनवरी तक इस योजना के अन्तर्गत 31,172 बालिकाओं को पूरक पोषाहार तथा 30,185 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 515 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 168.25 लाख रूपये की राशि मास जनवरी, 2015 तक व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

8.115 भारत सरकार द्वारा योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संशोधित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 6,000 रूपये की राशि दो किस्तों में दी जाती है। माताओं/महिलाओं को पहली किस्त (तीन मास के दौरान) व दूसरी किस्त (प्रसव के छः मास उपरांत) माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शर्तो को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य मिशन की स्थापना

8.116 हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन का गठन किया गया है। मिशन द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्य का मूल्यांकन व रिव्यू किया जायेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये राज्य रीसॉर्स सैन्टर का गठन किया गया है। राज्य रिसॉर्स सैन्टर द्वारा पूर्ण शक्ति केन्द्र, (पी.के.एस.) एक आपात काल सुविधा केन्द्र (ओ.एस.सी.सी.) आगनवाड़ी वर्कर का प्रशिक्षण तथा कानूनी व जैण्डर जागरूकता कार्यक्रम के लिए कार्य किया जा रहा है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

8.117 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एवं बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर 21 संरक्षण–सह–बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी नियुक्त किए गए है। वर्ष 2014–15 के दौरान घरेलू हिंसा से संबंधित 5,062 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 1,666 का निपटान आपसी तालमेल से तथा इसी तरह बाल विवाह से संबंधित 170 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 31 शिकायतों का निपटान न्यायालय के आदेश द्वारा, 81 काउंसिलिंग के द्वारा दिसम्बर 2014 तक निपटाई गई। वर्ष 2014–15 के बजट में 150 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से माह जनवरी, 2015 तक 73.80 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं।

तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना

8.118 हरियाणा सरकार द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत तेजाब से पीड़ित महिलाओं को जो हरियाणा के निवासी है या हरियाणा में तेजाब से पीड़ित हुई हैं को सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत तेजाब पीड़िता को इलाज का 100 प्रतिशत खर्चा सरकार तथा सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से इलाज करवाने पर दिया जाता है। योजना के तहत तेजाब पीड़ित को 3 लाख रूपये की राशि का मुआवजा दिया जाएगा। जिसमें विकरण, शरीर के किसी अंग का खत्म होना या प्लास्टिक सर्जरी का ईलाज शामिल है। कुल 3 लाख रूपये की राशि में से 1 लाख रूपये की राशि पीड़ित को 15 दिन के अन्दर–अन्दर तदर्थ सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा शेष 2 लाख रूपये की राशि दो मास के अन्दर दे दी जाएगी। यदि पीड़ित का विकरण, शरीर के किसी अंग का खत्म या प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है उस स्थिति में 50,000 रूपये का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रूपये मृतक के कानूनी वारिश को दी जाएगी। तेजाब से पीड़ित महिलाओं को राहत व पुनर्वास हेतू राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर कमेटी का गठन भी किया गया है। वर्ष 2014–15 के बजट में 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 5.28 लाख रूपये की राशि जनवरी, 2015 तक व्यय की जा चुकी है।

हरियाणा राज्य महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा

8.119 हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 को पास करके हरियाणा राज्य महिला आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 अब कार्यरत है तथा उसे महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में समन करने, उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करवाने, शपथ–पत्र पर साक्ष्य मंगवाने, गवाहों एवं दस्तावेजों की जांच करने के उद्धेश्य से दिशा–निर्देश देने जैसे सिविल कोर्ट के सभी अधिकार दिये गये है।

बालिकाओं के लिए शिक्षा ऋण योजना

8.120 राज्य सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना प्रारम्भ की है, जो कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट/डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाएंगे, जिसमें ब्याज सब्सिडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में विभिन्न बैंकों को द्वारा 276 बालिकाओं को देश/विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण पर 50.38 लाख रूपये की सब्सिडी दी गई।

ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

8.121 बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए **'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार'** की योजना आरंभ की गई। इस योजना को संशोधित किया गया है जिसके अनुंसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को क्रमशः 2,000 रुपये,1,500 रुपये व 1,000 रुपये पुरस्कार में दिए जाते हैं तथा 10+2 कक्षा में पहला, दूसरा

व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 3,000 रूपये, 2,500 रूपये व 2,000 रूपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं।

जन स्वास्थ्य

8.122 राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल वितरण के लिए बनाए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अब गांवों में पेयजल स्तर जनसंख्या की कवरेज के हिसाब से आंका जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 534 चुने हुए गांवों की जल आपूर्ति सुविधाओं में बढ़ौतरी किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से 31–12–2014 तक 456 गांव कवर हो चुके हैं।

8.123 स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत राज्य में रहने वाले लगभग 10.36 लाख अनुसूचित जाति के घरों में निजी पीने के पानी का कनैक्शन तथा 200 लिटर क्षमता का टैंक मुफत दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों को मासिक पानी के शुल्क में भी 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणियों को भी निजी पीने के पानी का कनैक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांवों में 500 रुपये कनैक्शन फीस 31–3–2015 तक माफ कर दी गई है। 31–3–2014 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10.16 लाख अनुसूचित जाति के घरों में पानी के कनैक्शन प्रदान किए जा चुके थे। वर्ष 2014–15 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये का प्रावधान है। शेष 0.20 लाख अनुसूचित जाति के घरों में से 0.07 लाख कनैक्शन 31–12–2014 तक प्रदान किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31–12–2014 तक 29.39 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.124 वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य योजना/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए 1,220 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जिनमें 13वां वित्त आयोग (182.62 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम (255 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय नदी सरंक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय हिस्सा (70 करोड़ रुपये)। (इक्नोमिक स्टीमुलस पैकेज के अन्तर्गत 313.72 करोड़ रुपये छोड़ कर) इस पर 31–12–2014 तक 827.52 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.125 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य 2000–2001 से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 461.11 करोड़ रुपये की लागत से आर.आई.डी.एफ.– XV, XVI, XVII, XVIII व XIX के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 59 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें जिला महेन्द्रगढ़ के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थायी पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा 220.14 करोड़ रुपये (भूमि की कीमत 68.81 करोड़ रुपये छोड़ कर) की लागत के दो प्रमुख अनुमोदित परियोजनाओं जिनमें 118 गांव और 34 ढ़ाणियां शामिल हैं, पर कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त जिला रिवाड़ी के 42 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ौतरी के लिए 100.47 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई है और इस परियोजना पर भी कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड द्वारा तीन परियोजनाएं, नामतः हिसार जिला के 21 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 20.14 करोड़ रुपये की परियोजना, सिरसा जिला के 12 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 18.39 करोड़ रुपये की परियोजना तथा जिला भिवानी के लोहारु निर्वाचन क्षेत्र के 41 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 77.35 करोड़ रुपये की परियोजना भी अनुमोदित की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान नाबार्ड योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 31–12–2014 तक 53.73 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.126 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 77 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपये और स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 31–12–2014 तक 48.85 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.127 राज्य में मल निकास सम्बन्धित सुविधाएं 66 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष 11 शहरों में मल निकासी सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। चालू वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान मल निकास सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपये और स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत 9 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान से मल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने के साथ–साथ विभिन्न शहरों में बिना मल निकासी सुविधा वाले क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य किए जा रहे हैं। 31–12–2014 तक 90.19 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.128 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति एवं मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 6 शहरों, नामतः सोहना, सोनीपत, नूंह, समालखा, पटौदी, फारुख नगर में जल आपूर्ति योजनाओं और 9 शहरों, नामतः रोहतक, कोसली, गोहाना, पटौदी व हेली मंडी, पुन्हाना, नूंह, हथीन और फारुख नगर में मल निकासी सुविधाओं में 420.84 करोड़ रुपये की लागत से सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा सोनीपत शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए 21.72 करोड़ रुपये की भी एक परियोजना अनुमोदित की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 60 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा 31–12–2014 तक 32.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.129 यमुना एक्शन प्लान भाग–2 के अन्तर्गत 2004 से 2010 के दौरान 62.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्य क्रियान्वित किए गए। यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांव में वर्ष 2040 तक की जनसंख्या के लिए मल निकासी सुविधाओं की बढ़ौतरी के साथ साथ मल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने के लिए मास्टर प्लान, फिजीबिलिटी स्टडीज रिपोर्ट और डिटेलड प्रोजैक्ट रिपोर्टस कंसलटैंटस के माध्यम से तैयार की जा चुकी हैं और इसे यमुना एक्शन प्लान चरण–3 के अन्तर्गत अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। इन 8 परियोजनाओं में से सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज सुविधाओं की बढ़ौतरी/सुधार के लिए और मल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रुपये और 129.51 करोड़ रुपये की दो परियोजनाएं राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई, 2012 में अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं की लागत भारत सरकार और हरियाणा राज्य द्वारा 70:30 अनुपात में वहन की जाएगी। वर्ष 2014–2015 के दौरान भारत सरकार के हिस्से और राज्य हिस्से के अन्तर्गत क्रमशः 70 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 31–12–2014 तक 43.06 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.130 सोनीपत शहर के लिए रैनी वैल योजना पर आधारित 95 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना राज्य योजना के वित्तपोषण तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवैलपमैंट स्कीम फार सैटलाईट टाउनज की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। 31–12–2014 तक 12.35 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.131 शत्प्रतिशत जल आपूर्ति और मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 14 शहरों, नामतः अम्बाला, असंध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना और उचाना में 1,217.80 करोड़ रुपये की लागत से कार्य (चरण–1) वर्ष 2010 के दौरान शुरु किए जा चुके हैं। इन सभी शहरों में कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 के दौरान अम्बाला शहर और भिवानी शहर (चरण–2) में जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 318.27 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस अनुमोदित हो चुकी हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत 313.72 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं। फतेहाबाद, हांसी, अम्बाला, टोहाना, सिरसा और रिवाड़ी शहरों में जल आपूर्ति और मल निकासी सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए 253.25 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदित हो चुकी हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 31–12–2014 तक, 176.97 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

8.132 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 149.12 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं, जबकि मेवात क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार के लिए 33.50 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं। 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत, चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 31–12–2014 तक, 45.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज

8.133 विकास एंव पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रो में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है।

8.134 महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (ए) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गगज के आवासीय प्लाट मुफत अलाट किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है। वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां एंव नालियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 31 अक्तूबर, 2008 तक चिन्हित किये गए 6 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होगें। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है।

उनमें से 31–12–2014 तक 3.83 लाख परिवारों को प्लाट आंबटित किये जा चुके हैं तथा शेष परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों जिनमें प्लाट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला कर किया जाएगा। इन बस्तियों के विकास के लिए वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक 14,583.23 लाख रूपये की राशि मुहैया करवाई गई थी। वर्ष 2014–15 के लिए 4,573 लाख रूपये की बजट व्यवस्था है। जिसमें से 1,174 लाख रूपये की राशि 31–12–2014 तक जारी कर दी गई थी।

8.135 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का मुख्य उद्धेश्य उन गावों में जहां अनुसूचित जाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, में गलियों एंव नालियों पक्का करवाने, पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाना, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र निर्माण एंव शमशान घाट की चारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। पहले चरण में ऐसे 391 गावों को इस स्कीम के तहत लिया गया। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2013–14 तक 33,900.97 लाख रूपये की राशि 2,246 गांवों के लिए जारी की गई। वर्ष 2014–15 में 4,918 लाख रूपये की राशि अनुमोदित है जिसमें से 2,691.95 लाख रूपये 257 गांव के लिये 31–12–2014 तक जारी किये गये हैं।

8.136 गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 10,300 से अधिक सफाई कर्मी लगाए थे। सफाई कर्मी को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2014 से सफाई कर्मी को दिये जाने वाले मानदेय की दर 4,848 रूपये से बढ़ाकर 8,100 रूपये प्रति माह किया गया है। वर्ष 2013–14 के लिए 6,670 लाख रूपये की राशि अनुमोदित थी जिसे 31–03–2014 तक जारी कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 10,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित है जिसमे से दिसम्बर, 2014 तक 7,515.02 लाख रूपये की राशि जारी कि गई है।

8.137 गलियों को पक्का करने संबंधी योजना के अन्तर्गत सरकार का राज्य के सभी 6,764 गावों में 10 लाख रूपये प्रति गावों प्रदान करके गावों की सभी मुख्य गलियों को पक्का करने का विचार है। गावों की गलियां इन्टरलोकिंग पेवर ब्लाकस से बनाई जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर पाइप लाईनों की मुरम्मत टाईलों को आसानी से हटाया जा सके और मुरम्मत उपरांत पुनः बिछाया जा सके। सभी गॉव इस स्कीम के तहत लिए जा चुके है और मार्च, 2014 तक 1,01,746 लाख रूपये कि राशि जारी की गई है। कुछ गॉव मे छोटी गलियों को पक्का करने हेतू 2 से 3 बार राशि प्रदान की गई है। तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 1,500 लाख रूपये की राशि अनुमोदित है जिसमें से अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई हैं।

8.138 हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्य के लिए 98 चुने गऐ गावों में आधुनिक कस्बों के अनुरूप आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किए गए। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 425 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान गावों का आधुनिकीकरण करने, गलियों को पक्का करने, गन्दे पानी की निकासी की समस्या का निवारण करने, नालियां बनाने, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने आदि हेतु किया गया। दिसम्बर, 2013 तक 97 गॉव में विकास कार्य पूर्ण हो चूका है। कुल जारी की गई 41,250.96 लाख रूपये की राशि में से 39,327.58 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है।

8.139 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत मण्डीयों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2 प्रतिशत विकास फीस ली जाती है। वसूल की गई राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो, गांवों की सड़कों के विकास, चिकित्सालयों की स्थापना, जल सप्लाई, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रबन्ध करने, खेती मजदूरों के कल्याण, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों को उनमें तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर आदर्श मण्डी क्षेत्रों में परिवर्तित करके, ब्रिकी/खरीद के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए गोदामों तथा भण्डार करने के लिए अन्य स्थानों के निर्माण तथा मंडी क्षेत्र के आने वाले व्यक्तियों (विक्रेताओं तथा खरीदारों दोनों) के लिए निगम इस राशि को प्रशासनिक कार्यो के लिए भी प्रयोग में लायेगा। बोर्ड द्वारा 01–04–2005 से 31–03–2014 तक की अवधि के दौरान 3,006.78 करोड़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास कार्यो के लिए जारी की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 में 372.03 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई है।

8.140 राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक घर मालिक का सपना पूरा करने के लिए राज्य मे 08–06–2013 से 'इन्दिरा आवास योजना' की तर्ज पर एक नई महत्वकांक्षी सस्ती ग्रामीण योजना प्रियदर्शनी आवास योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत घर औरा शौचालय की सुविधा के निर्माण के लिए 93,000 रूपये की राशि हर गरीब परिवार को दी जा रही है। लगभग 2 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों को 2 वर्ष (2013–14 और 2014–15) की परियोजना अवधि में कवर किए जाने पर विचार किया है। परियोजना पर 1,350 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे है। वर्ष 2013–14 के दौरान को राज्य सरकार ने 355 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। वर्तमान वर्ष 2014–15 के दौरान अब तक सरकार द्वारा 163 करोड़ रूपये प्रदान किये जा चुके है। बाकी बची राशि की व्यवस्था सरकार द्वारा या राज्य की गारन्टी पर राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के माध्यम से श्रम के रूप मे की जा रही है। योजना के अर्न्तगत वित्तीय सहायता के लिए तिथि अनुसार 1,32,966 (इन्दिरा आवास योजना के तहत 45,314 सहित) लाभार्थियों की पहचान कर पंजीकृत किया गया है और 1,12,455 पात्र लाभार्थियों को 25,000 रूपये की पहली किस्त जारी की गई है, 77,578 लाभार्थियों को 35,000 रूपये की दूसरी किस्त और 33,597 लाभार्थियों को 21,000 रूपये की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है।

8.141 यह योजना राज्य के समस्त जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाने हेतू लागू की जा रही है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस स्कीम में कार्य कर रहे श्रमिकों को 1–4–2014 से 236 रूपये प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु अन्य विभागों जैसे कि वन, कृषि, सिंचाई, स्कूल शिक्षा, महिला व बाल, विकास व पंचायत, मत्स्य, जन स्वास्थ्य, विपणन निगम तथा भवन एवं सड़के निर्माण, इत्यादि से तालमेल करके गांवों में उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनवरी, 2015 तक 156.12 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि मे से 153.08 (98 प्रतिशत) करोड़ रूपये की राशि व्यय करके 49.07 (54 प्रतिशत) लाख मानवदिवसों का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 21.93 (45 प्रतिशत) लाख मानवदिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 20.32 लाख (41 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 21,440 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 4,161 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

8.142 यह योजना ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये धन राशि खर्च की जानी निर्धारित है। भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 से मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रूपये से बढ़ाकर 70,000 रूपये की मकान निर्माण सहायता को इकाई लागत के रूप में संशोधित किया हैं और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों के लिए यह राशि 48,500 रूपये से 75,000 रूपये संशोधित की है, व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त तौर पर 11,000 रूपये व 12,000 रूपये अन्य स्कीमों के अन्तर्गत अभिसरण सनैट्रटी लेट्रींग के निर्माण के लिए वृद्धि करने का निर्णय लिया व 90 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत लाभार्थी को उपलब्ध करवाये जायेगें। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2014–2015 के लिए 29,317 मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व, 3,446 मकानों का निर्माण जनवरी, 2015 तक किया जा चुका है तथा 30,719 मकान निर्माणाधीन हैं जिनमें से 2,624 (76 प्रतिशत) मकान अनुसूचित जातियों के लिए है। इस अवधि में 84.85 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

8.143 यह स्कीम राज्य के दो जिलों महेन्द्रगढ़ व सिरसा में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतगर्त 33.42 करोड़ रूपये की आबंटित राशि में से जनवरी, 2015 तक 14.19 करोड़ रूपये व्यय करके 91 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 262 कार्य प्रगति पर हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा पहचान किए गए निर्णायक आधारभूत ढांचे के अन्तर को पूरा करना है।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

8.144 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल सरंक्षण, भूजल रिचार्ज करना, उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका के अवसरों को प्रदान करना है। वर्ष 2014–15 के लिए राज्यस्तरीय नोडल ऐजेन्सी ने 13 परियोजनाओ के लिए कुल छः जिलों क्रमशः अम्बाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़ एवं रिवाड़ी के लिए 59,275 हैक्टेयर क्षेत्रफल स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 8.10 करोड़ रूपये की राशि जलसंमभर परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर खर्च की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एच.एस.आर.एल.एम.)

8.145 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 01–04–2013 से लागू किया गया है तथा इस मिशन को लागू करने के लिए भारत सरकार ने 27.04 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। इस स्कीम के तहत 1,639 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं और 914 स्वयं सहायता समूहों को राशि प्रदान की गई है तथा रिवोलविंग फण्ड स्कीम के अन्दर जनवरी, 2015 तक 13.66 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)

8.146 यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 में लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की वार्षिक राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस स्कीम के अंतगर्त जनवरी, 2015 तक 26.52 करोड़ रूपये व्यय करके 972 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 588 कार्य प्रगति पर हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

8.147 सांसद आदर्श ग्राम योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्तूबर, 2014 से आरम्भ की गई है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 3,000–5,000 तक है का चयन करना है तथा उस गांव का विकास करके वर्ष 2016 तक आदर्श ग्राम बनाना है व उसके उपरान्त वर्ष 2019 तक और 2 गांवों को आदर्श ग्राम बनाना है। इन ग्राम पंचायतो का विकास केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के कनवरजस से आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया जायेगा जिससे की आस पास के गांवों की ग्राम पंचायतों को सीखने की प्रेरणा मिल सके। माननीय लोक व राज्य सभा के सभी 15 सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतो का चयन किया जा चुका है। इस योजना को लागू करने के लिए इन ग्राम पंचायतो में ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है।

शहरी विकास समिति

8.148 राज्य शहरी विकास समिति, हरियाणा इस समय तीन योजनाएं नामतः राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती योजना क्रियान्वित कर रहा है।

राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)

8.149 राजीव आवास योजना का उद्वेश्य 'स्लम मुक्त भारत' जो विस्तृत और न्याय संगत कस्बें के प्रत्येक नागरिक को आधारभूत, सामाजिक तथा अच्छा आवास उपलब्ध करता है। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्वेश्य एक समेकित दृष्टिकोण में से औपचारिक प्रणाली में जीने को मजबूर लोगों की अस्वीकृति अधिकार के लिए अतिरिक्त औपचारिक रिक्तियों और उन सेवाओं को उपलब्ध सुविधाओं और कमियों को सुधारने में शीर्षक और कानूनी औपचारिकता प्रणाली की नगर योजना और शहरी विकास है। राजीव आवास योजना की पुर्नसंशोधित मागनिर्देशिका के अनुसार, योजना 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 75:15:10 तथा 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 50:25:25 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकार, यू.एल.बी./लाभार्थी द्वारा वित्तपोशित की जायेगी। लाभार्थियों द्वारा केवल आवास संभाग में ही 10 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का अंशदान करना होगा। राजीव आवास योजना की दिशा निर्देशिका के अनुसार राज्य की अनुसंशा पर भारत सरकार द्वारा राज्य के 10 शहरों (फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और सिरसा) को शामिल कर लिया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अभी तक पांच शहरों (रोहतक, अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर एवं हिसार) के 373.82 करोड़ रूपये की परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें 5,370 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयां बनाने के अतिरिक्त मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने इस योजना को क्रियान्वन करने के लिए राज्य को 90.84 करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी कर दी है तथा राज्य सरकार ने अनुपातिक राज्य अंश जोड़कर 50.14 करोड़ रूपये क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दिया है तथा 58.86 करोड़ रूपये की राशि जारी करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

8.150 भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) तथा बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को मिलाकर एक नई योजना एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) प्रारम्भ किया है। इस योजना का उददेश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हुऐ तथा मलिन बस्ती निवासियों के लिए घर बनवाना है। इस योजना के क्रियान्वन हेतु राज्य शहरी विकास समिति हरियाणा को नोडल एजेन्सी घोषित किया है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20

के अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। आवास एवं सुधार/निर्माण लाभार्थी के नाम मात्र सामन्य श्रेणी के लिए 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत का अंशदान लिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा कुछ रदद/छटाई के उपरान्त, राज्य के 15 शहरों के लिए 25 प्रोजैक्टस जिनकी कुल राशि 296.26 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई है, जिसमें से केन्द्रीय अंश 235.83 करोड़ रूपये का है। मलिन बस्ती में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त 15,675 आवासीय इकाईयों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इस योजना पर दिसम्बर–2013 तक जिलों द्वारा 144.38 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई हैं तथा अब तक 8,773 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 1,231 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन है और मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी प्रगति पर है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई)

8.151 यह योजना भारत सरकार ने दिनांक 1–12–1997 को राज्य के सभी जिलों में लागू की है जिसका 1–4–2009 में नवीनीकरण किया गया है। इस योजना पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तीय अनुदान दिया जाता है। योजना की मार्ग–निर्देशिका को पुर्नसंशोधित कर एकल लाभार्थी हेतु अनुदान राशि को 7,500 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये तथा शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों हेतू 1,25,000 रूपये से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये कर दिया गया है। प्रशिक्षण की लागत को 2,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रति प्रशिक्षु कर दिया है तथा बचत एवं साख समिति के लिए अनुदान राशि के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2,000 प्रति सदस्य (अधिकतम 25,000 रूपये प्रति बचत एवं साख समिति) कर दिया है। जिलों के पास गत वर्ष 2012–13 की शेष राशि 1,935.59 लाख रूपये उपलब्ध थी, जिसमें से दिसम्बर–2013 तक इस योजना के अन्तर्गत 1,163.93 लाख रूपये की राशि प्रयुक्त करते हुऐ 1,000 व्यक्तियों तथा 34 शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण एवं अनुदान दिया गया, 18,114 व्यक्तियों को कुशल प्रशिक्षण और 3,193 प्रशिक्षणियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 52 मित्तव्यय एवं साख समितियों को सहायता प्रदान की गई तथा 0.02 लाख कार्य दिवस सृजित किये गये। एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत 452 लाख रूपये की राशि को राज्य अंश हेतू प्रावधान है जिसमें से 145 लाख रूपये की राशि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए प्रस्तावित है। भारत सरकार ने हाल ही में नई गरीबी उन्मूलन योजना अर्थात राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) की घोषणा की जिसको बदल कर चल रही स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की जगह किया जायेगा।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.152 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएं लागू की जा रहीं है ।

8.153 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 31,000 रूपये तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 से सरकारी/एडिड गैर सरकारी अनाथालयों/संस्थाओं में रह रही बेसहारा लड़कियों को उनकी शादी के समय 31,000 रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान 7,500 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2014 तक 4,473.41 लाख रूपये की राशि 16,331 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.154 अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों के लिए आवास योजना' लागू की जा रही है। अब इस स्कीम का नाम माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा की परिपालना में उपरोक्त स्कीम का नाम परिवर्तित करके 'डा0 बी. आर. अम्बेडकर आवास योजना' रखा गया है । इस स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतु 50,000 रूपये तथा मुरम्मत हेतु 10,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान 4,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2014 तक 1,680.80 लाख रूपये की राशि 3,367 लाभार्थियों को लाभ देने हेतु खर्च की जा चुकी है।

8.155 अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा 77 कल्याण केन्द्र चलाये जा रहें हैं प्रत्येक केन्द्र में 20 अनुसूचित जाति व 5 पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों

को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे निकटतम कल्याण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100 रूपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150 रूपये प्रतिमास कच्चे माल हेतु प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 1,925 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 120 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

8.156 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्रों हेतु वर्ष 2005–06 में 'डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' स्कीम आरम्भ की गई थी। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत इन वर्गो के मेधावी छात्रों को 10वीं, 12वीं, तथा स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृति में 4,000 रूपये से 12,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान 2,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2014 तक 1,160.43 लाख रूपये की राशि 10,782 विद्यार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.157 जातिवाद को कम करने हेतु अन्तर्जातीय विवाह करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है यदि हरियाणा राज्य में रहने वाला अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के से विवाह करता है तो अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन स्कीम के अन्तर्गत उन्हें 50,000 रूपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। दिसम्बर, 2014 तक 186 विवाहित जोड़ों को 93 लाख रूपये की राशि वितरित की गई है तथा वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 200 लाख रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

8.158 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 रूपये प्रतिमास से 1,200 रूपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये तक है। दिसम्बर, 2014 तक 5,972.37 लाख रूपये की राशि 25,198 विद्यार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्लान बजट में 1,188.10 लाख रूपये तथा नान प्लान बजट में 11,387 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

8.159 इसी प्रकार भारत सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रूपये तक है। दिसम्बर, 2014 तक 195.63 लाख रूपये की राशि 1,370 विद्यार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्लान बजट में 259.90 लाख रूपये तथा नान प्लान बजट में 736 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.160 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों का परिचालन कर रहा है, बैंकों के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से भारत सरकार की हिदायतानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 27,500 रूपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसें भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, करियाना की दुकान, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रूपये है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. स्कीमों के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंकों के साथ सहयोग योजना

8.161 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उर्पाजन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1,50,000 रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। विकास निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत (अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रूपये) है तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से

8.162 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमें के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है। अनुदान राशि उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से

8.163 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निगम एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.164 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2014–15 में 2,500 पिछडे वर्ग के लोगों को 12.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2014 तक 37 पिछड़े वर्ग के लोगों को 27.07 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2014–15 में 1,050 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं परन्तु निगम कोई भी ऋण सहायता प्रदान नही कर सका क्योंकि राष्ट्रीय निगम द्वारा राशि जारी किया जाना वांछित हैं। वर्ष 2014–15 में 500 विकलांग लोगों को 4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2014 तक 233 विकलांग लोगों को 226.50 लाख रुपये वितरित किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

8.165 राज्य में प्रचलित बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। इस स्कीम के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, जिनकी पति/पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1–1–2014 से 1,000 रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक 13,87,522 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है जिनमें 6,66,011 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर जनवरी, 2015 (फरवरी, 2015 में वितरित) से 1,200 रूपये प्रतिमास करने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है ।

8.166 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,000 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैशन दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक 5,95,362 विधवा तथा निराश्रित महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पैंशन की दर जनवरी, 2015 (फरवरी, 2015 में वितरित) से 1,200 रूपये प्रतिमास करने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

8.167 राज्य में अन्धे, बहरे, निःशक्त तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों के पुर्नवास के लिए कई पग उठाए गए हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में रह रहे 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु के निःशक्त व्यक्तियों को, जिनकी सभी साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूर की न्यूनतम आय से अधिक न हो, को 1,000 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक 1,39,574 निःशक्त व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिनमें 40,476 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत पैंशन की दर जनवरी, 2015 (फरवरी, 2015 में वितरित) से 1,200 रूपये प्रतिमास करने हेतु

सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। निःशक्त छात्रों को 400 रूपये से 1,500 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृति दी जा रही है। शिक्षित निःशक्त व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 200 से 300 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों जो 10वीं व 8वीं पास डिप्लोमा होल्डर हो को बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपये प्रतिमास, 1,500 रूपये प्रतिमास स्नातक/10वीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है।

8.168 उन माता–पिताओं जिनकी केवल बेटियां ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे माता अथवा पिता जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,000 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से उनके 45वें जन्मदिवस से 60वें जन्मदिवस तक 15 वर्ष तक 1,000 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से भत्ता दिया जा रहा है। इसके उपरान्त वे बुढ़ापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक 26,538 लाभपात्रों को इस योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है जिनमें 8,758 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर जनवरी, 2015 (फरवरी, 2015 में वितरित) से 1,200 रूपये प्रतिमास करने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

मिनी सचिवालयों और सबंद्ध भवनों का निर्माण

8.169 राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं उप मण्डलों के मुख्यालयों पर लघु सचिवालयों, उप–मण्डल/तहसील/उप–तहसील कम्पलैक्स एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सभी जिलों व उप मण्डल मुख्यालयों पर आवासीय भवनों को बनाने का कार्य आरम्भ किया हुआ है। गैर आवासीय भवनों को बनाने के लिए वर्ष 2014–15 के लिए 15,980 लाख रूपये का 4,059–कैपिटल आउटले–आन पब्लिक वर्कस (प्लान) जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बजट में प्रावधान किया गया है जिसमें से 8,000 लाख रूपये की राशि इन कम्पलैक्सों के निर्माण करने के लिए रखी गई है। मुख्य शीर्ष 4,216–कैपिटल आउटले–आन हाउसिंग (प्लान) जिला प्रशासन के अन्तर्गत 1,000 लाख रूपये का प्रावधान वर्ष 2014–15 में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी भवनों के निर्माण हेतु रखा गया था।

प्राकृतिक आपदायें एवं राहत कार्य

8.170 सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप दिनाकं 01–01–2014 से बाढ़, आग, बिजली स्पार्किंग, ओलावृटि, धूल भरी आंधी के कारण खराब हुई फसलो के निम्नलिखित अनुसार राहत नार्मज में वृद्धि की गई हैः–

बाढ, आग, बिजली स्पार्किंग, ओलावृटि, धूल भरी आंधी के कारण खराब हुई फसलें

क्रम सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	फसल का नाम	वर्तमान में राहत नार्मज प्रति क्षतिग्रस्त एकड़ (रूपये)	प्रस्तावित राहत नार्मज प्रति क्षतिग्रस्त एकड .(रूपये)
1	26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसलें	3,500 रूपये 2,500 रूपये	5,000 रूपये 4,000 रूपये
2	51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसलें	4,500 रूपये 3,500 रूपये	7,500 रूपये 5,000 रूपये
3	76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसलें	5,500 रूपये 4,500 रूपये	10,000 रूपये 7,500 रूपये

सूखे से खराब हुई फसलें

क्रम सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	फसल का नाम	वर्तमान में राहत नार्मज प्रति क्षतिग्रस्त एकड़ (रूपये)	प्रस्तावित राहत नार्मज प्रति क्षतिग्रस्त एकड़ (रूपये)
1	51 प्रतिशत व अधिक	1. गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसले	2,700 रूपये 2,100 रूपये	4,000 रूपये 3,500 रूपये

8.171 उपरोक्त स्कीम को मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम कि तहत राहत राशि निम्न प्रकार से वितरित की गईः–

- उपायुक्त फतेहाबाद तथा भिवानी को जनवरी, 2014 में ओलावृष्टि से फसलो के खराब होने से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए क्रमशः 21,16,58,500 रूपये तथा 5,80,000 रूपये की राशि दिनांक 18–02–2014 को जारी की गई है।
- वर्ष 2013 में सफेद मक्खी के कारण खराब हुई कपास की फसल के लिये दिनांक 17–06–2014 को हिसार के किसानों के लिये 18,39,69,855 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई।
- वर्ष 2014–2015 के आगजनी की घटनाओं से तत्काल निपटने के लिए सभी उपायुक्तों को 1,00,000 रूपये प्रत्येक उपायुक्त (कुल 21,00,000 रूपये) अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।
- 2014–15 के लिये सभी उपायुक्तों को बाढ से तुरन्त निपटने के लिये कुल 94,50,000 रूपये की राशि जारी की गई है।
- वर्ष 2012 में गांव चण्डीकोटला जिला पंचकुला में भारी वर्षा के कारण जमीन खिसकने से मकानो को हुई क्षति के लिये 16,60,000 रूपये की राशि दिनांक 09–07–2014 को जारी की गई है।
- जम्मू–कश्मीर राज्य के लिये राहत सामग्रीः– (10 टन) दुध पाउडर, हरियाणा राज्य से 10,000 टुकडे तिरपालें (10 टन) बाढ राहत कार्यो के लिये जम्मू–कश्मीर राज्य के लिये भेजा गया था। इस के अलावा बाढ के पानी की निकासी के लिये 12 पम्प भी जम्मू–कश्मीर के लिये भेजे गये जम्मू–कश्मीर से अम्बाला में पहुंचे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिये बोर्डिग और लोडिंग की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की गई। हरियाणा सरकार ने जम्मू–कश्मीर राज्य को 10 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।
- हरियाणा राज्य में सुखेः– हरियाणा राज्य में इस वर्ष मानसून ऋतु में अल्प वर्षा हुई। पुरे राज्य में सुखा घोषित किया गया था। सुखे के मध्यनजर आवश्यक वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागो से सुचना एकत्र की गई। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक 4,829.25 करोड़ रूपये की राशि का ज्ञापन भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार की दो केन्दीय टीमों ने नुकसान का आकलन करने के लिये राज्य का दौरा किया था। इन टीमों ने जिला अम्बाला, कैथल, जीन्द, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और भिवानी का दौरा किया गया था। उनके दौरों उपरान्त केन्द्रीय टीमों के साथ एक बैठक आयोजन किया गया था। उनकी सिफारिशों/सुझाव के अनुरूप 3,620.93 करोड़ रूपये का संशोधित ज्ञापन बना कर भारत सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार ने ये अनुरोध किया हैं कि लाईन विभाग द्वारा विस्तृत सूचनाओं को प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जिला हिसार, भिवानी तथा जीन्द को सुखे से खराब हुई फसलो के नुकसान का 123.21 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि दिनांक 17–12–2014 को प्रदान की गई है।
- हर वर्ष कुरूक्षेत्र, रोहतक तथा यमुनानगर जिलो में राज्य स्तरीय बाढ प्रशिक्षण कैम्प लगाये जाते है जिनमे कर्मचारियों को बाढ़ राहत बारे प्रशिक्षण दिया जाता है।

मेवात विकास बोर्ड

8.172 वित्त वर्ष 2014–15 के लिये विभिन्न कार्यो के लिए मेवात विकास बोर्ड के लिए बजट आबंटन 24 करोड़ रूपये है, जिसमें से 15.86 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31–12–2014 तक खर्च की जा चुकी है।

शिवालिक विकास बोर्ड

8.173 वित्त वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न कार्यो के लिये शिवालिक विकास बोर्ड के लिये बजट आबंटन 14 करोड़ रूपये है, जिसमें से 9.20 करोड रूपये की राशि दिनांक 31–12–2014 तक खर्च की जा चुकी है।

स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन

- खून के रिश्ते में परिवार के भीतर अर्थात माता–पिता, बच्चे, पौता–पौती, भाई भाईयों, बहन बहनों तथा पति–पत्नी के बीच अचल सम्पति अन्तरण से सम्बन्धित लिखतों पर सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क से हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा छूट देते है।

- महिला स्वंय सहायता समूह द्वारा पांच लाख रूपये तक ऋण प्राप्त करने के लिए बैंको/वितीय संस्थानों के पक्ष में निष्पादित किये गये गिरवी रखना विलेखो के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क से हरियाणा सरकार के दिनांक 18 जून, 2014 को छूट प्रदान की है।
- शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के अधीन जनवरी, 2014 से फरवरी, 2015 तक की कुल आय 2,864 करोड़ रूपये प्राप्त हुई है ।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.174 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन 1–4–2014 से 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है। स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को प्रदान की जाएगी। अगर उनके एक से अधिक योग्य बच्चे हैं तो वे सभी पैंशन में बराबर के हकदार होंगे। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से हैः–

- राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता 13–7–2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी हेतू दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20–8–2009 से 21,000 रूपये से बढाकर 51,000 रुपये प्रत्येक शादी के लिए कर दी गई है चाहे एक वर्ष में एक से अधिक शादी क्यों न हो।

सैनिक कल्याण

8.175 यह बडे गौरव की बात है कि देश का प्रत्येक दसवां सैनिक हरियाणा राज्य से सम्बन्धित है। राज्य सरकार देश के रक्षा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए तथा वीर सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके द्वारा दिये गये सर्वोतम बलिदान के लिए वचनबद्व है। हरियाणा सरकार ने उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता में काफी वृद्वि न केवल उनकी सेवाओं और बलिदान का सम्मान करने के लिए बल्कि रक्षा बलों में शामिल करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए की है। इसके साथ–2 विकंलाग भूतपूर्व सैनिक को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफत यात्रा की सुविधा दी जाती है।

8.176 सरकार ने एक मुश्त नकद पारितोशिक तथा शौर्य अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली राशि के लिए एक नीति बनाई है। शौर्य अवार्ड विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पारितोषिक (युद्ध के दौरान) को बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 31 लाख रूपये से 2 करोड़ रूपये, महावीर चक्र के लिए 21 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये वीर चक्र के लिए 15 लाख रूपये से 50 लाख रूपये, सेना पदक (बहादुरी) के लिए 7.5 लाख रूपये से 21 लाख रूपये तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (बहादुरी) के लिए 5.50 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तथा शान्ति के समय बहादुरी अवार्ड में वृद्धि करके विजेताओं को अशोक चक्र के लिए 31 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 21 लाख रूपये से 51 लाख रूपये, शौर्य चक्र के लिए 15 लाख रूपये से 31 लाख रूपये तथा सेना/नौसेना/वायु सेना पदक (बहादुरी) के लिए 7.50 लाख रूपये से 10 लाख रूपये कर दिया गया है। मैन्शन–इन–डिस्पैच (बहादुरी) के लिए 5.50 लाख रूपये से 7.50 लाख रूपये कर दिया गया है।

8.177 प्रतिवर्ष दी जाने वाली शौर्य की वर्तमान दर को बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 2.50 लाख रूपये से 3 लाख रूपये, अशोक चक्र के लिए 2 लाख रूपये से 2.50 लाख रूपये, महावीर चक्र के लिए 1.90 लाख रूपये से 2.25 लाख रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 1.50 लाख रूपये से 1.75 लाख रूपये, वीर चक्र के लिए 1.10 लाख रूपये से 1.25 लाख रूपये, शौर्य चक्र के लिए 70,000 रूपये से 1 लाख रूपये, सेना/नौ सेना/वायु सेना पदक (बहादुरी) के लिए 40,000 रूपये से 50,000 रूपये तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (बहादुरी) के लिए 20,000 रूपये से 30,000 रूपये कर दिया गया है।

8.178 हरियाणा सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध के वयोवृद्ध योद्धाओं और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय राशि को 1,500 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 3,000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। हरियाणा सरकार 60 वर्ष तथा इससे ऊपर आयु के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय राशि को 1,000 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी घोषित युद्ध–योद्धाओं की विधवाओं की पैंशन जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के

रूप में 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। इसी प्रकार पैरा टेट्रा/होम पैलेजिक, विकलांग तथा अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिकों को दी जानी वाली वित्तीय राशि को 1,000 रूपये प्रतिमास से 1,500 रूपये प्रतिमास तक बढ़ा दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 600 रूपये प्रतिमास से 2,000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है।

8.179 युद्व सेवा पदक/विशिष्ट सेवा पुरस्कार सम्मानित करने के लिए एकमुश्त नकद पुरस्कार को बढ़ाकर सर्वोत्तम युद्व सेवा पदक के लिए 1.27 लाख रूपये से 7 लाख रूपये तथा उत्तम युद्व सेवा पदक के लिए 75,000 रूपये से 4 लाख रूपये, युद्व सेवा पदक के लिए 36,000 रूपये से 2 लाख रूपये, परम विशिष्ट सेवा के लिए 1.15 लाख रूपये से 6.50 लाख रूपये तथा अति–विशिष्ट सेवा पदक के लिए 57,000 रूपये से 3.25 लाख रूपये, विशिष्ट सेवा पदक के लिए 23,000 से 1.25 लाख रूपये बढ़ा दी गई है। युद्व सेवा पदक श्रृंखला विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक राशि जो कि दिनांक 1–7–2011 से रोक दी गई थी, को दोबारा बहाल कर दिया गया है।

8.180 हरियाणा सरकार द्वारा रक्षा सैना सैनिक को सेना मैड़ल, असाधारण सेवा/निष्ठा से काम पर पारितोषिक देने के लिए प्ररेणा के रूप में एक नई नीति को शुरू किया गया। नकद पुरस्कार 34,000 रूपये तथा 35,00 प्रतिवर्ष सेना मैड़ल, विशिष्ट सेवा/काम के प्रति निष्ठा पर जिसने 31–3–2008 के बाद और इससे 19–2–2014 पहले अवार्ड प्राप्त किया। 19–2–2014 के बाद जिसमें एक मुश्त नकद पुरस्कार 1,75,000 रूपये सेना मैड़ल, असाधारण सेवा/निष्ठा से काम करने पर पारितोषिक प्राप्त किया।

8.181 आजादी के पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं के लिए मौद्रिक भत्ता/पैंशन को बढ़ाकर विक्टोरिया क्रॉस के लिए 10,000 रूपये प्रतिमास से 15,000 रूपये प्रतिमास, मिल्ट्री क्रॉस के लिए 7,500 रूपये प्रतिमास से 10,000 रूपये प्रतिमास, मिल्ट्री पदक के लिए 3,500 से 5,000 रूपये प्रतिमास, इंडियन आर्डर ऑफ मैरिट के लिए 2,000 रूपये प्रतिमास से 3,000 रूपये प्रतिमास, भारतीय विशिष्ट सेवा पदक के लिए 1,000 रूपये प्रतिमास से 2,000 रूपये प्रतिमास तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (केवल आजादी–पूर्व विजेता बहादुरी अवार्ड) के लिए 1,000 रूपये प्रतिमास से 2,000 रूपये प्रतिमास तक बढ़ा दी गई है।

8.182 राज्य सरकार अनुग्रह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के एक आश्रित को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आंतकवादी, उग्रवादियों के विरूद्व या सीमा झड़पों के दौरान भारत सरकार द्वारा घोषित एक विशेष कार्यस्थल में शहीद या युद्ध में शिकार मौत के मामले में अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रूपये से 20 लाख रूपये, आई.ई.डी. विस्फोट के कारण हुई मौत के लिए 2 लाख रूपये से 20 लाख रूपये तथा युद्व, आंतकवाद, आई.ई.डी. विस्फोट के कारण हुए विकलांग को विकलांगता की प्रतिशतता के आधार पर 1 लाख रूपये से 15 लाख रूपये कर दिया गया है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

आवास

8.183 आवास बोर्ड़, हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 से लेकर 16–12–2014 तक 75,282 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें से 52,684 मकानों का निर्माण कार्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये किया गया है। अब 24,733 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर हैं जिसमें से 1,676 मकान ई.डब्ल्यू.एस. तथा 22,009 मकान बी.पी.एल. वर्ग के लोगों के लिए हैं। आवास बोर्ड़ हरियाणा द्वारा दिनांक 01–04–2014 से लेकर 16–12–2014 तक 2,467 मकानों का कार्य सम्पन्न किया गया है । जिसमें से 941 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये यमुनानगर, सोनीपत, गुड़गावं, 1,092 टाईप-बी, (आवृत क्षेत्र 540 वर्ग फुट) सैक्टर–19 सिरसा एवं 434 टाईप-I, मकान, (आवृत क्षेत्र 540 वर्ग फुट) बरही, जिला सोनीपत में हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 273.91 एकड़ भूमि हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, करनाल, चीका, चरखी दादरी, जगाधरी, सफीदों, सिरसा एवं गोहाना में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के लिए आवास बोर्ड़, हरियाणा को निर्माण के लिए आबंटन किया है। जिसमें से 171.96 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। 11,259 चार मंजिला ई.डब्ल्यू.एस. मकानों का पंजीकरण 07–08–2014 को आरम्भ किया गया था, पंजीकरण की प्रतिक्रिया बहुत कम रही, जिसमें से केवल 1,432 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हिसार सैक्टर–14 फेस–2 में 1,480 मकानों के स्थान पर 1,079 आवेदन तथा करनाल सैक्टर–9 व 32 में 924 मकानों के स्थान पर 223 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थानों पर भी आवेदन कम आये हैं। हिसार व करनाल में ई.डब्ल्यू.एस. मकानों का निर्माण कार्य अप्रैल, 2015 तक शुरू कर दिया जायेगा।

8.184 हरियाणा शहरी निकाय विभाग द्वारा 36.43 एकड़ भूमि करनाल, चीका, चरखी दादरी तथा जुलाना में आवास बोर्ड हरियाणा को निर्माण के लिए ई.डब्ल्यू.एस. ओर दूसरे वर्ग के मकानों के लिए देने का प्रस्ताव

है जिसमें से 23.60 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है। 315 टाईप–ए (कवर्ड एरिया 645 वर्ग फुट) तथा 225 टाईप–बी (कवर्ड एरिया 452 वर्ग फुट), 6.69 एकड़ भूमि पर अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए चरखी दादरी में मकानों की प्लानिंग कर ली गई है इन मकानों का और दूसरे ई.डब्ल्यू.एस. आवास का निर्माण कार्य मार्च, 2015 तक आरम्भ कर दिया जायेगा।

8.185 हरियाणा सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिये रिहायत दर पर मकान बनाने के लिए एक नीति बनाई है जिसके तहत 20 प्रतिशत प्लाट ई.डब्ल्यू.एस. प्लाट रकबा 60 वर्ग गज है, के लिए प्राईवेट लाईसैंसड कालोनियां में आवास बोर्ड को 500 रूपये की गज के हिसाब से देंगे। अब तक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने तकरीबन 10,374 प्लाटों का कब्जा आवास बोर्ड को दिया जा चुका हैं। 5,610 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 22,009 ई.डब्ल्यू.एस. मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये निर्माणाधीन हैं।

8.186 आवास बोर्ड़ हरियाणा द्वारा मलटी स्टोरी टाईप–ए (आवृत क्षेत्र 650 वर्ग फुट) तथा टाईप–बी (आवृत क्षेत्र 550 वर्ग फुट) मकानों का कार्य टेक अप कर लिया है जो कि सेवावृत या सेवानिवृत सैनिकों एंव अर्ध सैनिक बलों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व हरियाणा शहरी निकाय विभाग द्वारा आबंटित भूमि पर बनाये जायेगें। आवास बोर्ड द्वारा 6,848 टाईप–ए तथा 6,848 टाईप–बी मकानों का पंजीकरण 17–02–2014 से आरम्भ किया था जिसके बदले 27,325 टाईप–ए तथा 9,759 टाईप–बी के आवेदन प्राप्त हुए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 57.96 एकड़ भूमि फरीदाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ, रोहतक, पंचकूला, पिंजौर, पलवल व रिवाड़ी में आबंटित की है जिसमें से 50.91 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पिंजौर में भूमि अभी आबंटित की जानी है। 892 टाईप–ए तथा 619 टाईप–बी की निविदायें प्रोसैस में हैं तथा 1,150 टाईप–ए तथा 804 टाईप–बी मकानों की निविदायें शीघ्र ही आमन्त्रित की जायेंगी। 892 टाईप–ए तथा 619 टाईप–बी मकानों का निर्माण कार्य जनवरी, 2015 में आरम्भ किया जायेगा।

8.187 हरियाणा शहरी निकाय विभाग ने 84.26 एकड़ भूमि विभिन्न स्थानों पर सैनिकों के मकान बनाने के लिए आबंटित की है जिसमें से 19.05 एकड़ भूमि जैसे कि 3.74 एकड़ भूमि सैक्टर–106, पावला खुसरूपुर, 6.83 एकड़ भूमि खेरकी दाउला और 8.48 एकड़ भूमि खेरकी धनकोट, गुडंगाव का कब्जा ले लिया गया है। इन स्थानों पर निर्माण कार्य अप्रैल, 2015 तक शुरू कर दिया जायेगा।

8.188 रोहतक में 15 एकड़ भूमि जो कि नगर निगम, रोहतक द्वारा उपलब्ध करवाई गई है इस पर हरियाणा सरकार एवं बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए मकानो का निर्माण किया जायेगा, जिनमें 48 टाईप–ए, (कवर्ड एरिया 1750 वर्ग फुट), 126 टाईप–बी (कवर्ड एरिया 1,450 वर्ग फुट) और 512 टाईप–सी (कवर्ड एरिया 1,200 वर्ग फुट) तथा 176 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान प्राचीन पुरातत्व विभाग की भूमि खोखरा कोट, रोहतक पर अवैध काबिजों के लिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होंगे। 48 टाईप–ए, 126 टाईप–बी और 512 टाईप–सी की निविदायें प्रोसैस में हैं तथा निर्माण कार्य जनवरी, 2015 तक एन्वायरमैन्टल कलीयरैंस के बाद शुरू किया जायेगा। 176 ई0डब्ल्यू0एस0 मकानों का निर्माण कार्य मार्च, 2015 तक आरम्भ कर दिया जायेगा।

सहकारिता

8.189 हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के विकास में सहकारी आन्दोलन ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सहकारिताओं द्वारा लोगों को वित्तीय साधन जुटाने के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश की 29 हज़ार से अधिक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों अपने 54 लाख से अधिक सदस्यों के लिये कार्य कर रही है।

8.190 सरकार द्वारा पिराई सत्र 2014–15 में अगेती किस्म के गन्ने का भाव 310 रूपये प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म 305 रूपये प्रति क्विंटल, पिछेती किस्म 300 रूपये प्रति क्विंटल किया गया हैं, जोकि देश में सर्वाधिक है। गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए 41.22 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 5.06 करोड़ रूपये की राशि मिलों द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी और 36.16 करोड़ रूपये की बकाया राशि ब्याज रहित ऋण के रूप में किसानों को बीज, खाद, दवाईयां आदि के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।

8.191 वर्ष 2014–15 के पहले 9 महीनों में 72 प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समिति शामिल/गठित की गई हैं और जिनकी कुल सदस्यता 792 है। वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के दौरान प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों ने क्रमशः 366.34 करोड़, 131.13 करोड़ तथा 108.67 करोड़ रूपये के कार्य किये।

8.192 हरियाणा में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा 1–04–2014 से 31–12–2014 तक 4.04 लाख लीटर प्रति दिन दूध की खरीद की गई।

रोजगार

शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम

8.193 विभाग ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम लागू की है । इस स्कीम के अन्तर्गत बैंको के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाता है। दिनांक 01–04–2014 से 31–12–2014 तक 39,994 प्रार्थियों को 19.71 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में वितरित की गई है। स्वीकृत राशि 56.28 करोड़ रूपये में से शेष राशि 36.57 करोड़ रूपये वर्ष 2015 के अन्तिम त्रैमास जो 31–3–2015 को समाप्त होगा, से पूर्व खर्च कर ली जाएगी।

निजी समायोजन परामर्श एंव भर्ती सेवा केन्द्र (प्लान)

8.194 व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा व्यावसायिक सूचना, ग्रुप गोष्ठियों, व्यावसायिक प्रवचनों तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से प्रदान की जाती है। परिणाम स्वरूप अवधि 01–04–2014 से 31–12–2014 तक 69,300 प्रार्थी लाभान्वित हुए।

8.195 जिला रोजगार अधिकारी प्रार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों में चल रही स्व–रोजगार की स्कीमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रसंग में दिनांक 01–04–2014 से 31–12–2014 तक 292 जागृति केम्पों का आयोजन किया गया जिसमें 29,800 प्रार्थियों को विभिन्न एजेन्सियों/विभागों द्वारा चलाई जा रही स्व–रोजगार स्कीमों की जानकारी प्रदान की गई। इस कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 15 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान है, जिसमें से दिनांक 1–4–2014 से 31–12–2014 तक 1,77,000 रूपये की राशि खर्च हुई है।

विदेश रोजगार ब्यूरो (प्लान)

8.196 विभाग की सोसायटी होपास (हरियाणा विदेश रोजगार सोसायटी) द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को विदेशी रोजगार सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। यह सस्था विदेशी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत है। वर्ष 2007 से 2014 तक 3,016 आवेदकों को कानूनी और सुरक्षित प्रवास के लिए पंजीकृत किया गया है। 104 प्रार्थियों को रोजगार तथा 103 प्रार्थियों को अध्ययन वीजा के लिए विदेश में भेजा गया है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2014–15 के बजट में 20 लाख रूपये स्वीकृत है तथा दिनांक 1–4–2014 से 31–12–2014 तक 17.42 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

रोजगार कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण करना (प्लान)

8.197 विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधायें विभाग की वैब साईट www.hrex.org पर आनॅ लाईन उपलब्ध करवाई जाती है। रोजगार के इच्छुक 7,98,913 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.org के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है। हमारी नई सेवा नियोक्ता आनलाईन पंजीकरण मे नियोजक स्वय वेबसाइट www.hrex.org में पंजीकरण करवा सकते हैं तथा वे सीधे अपनी आवश्यकता अनुसार योग्य प्रार्थियों के ब्यौरे की जांच कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए वर्ष 2014 से 2015 हेतू 30 लाख रूपये की राशि स्वीकृत है जिसमें से दिनांक 1–4–2014 से 31–12–2014 तक 7.30 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

श्रम कल्याण

8.198 श्रम विभाग, हरियाणा का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। श्रम विभाग एक श्रमिक की आर्थिक आवश्यकताओ के लिए पूर्णतया जागरुक है। इन बारे न्यूनतम वेतन की दरें समय–2 पर नियत तथा सशोंधित की जाती है। राज्य में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की दरें जो 01–07–2007 को 3,510 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, उसे हर छःमाही के आधार पर समय–2 पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्तमान में एक अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 01–01–2015 से 5,812.75 रुपये प्रतिमाह तथा 223.56 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

8.199 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी हेतु सूचना प्रोद्योगिकी एवं इसके सम्बन्धित उद्योगों को पजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सूरक्षा एवं यातायात के साधन की पूर्ण जिम्मेवारी लेगा। वर्ष 2014 (01–01–2014 से 31–12–2014 तक) के दौरान इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत 150 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 26,439 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

8.200 राज्य में श्रमिकों को शीध्र न्याय प्रदान करने हेतु 9 औघौगिक अधिकरण–एवं–श्रम न्यायालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त राज्य में लम्बे समय से लम्बित पड़े केसों को निपटान करने हेतु वर्ष के दौरान दो श्रम लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इन लोक अदालतो में 721 मामलो का निपटारा किया गया।

8.201 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औघोगिक श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी स्कीम जैसें कन्यादान, छात्रवृति, चश्में, दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता, विधवा के लिए वित्तीय सहायता, विधवा/आश्रित को वित्तीय सहायता, साईकिल, प्रसूति, दाह संस्कार, वर्दी, दन्त सुरक्षा, कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, ट्राई–साईकिल, सिलाई मशीन, एल0टी0सी0, खेल–कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व श्रमिकों के अपंग, मंदबुद्धि व अन्धेपन होने पर उनके बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इत्यादि चलाई गई हैं। इन योजनाओं के तहत (31–12–2014 तक) लगभग 19,082 औद्योगिक श्रमिकों पर लगभग 1,383.45 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान" के अन्तर्गत श्रमिकों की लड़कियों को बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने के लिये, श्रमिक की जितनी भी लड़कियॉ हों सबको लाभ देने के लिये (अर्थात लड़कियों को योजनाओं का लाभ देने के लिये दो या तीन लड़कियों की सीमा समाप्त करने के लिये) मामला विचाराधीन है तथा प्रस्तुत किया हुआ है। इससे वित्तीय वर्ष 2015–16 में लाभार्थियों में श्रमिकों की लड़कियों की संख्या बढ़ेगी।

8.202 नई घोषित स्कीम 'मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना' के अंर्तगत निर्णय लिया कि श्रमिक की कार्य स्थल पर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा अपंगता होने पर 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड तथा बी.ओ.सी.डब्लयू. बोर्ड द्वारा इस योजना को दिनांक 01–01–2014 से लागू कर दिया गया है और इस योजना के अन्तर्गत (31–12–2014 तक) हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा एक लाभार्थी को 5 लाख रूपये व बी.ओ.सी.डब्लयू. बोर्ड द्वारा दो लाभार्थियों को 10 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

8.203 इसी प्रकार हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं जैसे कन्यादान, मातृत्व, शिक्षा छात्रवृति, पैंशन, घर के निर्माण की खरीद के लिए अग्रिम, विकलांगता पैंशन, उपकरणों की खरीद, अतिंम संस्कार सहायता का भुगतान, मृत्यु योजना, चिकित्सा सहायता, परिवार पैंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना, पुराने रोगों, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा, क्रेच और मोबाईल शौचालय, मोबाईल डिसपैंसरी वैन, निर्माण श्रमिकों के लिए घर, शादी के लिए वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना की स्थापना के लिए आश्रय, बरसाती/छाता, अपंजीकृत कार्यकर्ता को वित्तीय सहायता, साईकिल, रैन बसेरा का निर्माण, घर से बाहर जाने के लिए अपने कस्बे में निशुल्क यात्रा सुविधा, सिलाई मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, बोर्ड के लाभार्थियों के शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंद बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि पर (लगभग) 4,216.77 लाख रूपये की राशि 31–12–2014 तक 19,399, से भी अधिक लाभार्थियों को लाभ देने के लिए खर्च किये गये हैं।

खेल एवं युवा कल्याण

8.204 हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का गौरव बढाने में अहम भूमिका अदा की है। हरियाणा ने देश के खेल क्षेत्र में लगातार अहम भूमिका अदा की हैं। राज्य के खिलाड़ियों ने 23 जुलाई से 4 अगस्त, 2014 को ग्लास्गो (स्कॉटलैंड) में आयोजित 20वें विश्व खेलों में 5 स्वर्ण, 14 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्र का गौरव बढाया तथा राज्य के खिलाड़ियों ने 19 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 2014 तक इन्चोइन (दक्षिण कोरिया) में आयोजित 17वीं एशियाई खेलों में 7 स्वर्ण, 3 रजत एवं 12 कांस्य पदक जीते। राज्य के पैरा खिलाडियों ने 18 से 24 अक्तूबर, 2014 तक इन्चोइन (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित पौरा एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण, 5 रजत तथा 5 कांस्य पदक भी जीते हैं।

8.205 राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात 12 जनवरी, 2015 को नई खेल नीति का प्रारम्भ किया गया हैं। इस नीति के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर निम्नप्रकार से प्रकाश डाला जा रहा है।

ग्राम पंचायत स्तर

8.206 पंचायत एवं खण्ड स्तर पर व्यायामशाला नामक एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लघु स्टेडियम का विकास किया जाएगा। ग्राम लघु स्टेडियम के लिए दो एकड़ या अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए मनरेगा के साथ तालमेल के माध्यम से एक युग्मित रास्ता अपनाया जाएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम पांच आउटडोर खेलों की सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

- **खण्ड स्तर**
  अगले पांच वर्षो की अवधि में राज्य में सभी जिलों के प्रत्येक खण्ड में एक खण्ड स्तर पर खेल परिसर (खण्ड स्तर व्यायामशाला) का विकास किया जाएगा । इन खण्ड स्तर स्टेडियमों में इनडोर एवं आउटडोर दोनों ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन खण्ड स्तर स्टेडियमों में लगभग 15 प्रकार के आउटडोर तथा इनडोर खेलों के लिए खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- **जिला स्तर स्टेडियम**
  इस नीति के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्टेडियमों को अपग्रेड करने का कार्य किया जाएगा। न्यूनतम 15 प्रकार के खेलों (10 आउटडोर व 5 इनडोर खेलों) के लिए सुविधाएं उत्पन्न की जाएंगी, यदि वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है। सभी जिला स्तर स्टेडियमों में व्यायाम सुविधा प्रदान की जाएगी। जिला स्तर स्टेडियम उनसे सम्बंधित जिला खेल परिषद द्वारा स्वामित्व, प्रबन्धन एवं परिचालित किए जाएंगे।
- **पाठशालाओं में खेल संरचना**
  चूंकि स्कूल सिस्टम (प्रणाली) में स्वयं खेल संरचना अत्यधिक अपर्याप्त है तथा राज्य में सभी स्कूलों में खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। कम से कम एक खेल सुविधा प्राथमिक स्कूल में, दो खेल सुविधाएं माध्यमिक स्कूल में तथा तीन खेल सुविधाएं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में प्रदान की जाएंगी।
- **कालेजों में खेल संरचना**
  राज्य में सभी कालेजों में खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। सभी कालेजों में कम से कम पांच खेलों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहां औचित्य बनता है खेलों के लिए इनडोर स्टेडियम के रूप में प्रयोग के लिए कालेजों में बहु–उद्धेशीय हालों का रि–मॉडल किया जाएगा।
- **विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाएं**
  विश्वविद्यालयों में कम से कम पांच खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में उनकी खेल संरचना को बढ़ाने के लिए अपने स्त्रोंतो से या भारत सरकार से फण्ड उपलब्ध करवाकर विश्वविद्यालयों की सहायता करेगी। विश्वविद्यालयों में शारीरिक अभ्यासों एवं खेल विज्ञान की फैकल्टी खोली जाएगी।
- **राज्य खेल ग्रेडेशन प्राधिकरण**
  इस खेल नीति के अन्तर्गत खिलाडियों के लिए ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक राज्य खेल ग्रेडेशन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें विख्यात खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाएगा। खेल अपग्रेडेशन से सम्बंधित सभी शिकायतों का निवारण इस समिति द्वारा किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेताओं को रोजगार देने का अधिकार

8.207 सरकार मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेताओं को रोजगार का अधिकार प्रदान करना चाहती है। मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेताओं या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के उत्कृष्ट खिलाड़ी या अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को राज्य विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी देने की वर्तमान नीति को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा तथा जो भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश न होने वाले भलीभांति परिभाषि कसौटी पर आधारित होगा। इस कसौटी (मानदण्ड) का कठोरता से अनुसरण किया जाएगा तथा इसमें कोई छूट देने की धारा नहीं होगी।

8.208 सभी स्तरों पर भिन्न–2 उपलब्धियों के लिए पैरालम्पिक खिलाड़ियों सहित राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कारों की वृद्वि की गई थी। मुख्य ओलम्पिक/पैरालम्पिक में स्वर्ण, रजत, कांस्य एवं सहभागिता के लिए नकद राशि में वृद्वि की गई है अर्थात क्रमश 5 करोड़ रूपये से 6 करोड़ रूपये, 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़, 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.50 करोड़ एवं 11 लाख रूपये से बढ़ाकर 15 लाख रूपये किए गए हैं। इसी प्रकार एशियन खेलों में स्वर्ण, रजत, कांस्य एवं सहभागिता के लिए नकद इनामों की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 2 करोड़ रूपये से 3 करोड़, 1 करोड़ से 1.50 करोड़, 50 लाख से 75 लाख तथा 5 लाख से 7.50 लाख रूपये कर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त कॉमन वैल्थ खेलों में स्वर्ण, रजत, कांस्य एवं सहभागिता के लिए नकद राशि में भी वृद्वि की गई है जोकि क्रमश 1 करोड़ रूपये से 1.50 करोड़, 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख एवं 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रूपये किए गए हैं।

संरचना

8.209 राज्य सरकार ने अपने तथा भारत सरकार के स्त्रोतों से अन्तर्राष्ट्रीय स्टैण्र्ड की कुछ प्रमुख खेल संरचना सुविधा प्रारम्भ की है। वर्ष 2014–15 में, विभाग द्वारा विकसित कुछ प्रमुख विकसित की जाने वाली खेल संरचनाएं हैं – महम (रोहतक) में 100 बिस्तरों वाला खेल हॉस्टल, 666.46 लाख रूपये, गांव किलोई (रोहतक) बास्केटबाल अकैडमी का निर्माण– 383.12 लाख रूपये तथा राजकीय उच्च विद्यालय ग्राम गुड़गांव (गुड़गांव) में हाकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण 264.33 लाख रूपये।

राष्ट्रीय अकादमियां

8.210 एस.ए.आई.राष्ट्रीय बाक्सिंग अकादमी, थ्रोज के लिए राष्ट्रीय एथलैटिक्स अकादमी को राजीव गांधी राज्य खेल, हुडा, कैम्पलैक्स सेक्टर–6 रोहतक में तथा राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी सोनीपत में स्थापना के लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है। उपरोक्त अकादमियों का उदघाटन मार्च/अप्रैल, 2015 में सम्भावित है।

खेल उपकरण

8.211 वर्ष 2014–15 के दौरान प्रशिक्षण केन्द्रों, अकादमियों, नर्सरियों तथा अनुसूचित जाति कम्पोनेंट स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा के माध्यम से लगभग 478 लाख रूपये के खेल उपकरण क्रय किए गए है।

खेल एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (SPAT)

8.212 इस अवधि के दौरान ग्रामीण बच्चों की स्पर्धात्मक खेलों में वार्षिक वृद्वि को सुदृढ करने के लिए प्रयास किए गए। स्पैट 2014 में भावी खिलाड़ी बच्चों की संख्या 12.70 लाख हुई। 5,000 खिलाड़ी छात्रवृति एवं आगे प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए तथा इन चयन किए गए बच्चों को लगभग 10 करोड़ रूपये की संचित वार्षिक छात्रवृति मिलती है। देश में खिलाड़ी संख्या, प्रशिक्षण एवं प्रतिभा खोज की यह एक अनूठी पहल है।

स्पीड टैस्ट

8.213 स्पैट में उतीर्ण होने वालों को तीसरे राउंड के पश्चात चौथे राउंड अर्थात खेल राउंड करना पडता है। इस राउंड में सफल खिलाडी को एक खेल के लिए अपना विकल्प देना पडता है जिसके लिए उसकी परीक्षा काउंसलिंग एवं खेल विशिष्ट शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से ली जाती है। पूर्ववर्ती खेल एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (स्पैट) योजना को नया रूप दिया जाएगा क्योंकि यह केवल शारीरिक अभ्यासों के मूल्यांकन के प्रति निर्दिष्ट थी न कि एक विशिष्ट खेल में उनके चातुर्य एवं कुशलता के सम्बंध में खेल की भावना के बारे में, शारीरिक योग्यता परीक्षा तीन राउंड में आयोजित की जा रही थी तथा सफल खिलाडी द्वारा एक विशेष खेल को चुनने की कोई आवश्यकता नही थी। अब स्पैट योग्यताप्राप्त खिलाडी को एक विशेष खेल को चुनने के लिए एक अतिरिक्त खेल रांउड पूरा करना पडेगा। इस योजना को स्पीड टैस्ट (खेल एवं शारीरिक अभ्यास मूल्यांकन एवं विकास परीक्षा) के नाम से पुकारा जाएगा।

8.214 राजीव गांधी खेल अभियान योजना दिनांक 1–4–2014 से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में एक मुश्त प्रारंभिक पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 1.60 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक खण्ड स्तर स्टेडियम खण्ड मुख्यालय से 2–3 किलोमीटर की परिधि अथवा जोकि राज्य स्तर क्रियान्वयन समिति द्वारा प्रस्तावित हो, निर्मित किया जाएगा। स्टेडियम का आउटफील्ड मनरेगा योजना के अन्तर्गत 80 लाख रूपये की अनुमानित लागत के साथ निर्मित किया जाएगा। 38 इनडोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए कुल 30.40 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ये इनडोर स्टेडियम फैब्रीकेटिड स्ट्रक्चर मौटिरियल के साथ पूर्ण किए जाएंगे। दो खण्ड स्तर स्टेडियम सिरसा एवं फतेहाबाद में इस वर्ष 2014–15 के दौरान पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के अन्तर्गत भी निर्माण किए जाएंगे। इन स्टेडियमों में प्रति स्टेडियम 15 लाख रूपये के खेल उपकरण भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगें। इसके अतिरिक्त खण्ड स्तर स्टेडियमों के कार्यालायों में फर्नीचर के लिए 1.50 लाख रूपये प्रति स्टेडियम भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर ग्रामीण स्पर्धाएं (16 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं) तथा जिला एवं राज्य महिला खेल प्रतिस्पर्धाएं (25 वर्ष की आयु से कम) भी विभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं के लिए 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

8.215 वर्ष 2014–15 के दौरान, विभाग द्वारा 4 आवासीय तथा 11 डे–बोर्डिग अकादमियां चलाई जा रही हैं जिसमें 321 खिलाड़ी लाभांवित हैं। इस उददेश्य के लिए 200 लाख रूपये का बजट का प्रावधान किया गया है। ये अकादमियां है भिवानी में बाक्सिंग आवासीय अकादमी, कुरूक्षेत्र में हाकी, चण्डीगढ़ में लान टैनिस तथा नरवाना, जीन्द में हैडबाल। इन आवासीय अकादमियों के अतिरिक्त, विभाग द्वारा जीन्द में कबडडी, सोनीपत

में कुश्ती, पंचकूला में बैडमिंटन, कुरूक्षेत्र में वालीबाल, सिरसा में हाकी, रोहतक में एथलौटिक्स एवं कुश्ती, किलोई, रोहतक में बास्केटबॉल, राई में हाकी तथा रोहतक में लान टैनिस डे–बोर्डिंग अकादमियां चलाई जा रही है। 64 खेल शाखाएं विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं तथा 1,169 खिलाडी लाभांवित हुए हैं।

8.216 वर्ष 2014–15 के दौरान, विभाग द्वारा 16 आवासीय तथा 21 डे–बोर्डिंग नर्सरियां चलाई जा रही हैं तथा विभिन्न खेलों में 704 खिलाड़ी लाभांवित हुए हैं । ये हैं– हिसार, भिवानी एवं पंचकूला में एथलौटिक्स, झज्जर, हिसार, रोहतक एवं सोनीपत में कुश्ती, सिरसा, सोनीपत, गुडगांव, रेवाडी एवं रोहतक में हाकी, सिरसा, पानीपत एवं हिसार में जूडो, सोनीपत एवं फरीदाबाद में क्रिकेट, रोहतक,झज्जर एवं भिवानी में कबडडी, झज्जर में खो–खो, पानीपत में तैराकी। उत्कृष्ट एवं उच्च कार्यकुशलता वाले खिलाडियों को भिन्न–2 खेल विधाओं में प्लेटफार्म देने के उददेश्य से ये खेल नर्सरियां स्थापित की गई है।

8.217 विभाग को प्रशिक्षित मानव संसाधनों से युक्त करने के लिए वर्ष 2013–14 में खेल केन्द्रों, नर्सरियों, अकादमियां तथा स्पौट प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए भिन्न–2 खेल विधाओं में 686 प्रशिक्षकों की भर्ती शुरू की थी। वर्ष 2014–15 में भिन्न–2 खेलों के 240 कनिष्ठ प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

8.218 वर्ष 2014–15 में विभाग ने भिन्न–2 युवा कार्यक्रमों एवं गतिविधियां आयेजित की। ये हैं– साहसिक खेलों जैसे– पोंगडैम (हिमाचल प्रदेश) में प्रारंभिक जल खेल कोष, कोडियाला में रिवर राफटिंग शिविर, ऋषिकेश (उतराखण्ड) में चटटान पर चढना व उतरना एवं पर्वतारोहण, मनाली, क्षेत्रीय पर्वतारोहण केन्द्र, मैकलोडगंज तथा नारकण्डा (हिमाचल प्रदेश) में ट्रैकिंग, सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यशाला, युवा क्लबों को प्रोत्साहन करना जैसे– जिला एवं राज्य स्तर पर चयनित युवा एवं युवा क्लबों को सर्वोतम युवा एवं युवा क्लब पुरस्कार देना। विभाग ने सभी जिलों में 12–1–2015 से 19–1–2015 तक जिला युवा उत्सव एवं युवा सप्ताह का आयोजन किया।

8.219 वर्ष 2013–14 के दौरान खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 163.62 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था तथा वितीय वर्ष 2014–15 में 168.24 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था।

पर्यटन

8.220 पर्यटन विभाग की मुख्य गतिविधि पर्यटन अवस्थापना का विकास करना तथा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में पर्यटन को उन्नत करना है। पूर्णतः विकसित होने के पश्चात् पर्यटक स्थलों को हरियाणा पर्यटन निगम को उनके रखरखाव एवं चलाने के लिए हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इस समय हरियाणा पर्यटन द्वारा 42 पर्यटक स्थल केन्द्र जिसमे 811 कमरे, 15 डौरमेटरी, 42 मल्टी क्यूसिन रैस्टोरैंट, 36 बार, 54 सम्मेलन केन्द्र/समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल, 5 फास्ट फूड सैंटर, 1 गोल्फ कोर्स एंव 14 पैट्रोल पम्पों का नेटवर्क है। इसके कुरूक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद और रोहतक में चार होटल प्रबन्धन संस्थान हैं और यमुनानगर में एक निर्माणाधीन है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को लाखों घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को दिखाने के लिए हरियाणा पर्यटन हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेले एवं पिंजौर विरासत मेले का आयोजन करता है।

8.221 भारत तथा दुनिया के विभिन्न भागों से आने वाले आगुन्तकों की सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन ने पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के रूप में यात्री पुस्तिका प्रकाशित की है। 29वां अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को विस्मरण करने के लिए एक टेबल कैलेन्डर एवं पोस्टर का विमोचन माननीय पर्यटन मंत्री हरियाणा द्वारा 15 जनवरी, 2015 को किया गया। 1 से 15 फरवरी, 2015 तक सूरजकुण्ड में होने वाले सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 20 से अधिक राष्ट्रों एवं भारत के समस्त प्रदेशों ने भागीदारी की। थीम राज्य छत्तीसगढ़ एवं भागीदारी राष्ट्र लेबनॉन था। सूरजकुण्ड मेला परिसर में 200 लाख रूपये आधारभूत सुविधाओं को बनाने एवं नवीनीकरण करने में खर्च किए गए। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पिछले 100 दिनों की उपलब्धियां नीचे प्रमाणित हैं:–

- पिंजौर एवं इसके प्रसिद्ध मुगल बाग की अनूठी विरासत को अभिनन्दन करने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम ने 6 तथा 7 दिसम्बर, 2014 को नौवें पिंजौर विरासत मेले का पिंजौर बागान में आयोजन किया। पहली बार एक मोबाईल एप 'सूरजकुण्ड मेला' का विमोचन जनता के लिए किया गया है। यह आई.ओ.एस. एवं एन्ड्राईड ओपरेटिंग सिस्टम से मुफत में डाउनलौड किया जा सकता है, जिसके द्वारा जनता मेले की समस्त जानकारी ले सकती है जैसे कि मेले के बारे में विभिन्न आयोजनों के अनुसूचि, कलाकार, शिल्पकारों की प्रोफाईल, (वर्ग टाईटल, थम्बनेल विवरण सहित) परिसर मानचित्र, ई–टिकटिंग, छायांकन पटल फोटो ग्लैरी, विडियों ग्लैरी, इन्फोरमैशन सकरीन पर मिडिया कवरेज कर रहा है।
- सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति से तालमेल रखते हुए इस वर्ष पहली बार मेले में प्रविष्टियां बुक माई शो द्वारा बुक की जाती है। प्रौद्योगिकी जागृत लोग एक बटन के दबाने मात्र से मेले में प्रविष्ट करने के

लिए टिकट www.haryanatourism.gov.in के द्वारा बुक कर सकते हैं। सूरजकुण्ड मेले के दौरान, मोबाईल एपलिकेशन एन्ड्राईड ओपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ई–टिकट की लेन का चुनाव कर सकता है और ई–टिकट के लिए एस.एम.एस. भेजना भी वैद्य होगा।

- दिल्ली मैट्रो रेल निगम से तालमेल रखते हुए मेले में प्रवेश के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चुनिन्दा 20–22 दिल्ली मैट्रो स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री की गई।
- प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की हमारी योजनाएं हैं।
- यमुनानगर के कपालमोचन में घाट का निर्माण किया जाएगा।
- कुरूक्षेत्र में महाभारत पर एक होलोग्राफिक–3डी परियोजना स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है।
- गौरया पर्यटक स्थल बहादुरगढ और अंजन पर्यटक स्थल पेहवा में पैट्रोल पंप का उन्नयन किया गया है।

पर्यटन सर्किट

8.222 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने सर्किट पर्यटन की अवधारना प्रस्तुत की है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का विकास, उन्नयन एंव सौंदर्यीकरण ऐतिहासिक एंव सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों एंव प्राचीन स्मारकों का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पानीपत, कुरूक्षेत्र, पिंजौर, यमुनानगर, पंचकूला और पोंटासाहिब सर्किट के एकीकृत विकास के लिए सहायता प्रदान की गई है।

नई परियोजना एंव अवधारणाएं

8.223 तिलयार लेक, रोहतक में प्रकाश एंव ध्वनि प्रदर्शनी/बहुसाधन प्रदर्शनी की स्थापना के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिए प्राथमिकता दी गई है। जिसके 6.50 करोड़ रूपये के प्रस्ताव की स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिसके विरूद्ध 5 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार से पिंजौर में प्रकाश एंव ध्वनि प्रदर्शनी की स्थापना के लिए 6–09–2012 को पर्यटन मंत्रालय को आवेदन भेजा गया है। यमुनानगर में एक नये होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। जिसके लिए 1,000 लाख रूपये केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा यह संस्थान जुलाई, 2015 से अपना प्रथम शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाएं

8.224 हरियाणा सरकार ने विभिन्न पर्यटन/होटल परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक विशेष पहल की है। ललित सूरी सत्कार विद्यालय, बडखल फरीदाबाद 33 वर्ष की लम्बी अवधि के पट्टे पर मैसर्ज भारत होटल लि0, नई दिल्ली को प्रदान की गई है। इस संस्थान ने वर्ष 2013 में 3 वर्षीय उपाधि कोर्स प्रारम्भ किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हरियाणा उपक्षेत्र के विकास एंव रोजगार सृजन के लिए हरियाणा सरकार मनोरंजन पार्क, तिलयार लेक, रोहतक, सूरजकुण्ड प्रकृति पार्क, दमदमा में कैम्पिंग साईट, कजियाना वेलनेस रिजार्ट एंव स्पा गांव कजियाना के विकास के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हुनर से रोजगार तक' योजना का कार्यान्वयन

8.225 पर्यटन को बढ़ावा देते हुए रोजगार के बडे अवसर प्रदान करना ही विभाग का दीर्घकालिक विचार है। केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय द्वारा रोज़गार को बढ़ावा देने हेतू कम से कम आठवीं पास 18–28 वर्ष के इच्छुक युवकों को रोज़गार योग्य बनने के लिऐ 'हुनर से रोजगार तक' प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है। राज्य सरकार ने यह योजना अपने होटल प्रबन्ध संस्थानों, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित पर्यटक स्थलों, निजी संस्थानों में लागू की है। अब तक इस योजना के तहत कुल 5,801 आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2013 के दौरान विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर, 2013) के दिन हरियाणा पर्यटन निगम ने अपने 14 पर्यटक स्थलों पर 'हुनर से रोजगार तक' योजना का शुभारम्भ किया है। 760 लोगों को खाद्य उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया (8 सप्ताह 369 व्यक्ति) तथा खाद्य एंव पेय सुविधाओं (6 सप्ताह 391 व्यक्ति)। चालू वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान हरियाणा पर्यटन निगम नें दिसम्बर, 2014 तक 2,932 व्यक्तियों के लक्ष्य के विरूद्ध 2,090 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। लक्ष्य 31 मार्च, 2015 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को उपकरण, वर्दी के साथ, खाद्य उत्पादन के लिए 2,000 तथा खाद्य एंव पेय सुविधाओं के लिए 1,500 रूपये का वजीफा प्रदान किया जाता है।

पर्यावरण

8.226 पर्यावरण विभाग, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं की रोकथाम के लिए विभिन्न अधिनियमों को तेजी से लागू कर रहा है, जैसे जल (प्रदूषण नियन्त्रण एंव रोकथाम) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एंव रोकथाम) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण रोकथाम अधिनियम, 1986 और उपरोक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों को तेजी से लागू कर रहा है ताकि राज्य के अन्दर पानी और वायु की स्वच्छता बनी रहे हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इन अधिनियमों व कानूनों को लागू करने की एजैंसी है तथा पर्यावरण विभाग हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक रूप से देखता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान उपलब्धियॉ

8.227 हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आधार सभी औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण क्षमता के आधार पर लाल, संतरी तथा हरे कैटेगरी में विभाजित किया गया है यद्यपि बोर्ड के द्वारा कम प्रदूषित क्षमता वाली हरी केटेगरी की औद्योगिक इकाईयों को सहमति प्रबन्धन से बाहर रखा गया है। औद्योगिक इकाईयों तथा प्रोजैक्टस को स्थापित करने की सहमति की समय सीमा लाल कैटेगरी के लिए 2 वर्ष तथा संतरी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण नियन्त्रण रोकथाम) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण नियन्त्रण रोकथाम) अधिनियम, 1981 के अधीन लाल व हरी कैटेगरी की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की सहमति व कार्य शुरू करने की सहमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्रों की ऑनलाईन कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हानिकारक अपशिष्ट (प्रबन्धन, रख–रखाव एंव ट्रांसबाउंड्री मूवमैंट) नियम, 2008 जनवरी, 2013 से कम्पयूटरीकृत कर दिया गया है और इससे सम्बन्धित सेवाओं की जानकारी इन्टरनैट वैबसाईट पर उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा इन सभी प्रार्थना पत्रों का निष्पादन ऑनलाईन किया जा रहा है और औद्योगिक इकाईयॉ स्थापना की सहमति और कार्य शुरू करने की सहमति दिनांक 1–04–2013 से ऑनलाईन प्राप्त कर रही है।

8.228 हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण नियन्त्रण रोकथाम) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण नियन्त्रण रोकथाम) अधिनियम, 1981 के अधीन वर्ष 2014–15 में अपनी चार प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त तीन निजि प्रयोगशालाओं को भी औद्योगिक इकाईयॉ के दूषित वायु के सैम्पल के विश्लेषण करने की सहमति प्रदान करने के लिए अधिकार दिये है। पानीपत के आवासीय क्षेत्र में कार्यरत बहुत सारी रंगाई इकाईयों को हाल ही में विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र में विस्थापित किया गया है ताकि दूषित जल को सांझा जल संशोधन संयत्र में संशोधन किया जा सके और ग्राउंड वाटर को प्रदूषित होने से बचाया जाये और इस पर निगरानी रखी गई है। इस कार्य के लिए 498 प्लाट विभिन्न इकाईयों को प्रदान किये गये है जिनमें से 450 प्लाट धारकों ने अपना कब्जा ले लिया है और 412 इकाईयों ने अपने निमार्ण कार्य पूरा कर लिया है और 231 यूनिटों ने अपना उत्पादन इस नए आबंटित क्षेत्र में शुरू कर दिया है। 20 इकाईयों का निमार्ण कार्य चल रहा है, इन इकाईयों का दूषित जल 21 एम.एल.डी. क्षमता के सांझा जल संशोधन संयत्र संशोधित किया जाता है वर्तमान में औसतन 18.35 एम.एल.डी. दूषित जल इस सांझा जल संयत्र में पहुंच रहा है।

8.229 गांव पाली जिला फरीदाबाद में सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट निपटारण संयत्र का संचालन गुजरात इनवायरों प्रोटैक्शन और इन्फ्रास्ट्राक्चर लि0 द्वारा किया जा रहा है। इस संयत्र की दहन क्षमता 12 से 14 टन प्रतिदिन है। इस जगह के जीवन का समय लगभग 30 वर्ष है। औद्योगिक इकाईयों और परियोजनाओं जो कि खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एंव हस्तालन एंव राज्य से बाहर ले जाने) नियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाली इकाईयॉ इस परियोजना का उपयोग अपने खतरनाक व्यर्थ पदार्थो के निपटान के लिए कर रही है।

8.230 फरीदाबाद गैस आधारित ताप उर्जा संयत्र ने अपनी चिमनियों पर निगरानी व्यवस्था को लागू कर दिया है और उसे ऑनलाईन प्रणाली से जोड़ा गया है जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नेटवर्क के साथ जुड़ी है। यह निगरानी व्यवस्था दूर–दराज क्षेत्रों में प्रदूषण की निगरानी को सुनिश्चित करती है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने चार परिवेषिय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक एंव पंचकुला में कर रखी है। मुख्य सरवर से परिवेषीय वायु गुणवत्ता की निगरानी रखी जाती है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजी जाती है। जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) यमुना नदी में पल्ला गांव में दिल्ली में प्रवेश करने से पहले हमेशा निर्धारित सीमा 3 मि0 ग्रा0 प्रति लीटर में रहती है।

8.231 जैविक स्त्रोतों के संरक्षण के लिए राज्य में हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का गठन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत किया गया है। बोर्ड जैविक स्त्रोतों के संरक्षण और दस्तावेज बनाने में सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा में जैविक स्त्रौतो और उनके दावेदारों में ज्ञान का उपयोग करने में सुविधा प्रदान करेगा। इस संदर्भ में दिनांक 12–01–2015 को पंचकूला में एक जागरूकता शीविर का आयोजन मौसम परिवर्तन पर

विभिन्न विभागों से परामर्श उपरान्त राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना का अनुमोदन राज्य स्टीयरिंग समिति द्वारा किया गया है स्वीकृत योजना भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

8.232 विभाग द्वारा आई.एम.टी. मानेसर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया जा रहा है जिसके द्वारा विभिन्न सम्बधित व्यक्तियों की वातावरण से सम्बन्धित जानकारी को बढ़ाया जायेगा। बायोमैडिकल वेस्ट (प्रबन्धन एंव नियन्त्रण) नियमावली, 1998 तथा जल (प्रदूषण नियन्त्रण एंव रोकथाम) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत मूल्यांकन सम्बन्धी जानकारी के लिए भी एक सॉफटवेयर तैयार किया गया है । प्रयोगशालाओं व हानिकारक ठोस अपशिष्ट, ई–वेस्ट के अन्तर्गत पुर्नचक्रणकर्ताओं/पुर्ननिर्मिताओं के लिए भी एक नया सॉफटवेयर तैयार किया गया है। इससे बोर्ड और औद्योगिक इकाईयों का समय बचेगा। ऑनलाईन प्रणाली का आरम्भ होने से क्लीयरैंस समय पर प्रदान की जा सकेगी और इससे दक्षता और पार्दर्शिता आयेगी।

पुरातत्व और संग्रहालय

8.233 पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा में पुरातात्विक अनुसंधान, खोज और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक अग्रणी विभाग है। यह विभाग राजकीय संग्रहालय एवं क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना हेतु भी प्रयासरत है। विभाग राज्य की प्राचीन पुरातात्विक सम्पदा से जन सामान्य को परिचित कराने हेतु सयम–समय पर प्रदर्शिनियों का आयोजन करता है और प्राचीन मूर्तियों के प्रतिरूप बनाकर कम से कम लागत मात्र मूल्य पर बेचता है। विभाग के 29 राज्य सुरक्षित स्मारक एवं स्थल, 5 क्षेत्रीय संग्रहालय और एक स्थल संग्रहालय है। इन सभी का रख–रखाव 'दी पंजाब एनसियेंट हिस्टोरिकल मानूमैंटस एण्ड आरक्योलोजिकल साईटस एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 के अनुसार किया जाता है। इस विभाग में 6 मुख्य योजना स्कीमें चल रही है।

8.234 विभाग द्वारा प्रदेश की पुरातात्विक सम्पदा एवं प्राचीन धरोहर के जनसाधरण में प्रचार–प्रसार के लिए गीता जयंती उत्सव, के अवसर पर कुरूक्षेत्र में दिनांक 28–11–2014 से 2–12–2014 तक तथा पिंजौर में दिनांक 6–12–2014 व 7–12–2014 आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया।

सत्कार संगठन हरियाणा

2.235 विभाग का मुख्य कार्य चण्डीगढ़ व हरियाणा में जिला स्तर पर पधारने वाले राजकीय अतिथियों के लिए खाने–पीने तथा ठहरने की व्यवस्था करना है। साथ ही विभाग द्वारा गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, हरियाणा दिवस एवं शपथ ग्रहण आदि महत्वपूर्ण समारोहों में भी भोजन एवं जलपान की व्यवस्था की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के सत्कार की जिम्मेवारी भी सरकार द्वारा सत्कार विभाग को सौंपी गयी हैं।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

8.236 20–सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल है जोकि लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरी करने के लिए शुरू किया गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–8.1** में दिये गये है।

8.237 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो अकुशल काम की तलाश में है, अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत को आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2014–15 के दौरान (मास दिसम्बर 2014 तक) राज्य में इस योजना के तहत 44.21 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2014–15 के लिए 29,317 घरों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में मास दिसम्बर तक 2,848 घरों का निर्माण किया गया। मास दिसम्बर, 2014 तक ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. आवास स्कीम के अर्न्तगत विभाग द्वारा निर्धारित 1,523 घरों के लक्ष्य की तुलना में 707 घरों का निर्माण किया जा चुका है।

8.238 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.जी.डब्लू.पी.) के अर्न्तगत आंशिक रूप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुची बंसावटों के लिए वर्ष 2014–15 में 527 बसावटों का लक्ष्य निर्धारण किया गया जिसके विपरित 490 बसावटों की उपलब्धि मास दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त की जा चुकी हैं।

8.239 वर्ष 2014–15 के लिए विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए से एस.सी.एस.पी व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देना तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अर्न्तगत सहायता प्रदान करने सम्बन्धित बिन्दूओ का लक्ष्य 92,539 व 35,661 निर्धारित किया गया है तथा

निर्धारित लक्ष्य के विपरित 46,645 परिवारों व 2,285 छात्रों को गरीबी रेखा में ऊपर उठाने के लिए (मास दिसम्बर, 2014 तक) लाभान्वित किया जा चुका है। संस्थागत प्रसव योजना के तहत वर्ष 2014–15 में (मास दिसम्बर, 2014 तक) 3.47 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य में वर्ष 2014–15 (मास दिसम्बर, 2014 तक) 148 आई.सी.डी.एस ब्लाक परिचालन में है और 25,962 आंगनवाडीं चल रही है। वृक्षारोपण के तहत 34,335 हैक्टयेर क्षेत्र कवर किया जा चुका है 265 लाख सीडलिंग लगा दिये गए है। वर्ष 2014–15 के दौरान (मास दिसम्बर, 2014 तक) 19,000 पम्प सैटों के लक्ष्य की तुलना में 17,903 पम्पसैट लगाए जा चुके है।

लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा

8.240 लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा (एच.आई.पी.ए.) की स्थापना एक विविध अनुशासनिक शीर्ष प्रशिक्षण संस्था के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। यह संस्थान भारतीय प्रशासन सेवा के नये प्रशिशुओं, हरियाणा नागरिक सेवाओं के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सेवा काल में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्था विभिन्न बोर्ड, निगमों के अमले को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न विकास के कार्यक्रमों और स्कीमों का नियोजन करना और उनको प्रभावशाली ढ़ग से लोगों के लिये क्रियान्वित करना है।

8.241 हिपा राज्य सरकार के साथ–2 केन्द्रीय सरकार के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए स्पेशलाइज्ड के साथ–2 सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–2 आधार पाठ्यक्रम के रूप में सेवा में भर्ती का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। इन सब के अतिरिक्त हिपा डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्रों, पंचकूला, हिसार व रोहतक तथा सचिवालय प्रबन्धन स्कूल, गुड़गांव द्वारा सचिवालय तथा मंत्रियों के स्टाफ के लिए भी विभिन्न कोर्सो का प्रबन्ध करता है।

***

योजना नीति एवं समीक्षा

9

वार्षिक योजना 2013–14

राज्य की वार्षिक योजना 2013–14 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने 27,071.32 करोड़ रूपये अनुमोदित किए थे। तत्पश्चात राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए यह परिव्यय संशोधित करके 24,182.13 करोड़ रूपये किया गया। इस परिव्यय में 5,786 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 1,161 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के लिए जोकि उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाए गए थे, सम्मिलित हैं। वर्ष 2013–14 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 17,235.13 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

9.2 संशोधित क्षेत्रीय परिव्यय के आबंटन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। राज्य की वार्षिक योजना 2013–14 के संशोधित परिव्यय में से 9,599.59 करोड़ रूपये (55.70 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए रखी गई थी। इस परिव्यय में से 2,876.83 करोड़ रूपये (16.70 प्रतिशत) शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, 1,908.89 करोड़ रूपये (11.07 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 768.90 करोड़ रूपये (4.46 प्रतिशत) जलापूर्ति, 1,867 करोड़ रूपये (10.83 प्रतिशत) शहरी विकास, 927.35 करोड़ रूपये (5.38 प्रतिशत) स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, कर्मचारी राज्य बीमा तथा खाद्य एवं औषधी प्रशासन के लिए तथा शेष 1,250.62 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, नगरीय एवं नियोजन, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा आवासीय क्षेत्रों आदि के लिए रखे गये थे। सिंचाई, बिजली, सड़क एवं सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के सुधार/विस्तार हेतू तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 4,267.36 करोड़ रूपये जोकि वार्षिक योजना 2013–14 के कुल संशोधित परिव्यय का 24.76 प्रतिशत है, आबंटित किए गए थे। आधारभूत संरचना के विकास के अन्तर्गत यातायात क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र को 2,236.50 करोड़ रूपये (12.98 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए थे। दूसरी उच्च प्राथमिकता सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण को देते हुए 939 करोड़ रूपये (5.45 प्रतिशत) सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 421.86 करोड़ रूपये (2.45 प्रतिशत) की राशि बिजली क्षेत्र के लिए रखी गई थी। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 670 करोड़ रूपये (3.89 प्रतिशत) की राशि रखी गई थी।

9.3 कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 1,427.24 करोड़ रूपये (8.28 प्रतिशत) आबंटित किए गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में ग्रामीण विकास क्षेत्र जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु अन्य कार्य सम्मिलित हैं के लिये 1,285.40 करोड़ रूपये (7.46 प्रतिशत) आबंटित किए गए थे। इस क्षेत्र में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई जिसके लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 1,141 करोड़ रूपये (6.62 प्रतिशत) रखे गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में पिछड़े मेवात तथा अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतू मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड को 34 करोड़ रूपये (0.20 प्रतिशत) की राशि आबंटित की गई थी। उद्योगों के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 60.7 करोड़ रूपये रखे गये। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिये 29.6 करोड़ रूपये रखे गये थे। राज्य परिवहन की वर्तमान बसों की संख्या व लोक परिवहन सेवाओं के लिये बढ़ती मांग के अन्तर को पूरा करने के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 181.50 करोड़ रूपये रखे गये। वर्तमान पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 25.30 करोड़ रूपये रखे गये थे। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में जिला योजना के लिये 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया, जो स्थानीय विकास कार्यो पर उपयोग हुआ। सामान्य सेवाओं के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 177.39 करोड़ रूपये रखे गये। 153.94 करोड़ रूपये प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी।

9.4 वार्षिक योजना में 17,235.13 करोड़ रूपये के संशोधित परिव्यय के विरूद्ध 13,929.96 करोड़ रूपये खर्च किये गये जोकि संशोधित परिव्यय का 80.82 प्रतिशत है तथा जिसमें से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर 1,161.66 करोड़ रूपये (8.34 प्रतिशत), ग्रामीण विकास पर 1,167.03 करोड़ रूपये (8.38 प्रतिशत), विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 23.73 करोड़ रूपये (0.17 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 821.40 करोड़ रूपये (5.89 प्रतिशत), शक्ति पर 395.72 करोड़ रूपये (2.84 प्रतिशत), उद्योगों एवं खनिज पर 73.32 करोड़ रूपये (0.52 प्रतिशत), परिवहन पर 1,953.82 करोड़ रूपये (14.03 प्रतिशत), विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी तथा पर्यावरण पर 21.22 करोड़ रूपये (0.15 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 21.17 करोड़ रूपये (0.15 प्रतिशत) तथा जिला योजना पर 241.73 करोड़ रूपये (1.73 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर 7,911.85 करोड़ रूपये (56.80 प्रतिशत) तथा सामान्य सेवाओं पर 137.31 करोड़ रूपये (0.99 प्रतिशत) खर्च किए गए।

9.5 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं (शेयरिंग बेसिस) के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 3,152.41 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2,203.8 करोड़ रूपये (69.9 प्रतिशत) केन्द्र सरकार के हिस्से से खर्च किए गए तथा राज्य सरकार के हिस्से के परिव्यय 1,082.55 करोड़ रूपये के विरूद्ध 849.02 करोड़ रूपये (78.42 प्रतिशत) व्यय किए गए। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 1,024.71 करोड़ रूपये के विरूद्ध 737.94 करोड़ रूपये (72.01 प्रतिशत) खर्च किए गए। बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं पर संशोधित परिव्यय 290.88 करोड़ रूपये के विरूद्ध 290.88 करोड़ रूपये (100 प्रतिशत), भारत निर्माण के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 667 करोड़ रूपये के विरूद्ध 552.02 करोड़ रूपये (82.76 प्रतिशत), 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 345.34 करोड़ रूपये के विरूद्ध 270.98 करोड़ रूपये (78.46 प्रतिशत), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 1,110.31 करोड़ रूपये के विरूद्ध 761.05 करोड़ रूपये (68.54 प्रतिशत), ईयरमार्कड क्षेत्र के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 3,047.21 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2,268.20 करोड़ रूपये (74.43 प्रतिशत), महिला घटक के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 2,352.45 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,925.82 करोड़ रूपये (81.86 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 3,357.95 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2,401.65 करोड़ रूपये (71.52 प्रतिशत) खर्च किए गए।

वार्षिक योजना 2014–15

9.6 राज्य ने योजना आयोग, भारत सरकार को वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना के लिए 32,731.29 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा था। इस परिव्यय में 10,158.80 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 1,052.34 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के लिए सम्मिलित हैं जोकि उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाए जाएगें। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 21,520.15 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान योजना आयोग, भारत सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों को राज्य के वित्त विभाग के जरिए केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारत सरकार से 3,750.37 करोड़ रूपये प्राप्त होने की सम्भावना है। राज्य के योजना परिव्यय को विभिन्न क्षेत्रों में आबंटित करते समय सामाजिक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दूसरी उच्च प्राथमिकता सिंचाई, बिजली, सड़क व सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास तथा विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को दी गई है।

सामाजिक सेवाएं

9.7 सामाजिक सेवाओं के लिए 12,999.12 करोड़ रूपये (60.4 प्रतिशत) का प्रस्ताव रखा गया है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं व विक्षिप्तों के लिए पैंशन को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग हैं तथा राज्य का इनके प्रति स्वयं एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। तदानुसार सामाजिक न्याय व अधिकारिता के लिए 2,877.25 करोड़ रूपये (13.37 प्रतिशत) प्रस्तावित किए गए हैं। महिलाओं व बच्चों को एक अन्य उपेक्षित वर्ग होने के कारण राज्य के देखभाल की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसमें न्यूट्रिशन भी शामिल है, के लिए 727 करोड़ रूपये (3.38 प्रतिशत) का प्रावधान है। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 3,991.08 करोड़ रूपये (18.55 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। वार्षिक योजना में स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, को 1,459.80 करोड़ रूपये (6.78 प्रतिशत) ईयरमार्किंग देकर उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य के सभी गांवों में पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया है। फिर भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है, तदानुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा सफाई कार्य को बेहतर बनाने के लिए 1,096 करोड़ रूपये (5.09 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। आवास, जिसमें पुलिस आवास एवं

आकृति 9.1– 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत वार्षिक योजनाओं का परिव्यय तथा व्यय

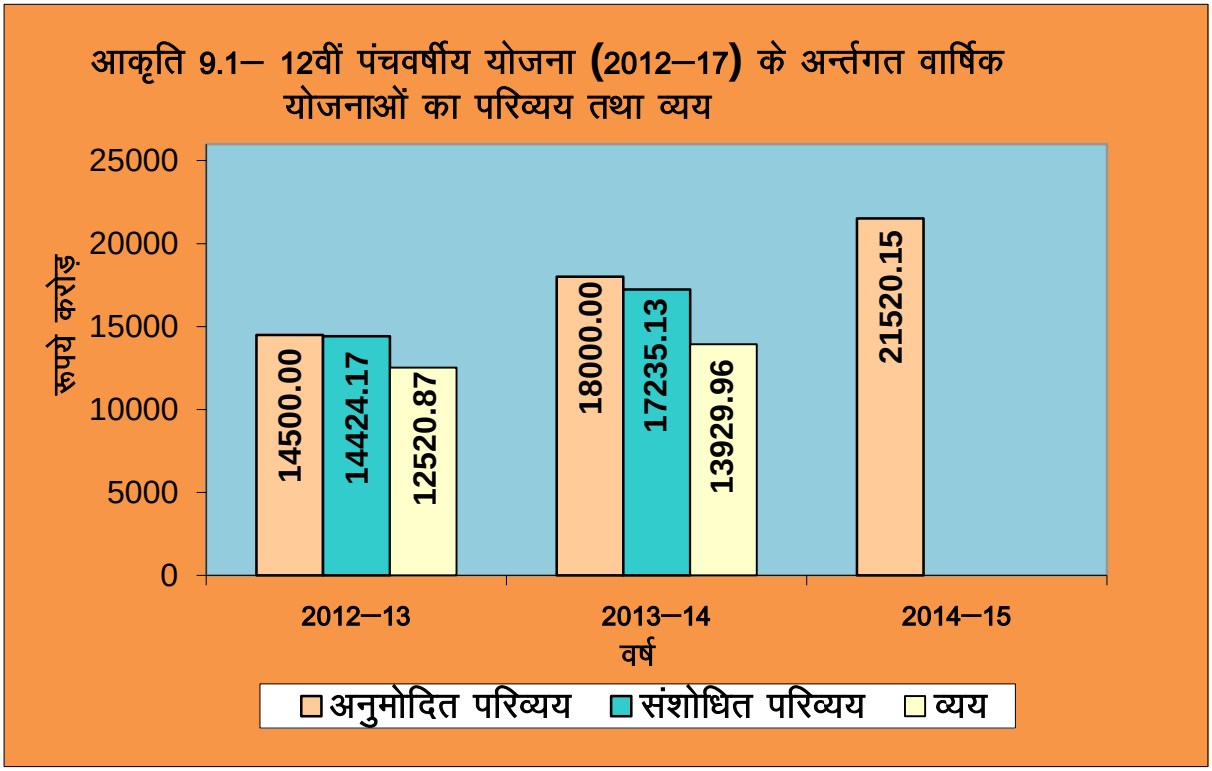

आधुनिकीकरण शामिल हैं, के लिए 133 करोड़ रूपये (0.62 प्रतिशत) की राशि का आंबटन किया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 193.5 करोड़ रूपये (0.9 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 1,930.8 करोड़ रूपये (8.97 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। विद्युत विभाग की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 350.02 करोड़ रूपये (1.63 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

आधारभूत ढांचे का विकास

9.8 सिंचाई, बिजली एवं सड़क तथा सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने हेतू 4,407.81 करोड़ रूपये आबंटन हेतू रखे गये हैं जोकि परिव्यय 21,520.15 करोड़ रूपये का 20.48 प्रतिशत है। सिंचाई क्षेत्र के लिए 925.24 करोड़ रूपये (4.30 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली के उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण के लिए 856.67 करोड़ रूपये (3.98 प्रतिशत) रखे गये हैं। सड़क व सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 1,825.90 करोड़ रूपये (8.48 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 800 करोड़ रूपये (3.72 प्रतिशत) का प्रावधान है।

कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र

9.9 कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों के उचित प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है इस क्षेत्र के विकास के लिए 1,621.61 करोड़ रूपये (7.54 प्रतिशत) रखे गए हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रणनीति में प्रमाणित बीजों की उपलब्धता, उर्वरक के संतुलित उपयोग, पौध सरंक्षण के उपाय, भूमि सुधार तथा अन्य भूमि विकास कार्यक्रमों जैसे विभिन्न सहायक कार्यक्रमों के सुदृढ़िकरण शामिल हैं। गेहूं, चावल, तिलहन, कपास और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2014–15 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को उनकी गतिविधियों को पूरा करने के लिए 190 करोड़ रूपये (0.88 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

9.10 पशुधन मालिकों को नजदीक ही प्रभावी और कुशल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। पशुपालन व डेयरी विभाग के लिए 2014–15 में अपनी गतिविधियों के विस्तार हेतु 148 करोड़ रूपये रखे गये हैं। परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण को बेहतर बनाने व लकड़ी व ईंधन के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने हेतू राज्य में वनों के विस्तार के लिए 195.47 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राज्य में सहकारी संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 357.55 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र

9.11 ग्रामीण विकास क्षेत्र जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता तथा सामुदायिक विकास सम्मिलित हैं, के लिये 1,700.18 करोड़ रूपये (7.90 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। लोगों को ईंधन/ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पशुओं व कृषि के व्यर्थ हुई चीज़ों से उत्पादित ऊर्जा, के उपयोग को बढ़ावा देने हेतू समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक विकास तथा पंचायत के लिए 1,040.91 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।

विशेष क्षेत्रीय विकास

9.12 पिछड़े मेवात क्षेत्र जहां मुख्यतः मुस्लिम समुदाय बसा हुआ है, के विकास हेतू मेवात विकास बोर्ड अस्तित्व में पहले से ही है। इस क्षेत्र के विकास में तीव्रता लाने हेतु मेवात विकास बोर्ड के लिए 24 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु शिवालिक विकास बोर्ड भी बनाया हुआ है। इस क्षेत्र विकास के लिए 14 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यह दोनों राशियां इन दोनों क्षेत्रों के विभिन्न विभागों में होने वाली विकास की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त है।

सिंचाई

9.13 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक अति आवश्यक निवेश है। राज्य के पास नहर के साथ–साथ भूमिगत पानी जैसे सीमित जल संसाधन हैं। इसलिए इस संसाधन के अपव्यय को कम करने के माध्यम से इसके सही उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के लिए इस क्षेत्र का परिव्यय 925.24 करोड़ रूपये आंका गया है। बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 685.24 करोड़ रूपये रखे गये हैं। 155 करोड़ रूपये का प्रावधान बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए रखा गया है। कमाण्ड क्षेत्र विकास

कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार के बीच हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2014–15 में 85 करोड़ रूपये (राज्य का हिस्सा) रखे गए हैं।

ऊर्जा

9.14 अर्थ–व्यवस्था के समग्र विकास के लिए बिजली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निवेश है। यह भी लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। वार्षिक योजना 2014–15 में, लोगों में बिजली की उपलब्धता को बेहतर बनाने हेतू इस क्षेत्र के लिए 856.67 करोड़ रूपये रखे गये हैं जिसमें से 6.65 करोड़ रूपये ऊर्जा के अक्षय स्त्रोतों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

उद्योग

9.15 हरियाणा राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम संयुक्त तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायता/भाग लेना जारी रखेगा। राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सितम्बर, 2011 में एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का गठन किया है। यह न केवल विदेशी निवेश में एक आक्रमक भूमिका अदा करता है बल्कि विदेशी निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है तथा भूमि आंबटन ऋण की स्वीकृति इत्यादि में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को राज्य में विशेषतः गुड़गांव जिले में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए आकर्षित करने में सक्षम है। वर्ष 2014–15 के दौरान उद्योग विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए 72.97 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

9.16 राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य सूचना क्रांति के युग में राज्य को एक अग्रणी धावक बनाने के क्रम में एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) नीति और कार्य योजना तैयार की है। हारट्रोन को राज्य सरकार के सभी विभागों में सूचना प्राद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकार ने राज्य में संचार को रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। वार्षिक योजना 2014–15 में राज्य में उपरोक्त आई.टी. गतिविधियों के लिए 26.15 करोड़ रूपये ईयरमार्क किए गए हैं।

सड़क और परिवहन

9.17 वार्षिक योजना 2014–15 में राज्य ने सड़क नेटवर्क तथा परिवहन सुविधाओं के विकास हेतू 1,825.9 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसमें से 1,623.15 करोड़ रूपये सड़क और पुलों के निर्माण के लिए रखे गए हैं। पुरानी बसों के प्रतिस्थापन, बस अड्डो/आश्रयों के निर्माण, कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण आदि के लिए 197.4 करोड़ रूपये रखे गये हैं। नागरिक उड्डयन के लिए 5.35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन

9.18 मौजूदा पर्यटन स्थलों विशेषकर जिला/उप संभागीय मुख्यालयों पर मुख्य राजमार्गों के साथ लगे पर्यटन सैरगाहों पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 31.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

जिला योजना

9.19 राज्य में जिला योजना के लिए 375 करोड़ रूपये रखे गये हैं जोकि स्थानीय विकास कार्यों पर उपयोग किए जाएंगे।

सामान्य सेवाएं

9.20 सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 219.56 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है जोकि मिनी सचिवालय और उससे सम्बन्धित ईमारतें, जेल, न्यायिक, आबकारी एवं कराधान (गैर आवासीय भवनों), लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) की इमारतें रैस्ट हाऊसिज़, होलीडे होम्ज़, खजाना एवं लेखा की ईमारतें तथा आतिथ्य की ईमारतें जैसी अत्यावश्यक प्रशासनिक ईमारतों के निर्माण पर उपयोग किया जाएगा।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.21 विद्युत विभाग की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 350.02 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

9.22 वर्ष 2014–15 में ढांचागत विकास फण्ड के लिए 800 करोड़ रूपये का एक विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज रखा गया है जोकि फास्ट ट्रैक के आधार पर ली जाने वाली परियोजनाओं जैसे जिला अस्पतालों को बढ़ाने, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार, समाज के वंचित वर्ग के लिए विशेष देखभाल संस्थानों की स्थापना, पानी के पाठ्यक्रमों

की बहाली, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय भवन तथा मेवात व पलवल जिलों के कार्यालयों तथा आवासीय भवनों के निर्माण पर उपयोग किया जाएगा।

13वें वित्त आयोग

9.23 13वें वित आयोग की सिफारिशों के अर्न्तगत 330.14 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए रखी गई है। जिसमें से 75 करोड़ रूपये की राशि मेवात क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। इस अनुदान का विवरण **तालिका 9.1** में दिया गया है।

तालिका 9.1– 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान

(रूपये करोड़)

क्रम सं0	परियोजना	आंबटित राशि
क		
1	सूचना एवं प्रौद्योगिकी (यू.आई.डी.) के लिए	6.42
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10.50
3	प्रारम्भिक शिक्षा	51.00
4	स्वास्थ्य सेवाएं	50.00
5	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	75.00
6	पुलिस आवास {पुलिस प्रशिक्षण (घर)}	25.00
7	शहरी विकास (अग्नि आपातकाल सेवाएं)	25.00
8	स्वास्थ्य (आई.एम.आर.)	12.22
	कुल	**255.14**
ख	मेवात का विकास	
1	जन स्वास्थ्य	25.00
2	आई.टी.आई.	25.00
3	स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा)	25.00
	कुल	**75.00**
	कुल (क+ख)	**330.14**

***

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपये)

मदें	2011–12	2012–13	2013–14 (स.अ.)	2014–15 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**30557.59**	**33633.53**	**41635.94**	**47690.14**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**25121.11**	**28232.15**	**31655.31**	**36241.32**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	**20399.46**	**23559.00**	**26589.10**	**30374.75**
i) भू –राजस्व	10.95	12.97	13.00	13.50
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	2831.89	3236.47	3850.00	4350.00
iii) बिक्री कर	13383.69	15376.58	17400.00	19930.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	740.15	887.29	1050.00	1175.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	2793.00	3326.25	3425.00	3950.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	429.32	470.76	575.00	650.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	166.43	191.97	211.10	232.25
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	44.03	56.71	65.00	74.00
आ) राज्य का अपना कर– भिन्न राजस्व (i से v)	**4721.65**	**4673.15**	**5066.21**	**5866.57**
i) ब्याज प्राप्तियां	864.96	1058.21	1088.59	1142.51
ii) लाभांश तथा लाभ	1.64	7.05	8.24	8.30
iii) सामान्य सेवाएं	336.02	535.15	369.71	411.32
iv) सामाजिक सेवाएं	1483.53	1591.20	1848.54	2056.19
v) आर्थिक सेवाएं	2035.50	1481.54	1751.13	2248.25
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	**5436.48**	**5401.38**	**9980.63**	**11448.82**
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	2681.55	3062.13	3645.42	4009.96
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	2754.93	2339.25	6335.21	7438.86
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**7033.06**	**9622.37**	**10013.84**	**11482.96**
i) कर्जे की प्राप्तियां	294.12	349.39	377.34	341.77
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.24	10.81	19.41	26.03
iii) लोक ऋण (निवल)	6729.70	9262.17	9617.09	11115.16
कुल प्राप्तियां (1+2)	**37590.65**	**43255.90**	**51649.78**	**59173.10**

स.अ. : संशोधित अनुमान, ब.अ. : बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो **"**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क**"** शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपये)

मदें	2011–12	2012–13	2013–14 (स.अ.)	2014–15 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**32014.89**	**38071.72**	**47248.86**	**52702.71**
क) विकासात्मक (i+ii)	21695.64	26073.08	32235.55	35869.62
i) सामाजिक सेवाएं	12641.67	14516.35	18318.19	21497.96
ii) आर्थिक सेवाएं	9053.97	11556.73	13917.36	14371.66
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	**10219.83**	**11896.75**	**14717.71**	**16639.35**
i) राज्य की विधाएं	442.12	498.48	601.72	695.94
ii)वित्तीय सेवाएं	243.90	270.57	301.72	377.09
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	4151.70	4955.32	6421.42	7543.32
iv) प्रशासनिक सेवाएं	2176.57	2530.69	2936.57	3459.88
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	3205.54	3641.69	4456.28	4563.12
ग) अन्य*	**99.42**	**101.89**	**295.60**	**193.74**
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**5999.41**	**6283.84**	**6299.44**	**6748.52**
घ) विकासात्मक (i से ii)	**5627.78**	**5924.96**	**5763.61**	**6226.20**
i) सामाजिक सेवाएं	1499.65	1575.50	2641.31	2653.08
ii) आर्थिक सेवाएं	4128.13	4349.46	3122.30	3573.12
ड़) गैरविकासात्मक (i से ii)	**371.63**	**358.88**	**535.83**	**522.32**
i) सामान्य सेवाएं	235.32	250.60	326.20	307.20
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	136.31	108.28	209.63	215.12
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**38014.30**	**44355.56**	**53548.30**	**59451.23**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**27323.42**	**31998.04**	**37999.16**	**42095.82**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**10591.46**	**12255.63**	**15253.54**	**17161.67**
6. अन्य* (ग)	**99.42**	**101.89**	**295.60**	**193.74**

स.अ. : संशोधित अनुमान, ब.अ. : बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये)

मदें	2011–12	2012–13	2013–14 (स.अ.)	2014–15 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)1775.86	(-)49.46	(+)164.97	(-)30.64
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)1771.03	(-)39.96	(+)170.78	(-)24.83
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	30557.59	33633.53	41635.94	47690.14
ख) खर्च	32014.89	38071.72	47248.86	52702.71
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.24	10.81	19.41	26.03
4. पूंजीगत परिव्यय	5372.34	5761.84	5408.99	5747.11
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	11741.10	15560.31	20316.98	24965.01
ख) पुनः अदायगी	5011.40	6298.14	10699.89	13849.85
ग) निवल	(+)6729.70	(+)9262.17	(+)9617.09	(+)11115.16
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	627.07	521.99	890.45	1001.41
ख) वसूलियां	294.12	349.39	377.34	341.77
ग) निवल	(-)332.95	(-)172.60	(-)513.11	(-)659.64
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	-	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	(+)718.53	(+)457.96	(+)395.79	(+)277.00
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(+)1216.64	(+)928.72	(+)1389.42	(-)220.26
12. प्रेषण (निवल)	(+)214.88	(-)72.60	(-)82.30	(+)209.40
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(+)1726.40	(+)214.43	(-)195.61	(-)11.99
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-)49.46	(+)164.97	(-)30.64	(-)42.63
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-)39.96	(+)170.78	(-)24.83	(-)36.82

स.अ. : संशोधित अनुमान, ब.अ. : बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपये)

मदें	2011–12	2012–13	2013–14 (स.अ.)	2014–15 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
I प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**32688.08**	**40132.73**	**48951.70**	**54914.15**
1. उपभोग व्यय (i+ii)	13780.07	15615.85	18345.62	21900.39
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	12209.73	14015.17	15562.82	18967.00
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	1570.34	1600.68	2782.80	2933.39
2. चालू हस्तांतरण*	12939.48	17134.73	21901.85	23564.59
3. सकल पूंजी निर्माण	2717.21	4308.88	4323.26	4339.44
4. पूंजीगत हस्तांतरण	1763.02	2283.29	3223.42	3553.51
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	827.69	258.30	165.50	522.31
6. कर्ज तथा अग्रिम	627.07	522.00	890.45	1001.40
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	33.54	9.68	101.60	32.51
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**3298.35**	**3531.24**	**4122.47**	**4553.72**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	473.49	695.18	1136.01	1398.58
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1394.94	1458.43	1813.27	1943.18
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	32.96	33.95	33.96	36.98
4. ब्याज	440.94	483.33	418.41	442.83
5. सकल पूंजी निर्माण	936.72	853.01	703.64	712.15
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	19.30	7.34	17.18	20.00
कुल व्यय (I+II)	**35986.43**	**43663.97**	**53074.17**	**59467.87**

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.1 वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05=100)

समुह	विवरण	भार	सूचकांक	
			2012-13	2013-14 (अ)
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	163.4	187.4
16	तम्बाकू उत्पाद	0.55	95.3	96.3
17	वस्त्र	38.77	70.4	84.1
18	पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	158.5	173.5
19	चमड़े की टेनिंग व डेंसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	97.5	88.8
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	167.1	170.0
21	कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	119.4	123.9
22	रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	87.6	106.7
23	कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	155.4	174.6
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	159.8	167.9
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	138.9	161.5
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	150.6	228.3
27	आधारभूत धातुएं	109.70	197.6	194.6
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	221.7	237.8
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	254.1	401.2
30	कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	234.2	175.5
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व उपकरण	22.81	147.8	176.3
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व प्रणाली	7.44	200.4	203.7
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	131.0	179.3
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	180.5	138.7
35	अन्य परिवहन उपकरण	173.52	175.5	165.9
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	78.7	75.6
	विनिर्माण	918.22	173.6	177.8
	विद्युत	81.78	243.5	252.7
	सामान्य सूचकांक	1000.00	179.3	184.0

अ : अनन्तिम

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.2– औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि

(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05=100)

उद्योग समूह	भार	2011-12	2012-13	2013-14 (अ:)
विनिर्माण	918.22	3.9	4.6	2.4
वर्ष 2013–14 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
15. खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	8.7	6.9	14.7
17. वस्त्रों का विनिर्माण	38.77	-15.0	-10.7	19.5
22. रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन तथा प्रकाशन, मुद्रण	2.72	-1.3	1.3	21.8
23. कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	6.4	7.6	12.4
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	-13.5	13.0	16.2
26. अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	8.3	10.4	51.6
29. अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथाउपकरण	63.15	21.3	23.5	57.9
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र उपकरण इत्यादि	22.81	-1.7	12.6	19.3
33. चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	-17.7	3.2	36.8
वर्ष 2013–14 के दौरान 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
18. पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग का विनिर्माण	47.59	1.5	10.9	9.5
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	0.2	2.1	5.0
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	3.0	7.8	7.3
वर्ष 2013–14 के दौरान 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
16. तम्बाकू उत्पाद	0.55	-13.0	0.9	1.0
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	18.2	6.1	1.7
21. कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	19.9	6.5	3.7
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	5.2	5.4	1.6
वर्ष 2013–14 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
19. चमड़े की टेनिंग व डेंसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	-14.5	-9.4	-8.9
27. आधारभूत धातुएं	109.70	14.5	24.6	-1.5
30. कार्यालय, लेखा व कम्प्यूटिंग मशीनरी	4.12	43.7	8.3	-25.1
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	-1.9	-6.8	-23.1
35. अन्य परिवहन उपकरण	173.52	7.7	-0.5	-5.4
36. फर्नीचर का विनिर्माण इत्यादि	15.50	0.4	8.7	-3.9

अ : अनन्तिम स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 8.1–बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2014–15 के लक्ष्य और उपलब्धियां

बिन्दू/मद		ईकाई	2014–15 (मास दिसम्बर, 2014 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
1		2	3	4
01ए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	ल.न.	44.21
06ए	मकानों का निर्माण (इन्दिरा आवास योजना)	संख्या	29317	2848
06बी	शहरी क्षेत्रों में आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ निम्न वर्ग को आवास	संख्या	1523	707
07ए03	आंशिक रुप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुंची बसावटें	संख्या	527	490
08ई	सांस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	ल.न.	3.47
10ए02	अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए से एस.सी. एस.पी व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देना	संख्या	92539	46645
10ए03	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अर्न्तगत सहायता प्रदान करना	संख्या	35661	2285
12ए0	समेकित बाल विकास परियोजना खण्ड (संचयी)	संचयी संख्या	148	148
12बी0	क्रियाशील आंगनवाड़िंया (संचयी)	संचयी संख्या	25922	25962
15ए01	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र	हैक्टेयर	40000	34335
15ए02	रोपित पौधों की संख्या	संख्या लाख	300.00	265.00
18डी	पम्पसैटों को बिजली	संख्या	19000	17903

ल.न. – लक्ष्य नहीं।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 9.1–हरियाणा में योजनाओं के अधीन परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपये)

योजना अवधि		**अनुमोदित परिव्यय**	**व्यय**
1	**2**	**3**	**4**
वार्षिक योजनाएं	1966–69	77.11	94.14
चौथी योजना	1969–74	225.00	358.26
पांचवी योजना	1974–79	601.35	677.34
वार्षिक योजना	1979–80	219.76	202.96
छठी योजना	1980–85	1800.00	1595.47
सातवीं योजना	1985–90	2900.00	2510.64
वार्षिक योजना	1990–91	700.00	615.02
वार्षिक योजना	1991–92	765.00	699.39
आठवीं योजना	1992–97	5700.00	4899.19
नौंवीं योजना	1997–02	11600.00	7986.12
दसवीं योजना	2002–07	12000.00	12979.64
ग्यारवीं योजना	2007–12	35000.00	43161.22
बाहरवीं योजना प्रायोजित परिव्यय	**2012–17**	90000.00	
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2012–13**	 14500.00 14424.17	 12520.87
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2013–14**	 18000.00 17235.13	 13929.96
वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय	**2014–15**	 21520.15	

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

अनुलग्नक 9.2–हरियाणा में प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाएं 2013–14 से 2014–15 तक की उपलब्धियां

(करोड़ रूपये)

क्र0 सं0	विकास का मुख्य शीर्ष	12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17	वार्षिक योजना 2013–14	वार्षिक योजना 2014–15
		प्रायोजित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कृषि एवं सहबद्ध कार्य	5880.00 (6.53)	1161.66 (8.34)	1621.61 (7.54)
2	ग्रामीण विकास	6223.00 (6.91)	1167.03 (8.38)	1700.18 (7.90)
3	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	202.00 (0.22)	23.73 (0.17)	38.00 (0.18)
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	7700.00 (8.55)	821.40 (5.90)	925.24 (4.30)
5	ऊर्जा	7402.00 (8.23)	395.72 (2.84)	856.67 (3.98)
6	उद्योग एवं खनिज	647.00 (0.73)	73.32 (0.53)	100.32 (0.47)
7	परिवहन	9860.00 (10.96)	1953.82 (14.02)	1825.90 (8.48)
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	120.00 (0.13)	21.22 (0.15)	24.80 (0.11)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	200.00 (0.22)	21.17 (0.15)	33.75 (0.16)
10	विकेन्द्रीकृत योजना	1555.00 (1.73)	241.73 (1.73)	375.00 (1.74)
11	समाजिक सेवाएं	49474.30 (54.97)	7911.85 (56.80)	13799.12 (64.12)
12	सामान्य सेवाएं	736.70 (0.82)	137.31 (0.99)	219.56 (1.02)
	कुल जोड़ (1–12)	**90000.00 (100.00)**	**13929.96 (100.00)**	**21520.15 (100.00)**

नोटः कोष्ठक में दिये गये आंकडे प्रतिशत को दर्शाते है।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।